अध्याय-1

सहकारिता मंत्रालय का परिचय

1.1 सिंहावलोकन

सहकारी समितियों को सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किया जाता है जिनमें गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और रोजगार सृजन की समस्याओं का समाधान निहित होता है । इनमें जमीनी स्तर तक माल और सेवाओं को पहुंचाने की असीम संभावनाएं होती हैं । सहकारी समितियां पूंजी केंद्रित संगठन होने के बजाए जन-केंद्रित संगठन होती हैं और वे (सामूहिक प्रयासों के माध्यम से) एकजुटता, सामुदायिक व्यवसाय की समझ और सामाजिक जुड़ाव लाती हैं ।

सहकारी क्षेत्र अपने सदस्य चालित समावेशी दृष्टिकोण के साथ देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना, निविष्ट सेवाएं, सिंचाई, विपणन, प्रसंस्करण और सामुदायिक भंडारण, इत्यादि के साथ-साथ मुर्गीपालन, मात्स्यिकी, बागवानी, डेयरी, कपड़ा, उपभोक्ता, आवासन, स्वास्थ्य आदि जैसे अन्य कार्यकलापों के लिए भी समयबद्ध, पर्याप्त और डोर-स्टेप सहयोग प्रवाह हेतु न्याय संगत और ठोस प्रयास सुनिश्चित करने की अपेक्षित क्षमता है ।

भारत में लगभग 8 लाख सहकारी इकाइयां हैं जिनमें से लगभग 1.86 लाख इकाइयां क्रेडिट सहकारी समितियां हैं और शेष गैर-क्रेडिट सहकारी समितियां हैं जो उत्पादन, प्रसंस्करण, उपभोक्ता, औद्योगिक, विपणन, पर्यटन, अस्पताल, आवासन, परिवहन, श्रम, कृषि, सेवा, पशुधन, बहुउद्देशीय, इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यकालाप करने वाली सहकारी समितियां हैं ।

इन सामुदायिक स्वामित्व वाली और सदस्य चालित आर्थिक संस्थानों की विशाल अप्रयुक्त संभावनाएं मौजूद हैं । देश में सहकारिता आंदोलन सुनिश्चित करने और उसे अग्रतर गति प्रदान करने में क्षेत्रक सहकारी समितियों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का भी यथोचित समाधान करने की आवश्यकता है । देश में *'सहकार से समृद्धि'* की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनपर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है:

(क)सहकारी आंदोलन में क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय और क्षेत्रक असंतुलन

(ख)विनियामक जटिलताएं

(ग) शासन, नेतृत्व और प्रचालनात्मक मुद्दे

(घ) सहकारी संस्थानों में पेशेवर प्रबंधन की कमी

(ङ)समय-परीक्षित संरचनात्मक सुधार उपायों की आवश्यकता

(च) सहकारी समितियों के बीच समन्वय की कमी

1.2 सहकारिता मंत्रालय की स्थापना

सहकारिता का विषय पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन तत्कालीन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सहकारिता प्रभाग के माध्यम से प्रशासित हो रहा था । *'सहकार से समृद्धि'* के मंत्र को साकार करने के लिए संघ सरकार के एक ऐतिहासिक कदम से मंत्रिमंडलीय सचिवालय के राजपत्र अधिसूचना सं. 2516 दिनांक 06 जुलाई, 2021 के माध्यम से एक पृथक 'सहकारिता मंत्रालय' का सृजन किया गया ।

मंत्रालय का नेतृत्व श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया जा रहा है और उनकी सहायता श्री बी.एल. वर्मा, माननीय सहकारिता राज्यमंत्री द्वारा की जा रही है । सचिव (सहकारिता) मंत्रालय के प्रशासनिक प्रधान हैं जिन्हें एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एक अपर सचिव, और एक सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (CRCS) द्वारा सहायता दी जा रही है ।

मंत्रालय में 201 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 130 पद मंत्रालय और 71 पद सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (CRCS) के कार्यालय के लिए निर्धारित हैं । इन स्वीकृत पदों पर 102 नियमित अधिकारी व कर्मचारी तैनात हैं । मंत्रालय और CRCS कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-I** पर प्रस्तुत है ।

1.3 नए मंत्रालय की स्थापना

सहकारिता मंत्रालय ने कृषि भवन और जनपथ भवन में आबंटित सीमित स्थान व कुछ ही अधिकारियों के साथ कार्य करना आरंभ किया । 32 माह की अल्पावधि में ही यह मंत्रालय सुस्थापित हो गया है । मंत्रालय CRCS कार्यालय के साथ अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में दिनांक 14 जुलाई, 2022 को स्थानांतरित हुआ ।

सीआरसीएस कार्यालय व उनसे संबंधित अन्य कार्यालयों के लिए एक नए कार्यालय परिसर की खरीद की गई । CRCS कार्यालय दिनांक 14 जनवरी, 2024 को अपने नए कार्यालय भवन 9वां तल, टावर-ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में स्थानांतरित हुआ ।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) यथासंशोधित (2023 का 11) की धारा 85क के साथ पठित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 के नियम 30क, 30ख और 30ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 05 मार्च, 2024 को पूरे देश में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के साथ तीन वर्षों की अवधि के लिए सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति की । व्यय विभाग ने सहकारी ऑम्बुड्समैन के कार्यालय के लिए 20 पद स्वीकृत किए हैं ।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) यथासंशोधित (2023 का 11) की धारा 45 के अधीन सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 11 मार्च, 2024 को सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की । व्यय विभाग ने सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के कार्यालय के लिए 16 पद स्वीकृत किए हैं ।

1.4 मंत्रालय का अधिदेश (कार्य आबंटन):

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश निम्नलिखित हैं:

- सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारी कार्यकलापों का समन्वय ।

  नोट: - क्षेत्र में सहकारी समितियों की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों की है ।
- "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करना ।
- देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करना और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करना ।
- सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन जिसमें देश के विकास के लिए इसके सदस्यों की जिम्मेदारी की भावना शामिल है ।
- सहकारी समितियों को अपनी क्षमता की प्राप्ति में मददगार यथोचित नीति, विधिक और संस्थागत संरचना का निर्माण करना ।
- राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले ।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ।
- 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' को प्रशासित करने सहित ऐसी सहकारी समितियां निगमन, विनियमन और परिसमापन करना जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित नहीं हैं ।

  परंतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजन से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए 'केंद्रीय सरकार' होगा ।
- सहकारी विभागों और सहकारी संस्थानों के कार्मिकों (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-कार्मिकों सहित) का प्रशिक्षण ।

1.5 मंत्रालय का विज़न और मिशन

विज़न

"सहकार से समृद्धि"

मिशन

"देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए एक पृथक प्रशासनिक, विधिक और नीति संरचना प्रदान करना । इसका लक्ष्य एक वास्तविक जन-आधारित आंदोलन के रूप में सहकारी समितियों की पहुंच को जमीनी स्तर तक करना और सहकार आधारित आर्थिक मॉडल का विकास करना है जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना से कार्य करे"

सात सहकारी सिद्धांत

वर्ष 1995 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (ICA) ने सहकारी पहचान पर संशोधित कथन अपनाया जिसमें सहकारिता, सहकारी मूल्यों और सात सहकारी सिद्धांतों की परिभाषा दी गई है । इन सिद्धांतों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है:

1. खुली और स्वैच्छिक सदस्यता
2. लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण
3. सदस्यों की आर्थिक प्रतिभागिता
4. स्वायत्तता व स्वतंत्रता
5. शिक्षा, प्रशिक्षण व सूचना
6. सहकारिताओं में सहकार
7. सामुदायिक सरोकार

1.5.1 सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलें

सहकारिता मंत्रालय ने अपने अधिदेश और परिकल्पना को पूरा करने के लिए अनेक उपाए किए हैं:

- माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के पर्यवेक्षण में मंत्रालय की सुनियोजित स्थापना।
- 32 महीनों में लगभग 54 नई पहलें की गई हैं ।
- 28 विस्तृत कार्य योजनाएं तैयार की गई ।

- अपर/संयुक्त सचिव के नेतृत्व में निदेशक/उपसचिव के स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में 11 टीमों का गठन किया गया।
- प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर एवं राज्यों को आवश्यकता अनुसार अपनाने हेतु प्रेषित किया गया।
- 2 विधेयकों को तैयार किया गया।
- 3 नवनिर्मित राष्ट्रीय सहकारी समितियों, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की उपविधियां तैयार की गई ।
- "विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" पर एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया।
- संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न स्तर पर बैठकें आयोजित की गई ।
- सचिव (सहकारिता) की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों का निरंतर आयोजन ।

"सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने में सहकारी समितियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करने और सहकारी समितियों, विशेषकर प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और इस क्षेत्र के खोए गौरव को पुन: स्थापित करने के लिए 2.5 वर्षों की अल्पावधि में सहकारिता मंत्रालय ने अनेक पथ प्रदर्शक पहलें की हैं ।

पैक्स को अपने व्यवसाय का विविधीकरण करके वित्तीय रूप से संवहनीय आर्थिक इकाई बनाने के लिए सरकार ने उनके लिए आदर्श उपविधियां बनाई है जिससे वे 25 से भी अधिक आर्थिक कार्यकलाप कर सकेंगे । अंतरमंत्रालयी समन्वय के माध्यम से पैक्स को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्ध केंद्र, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, पेट्रोल/डीजल रीटेल आउटलेट, ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना के लिए पानी समिति, आदि के संचालन के लिए भी सक्षम किया गया है । पैक्स को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में भी कार्य करने में सक्षम बनाया गया है ताकि ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं आदि सहित 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान की जा सकें । ये पहलें उन्हें आय के अतिरिक्त स्थायी स्रोत प्रदान करेंगे तथा इससे ग्रामीण आबादी को विभिन्न सेवाओं की सुविधा उनके द्वार पर उपलबध होगी । देश में अन्न भंडारण क्षमता की भारी कमी को दूर करने के लिए भारत

सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण द्वारा पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत गोदामों का निर्माण किया जा रहा है ।

देश में सहकारी समितियों के असमान वितरण की समस्या को दूर करने के लिए अनाच्छादित (Uncovered) पंचायतों/गांवों में आवश्यकता और व्यवहार्यता के आधार पर नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करके उनका समावेशन किया जा रहा है ।

सहकारी परितंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए सरकार द्वारा व्यापक डिजिटल इंटरवेंशंस भी किए गए हैं जिससे रीयल टाइम आधार पर सूचनाओं के निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा जिसके फलस्वरूप तंत्र में सदस्यों के विश्वास में वृद्धि होगी तथा सहकारी समितियों के प्रचालन में सक्रिय सदस्यता को प्रोत्साहन मिलेगा । देश के सभी 72,000 कार्यशील पैक्स को कॉमन राष्ट्रीय ERP-आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है जो उन्हें राज्य सहकारी बैंकों व जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करेगा । इससे न केवल उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी बल्कि उनके प्रचालन व लेनदेन की लागत में भी कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप लाखों किसान सदस्य लाभान्वित होंगे ।

जहां तक बहुराज्य सहकारी समितियों का संबंध है, केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय के कंप्यूटरीकरण का कार्य हो गया है । बहुराज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण, विनियमन, इत्यादि से संबंधित कार्य अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं जिससे इस कार्यालय के कार्यकरण में सुगमता, गति और पारदर्शिता में वृद्धि होगी । इसी तर्ज पर, सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के RCS कार्यालयों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कंप्यूटरीकरण की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है ।

उन्नत बीजों की उपलब्धता और जैविक उत्पादन व निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार ने बीजों, जैविक कृषि और निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर की तीन नई बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना की है जो अपने-अपने क्षेत्रकों में अंब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेंगी और किसानों को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम होंगी । पैक्स से लेकर एपेक्स तक की सहकारी समितियां इनके सदस्य बन कर लाभान्वित हो सकती हैं ।

आज, सहकारी समितियों को वही सुविधाएं और मंच प्रदान किए जा रहे हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर को प्राप्त हो रहे हैं । सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शाखाएं खोलने

और अपने ग्राहकों को डोरस्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है । शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अंब्रेला संगठन नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NUCFDC) की भी स्थापना की गई है । ग्रामीण सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक रीयल एस्टेट/रिहाइशी आवासन क्षेत्र को उधार देने के लिए सक्षम किया गया है ।

सहकारी समितियों द्वारा सामना की जा रही असमानता को हटाने और उन्हें कंपनियों के समरूप लाने के लिए आयकर अधिनियम में यथोचित संशोधन किए गए हैं । इसके साथ ही सहकारी समितियों के पास अधिक पूंजी उपलब्ध रहेगी जो उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी जिससे उनके सदस्य लाभान्वित होंगे । सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार और सशक्तिकरण के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं ।

बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप सहकारी क्षेत्र में सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया गया है । इसके साथ ही इस क्षेत्र के नीति निर्माण में सहायता के लिए एक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी बनाई जा रही है । इसके अलावा, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) जो एक सांविधिक संगठन है और जो राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विकास कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन और वित्तीयन करता है, को भी इस क्षेत्र की आवश्यक्ताओं की पूर्ति हेतु सशक्त किया गया है और वह इस क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय ऋण प्रदाता बनने की ओर अग्रसर है । सहकारी समितियों के विकास में सहायता के लिए NCDC द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें भी की गई हैं ।

अब तक की गई पहलों और उनकी प्रगति की सूची **अनुबंध-II** पर संलग्न है ।

1.5.2 सतर्कता मामले

मंत्रालय में निगरानी व सतर्कता हेतु पारदर्शी, उत्तरदायी और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए अपर सचिव को मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) के रूप में नियुक्त कर सतर्कता इकाई को स्थापित किया गया है।

1.5.3 शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय में एक लोक-शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है । उप-सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके संबंधित विषयों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । मंत्रालय में दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक प्राप्त कुल 30,961 लोक शिकायतें पूर्णत: निष्पादित कर दी गई हैं । वतर्मान में लोक-शिकायतों और संबंधित अपील के निपटान का औसत समय 3 दिनों का है।

सारणी 1.1: CPGRAM पोर्टल के अनुसार वर्ष 2023-2024 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) के लिए शिकायतों के निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	CPGRAMS स्रोत	प्राप्त	निष्पादित	निष्पादन का प्रतिशत
1.	स्थानीय/इंटरनेट	26239	26239	100.00
2.	पीएमओ	4094	4094	100.00
3.	DARPG	489	489	100.00
4.	राष्ट्रपति सचिवालय	136	136	100.00
5.	पेंशन	3	3	100.00
6.	कुल	30961	30961	100.00

1.5.4 आरटीआई मामले

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन: वर्ष 2023-24 के दौरान (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) सहकारिता मंत्रालय में सूचना प्राप्त करने के लिए 2774 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और उनसे संबंधित 235 अपीलें प्राप्त हुई हैं । सभी आवेदनों व अपीलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादित किया गया । प्रभाग-वार केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIOs) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAAs) निर्दिष्ट किए गए हैं । मंत्रालय के संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना प्राधिकारियों और उनके अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

1.5.5 राजभाषा

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग: मंत्रालय में राजभाषा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है । मंत्रालय के अधिकांश कार्य हिन्दी में किए जा रहे हैं । 15 गैर-सरकारी सदस्यों और 7 सरकारी सदस्यों को

मिलाकर मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसकी अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2023 को की गई । मंत्रालय में हिन्दी पखवाड़ा दिनांक 14 से 29 सितम्बर, 2023 के दौरान मनाया गया जिसमें हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ।

1.5.6 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में मंत्रालय में "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया गया है जिससे महिलाओं की सुरक्षा के उपाय सशक्त हों और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके ।

1.5.7 मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का दौरा

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सरकार द्वारा देश में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न नई पहलें की गई हैं । इन पहलों का जमीनी स्तर पर प्रभावशाली कार्यान्वयन तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को समझने के लिए, अक्टूबर-दिसम्बर, 2023 के दौरान सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मियों का राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के दौरों के माध्यम से एक व्यापक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया ।

1.5.8 सहकारिता मंत्रालय में योग दिवस, श्रमदान दिवस, एकता दिवस, हिंदी प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण, और सेवानिवृत्ती कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

योग दिवस 2023

स्वच्छता शपथ समारोह दिनांक 01 अक्टूबर, 2023

स्वच्छता पखवाड़ा 2023

राष्ट्रीय एकता दिवस 2023

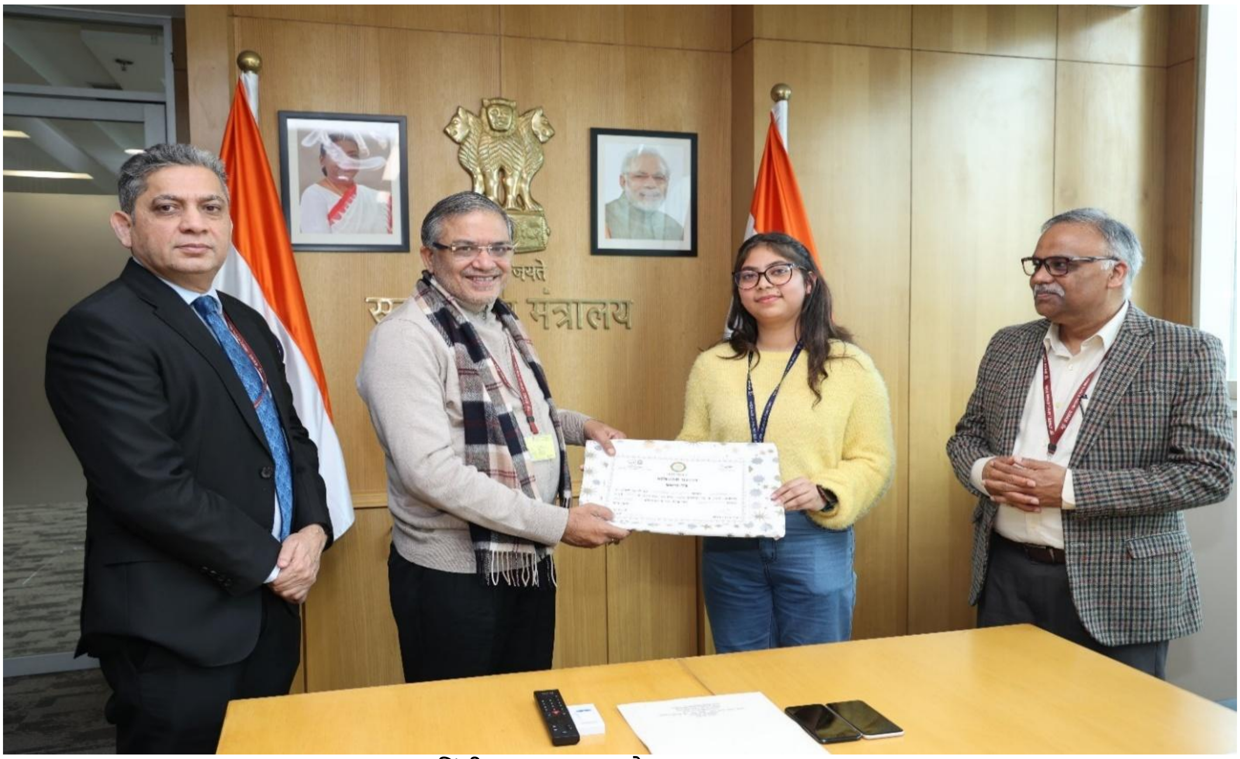

हिंदी पुरस्कार समारोह 2023

सहकारिता मंत्रालय में प्रथम सेवानिवृत्ती कार्यक्रम । दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को दो अधिकारी श्री आलोक अग्रवाल, संयुक्त सचिव और श्री राशिद जलील, निजी सचिव सेवानिवृत्त हुए

1.5.9 सहकारिता मंत्रालय में डिजिटल कार्यकलाप

1. सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in को अपडेट करना और गूगल एनालिटिक्स की सहायता से उसे सूचना से समृद्ध करना । दिनांक 31 मार्च, 2024 तक लगभग 1.20 करोड़ लोगों ने इस पोर्टल को विजिट किया ।
2. https://cooperatives.gov.in के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के पोर्टल का अद्यतन और नई सहकारी समितियों के विकास के लिए डार्क एरिया की पहचान ।
3. मंत्रालय के सभी 150 से भी अधिक कंप्यूटर सिस्टम पर NICNET के माध्यम से साइबर सुरक्षा टूल (युनीफाइड एंडपॉएंट मैनेजमेंट) और उनके नियमित अपडेट का इंस्टॉलेशन ।
4. https://cooperation.eoffice.gov.in पर ई-ऑफिस को 250 उपयोगकर्ता तक बढ़ाना और पिछले वर्जन को नवीनतम ई-ऑफिस वर्जन 7.2.1 में अपग्रेड करना ।
5. विडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो और वेब विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का प्रयोग करके 250 से भी अधिक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए गए ।
6. मंत्रालय की प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग को व्यवस्थित करके ई-ऑफिस के साथ एकीकृत किया गया और मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ।
7. http://moc.attandance.gov.in पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम का कार्यान्वयन
8. मंत्रालय के कर्मियों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों पर जागरुकता का प्रसार
9. मेघराज (क्लाउड) पर मंत्रालय के पोर्टलों के लिए डीआर साइटों की स्थापना
10. https://mocrefund.crcs.gov.in पर सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) रिफंड पोर्टल का शुभारंभ और होस्टिंग
11. https://www.cooperation.gov.in/right-information पर आरटीआई आवेदन का शुभारंभ और डिप्लॉएमेंट
12. https://crcs.gov.in पर सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के पोर्टल का निर्माण और प्रचालन । इस पोर्टल ने बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए संपूर्ण डिजिटल वर्कफ्लो सुनिश्चित किया है ।
13. TRAI छूट प्राप्त प्रशुल्क का उपयोग करके https://sms.gov.in के माध्यम से जागरुकता फैलाने के लिए मंत्रालय की पहलों और लघु विडियो हेतु "**samriddhi.sms**" नामक अकाउंट का निर्माण किया गया । सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के

सदस्यों के लिए 13 भाषाओं में लघु विडियों के लिंक वाली लगभग 1.50 करोड़ SMS भेजे गए हैं ।

14. सहकारिता मंत्रालय के लिए 10 बल्क इमेल सब्सक्रिप्शन वाली एक केंद्रीकृत मेलिंग सिस्टम https://lsmgr.nic.in खोला गया है । यह मंत्रालय की पहलों, परिपत्रों, प्रेस ब्रीफिंग, मीडिया क्लिपों से संबंधित इमेल को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लगभग 6000 कर्मियों को भेजता है।

अध्याय-2

भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका

2.1 भारत में सहकारी आंदोलन का विकास

कानून द्वारा पारित औपचारिक सहकारी संरचनाओं के अस्तित्व में आने के पहले से ही भारत के कई हिस्सों में सहकार और सहकारी कार्यकलापों की अवधारणा की प्रथा प्रचलित थी । ग्राम समुदाय सामूहिक रूप से गाँव के तालाबों या गाँव के जंगलों जैसी स्थायी परिसंपत्तियाँ निर्माण कर रहे थे और अगली फसल से पहले समूह के जरूरतमंद सदस्यों को उधार देने के लिए फसल के बाद खाद्यान्न जैसे संसाधनों को एकत्रित कर रहे थे, या समूह के सदस्यों को उधार देने के लिए नियमित अंतराल पर नकद पैसे इकट्ठे करने के लिए छोटे-मोटे अंशदान कर रहे थे ।

कृषि बैंकों का प्रस्ताव पहली बार सन् 1858 में और पुन: सन् 1881 में अहमदनगर के जिला न्यायाधीश श्री विलियम वेडरबर्न द्वारा न्यायमूर्ति एम.जी. रानाडे के परामर्श से रखा गया परंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया । मार्च, 1892 में मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर द्वारा श्री फ्रेडरिक निकोलसन को इस प्रेसीडेंसी में कृषि या अन्य भूमि बैंकों की एक प्रणाली शुरू करने की संभावना की पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई । उन्होंने सन् 1895 और सन् 1897 में दो खंडों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । वर्ष 1901 में, अकाल आयोग ने पारस्परिक ऋण संघों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण कृषि बैंकों की स्थापना की सिफारिश की और कृषि बैंकों के अंतर्निहित सिद्धांतों का भी सुझाव दिया ।

2.1.1 स्वतंत्रता पूर्व युग में सहकारी समितियों का विकास

एडवर्ड लॉ समिति की सिफारिशों के आधार पर 25 मार्च, 1904 को सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम, जो क्रेडिट सहकारी समितियों तक सीमित था, का अधिनियमन किया गया । इस अधिनियम के अधीन वर्ष 1911 तक 5,300 समितियाँ थीं जिनमें तीन लाख से अधिक सदस्य जुड़े थे ।

1912 का सहकारी सोसाइटी अधिनियम, सहकारी समितियों में संघों के प्रावधानों के साथ गैर-क्रेडिट सहकारी समितियों के उपबंधों के लिए अधिनियमित किया गया था । इस अधिनियम के साथ, क्रेडिट क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों ने प्राथमिक सहकारी समितियों और व्यक्तियों को अपने सदस्य के रूप में शामिल कर स्वयं को केंद्रीय सहकारी बैंकों में परिवर्तित कर लिया । पहली सहकारी आवासन समिति, मद्रास सहकारी संघ वर्ष 1914 में, बॉम्बे सेंट्रल सहकारी संस्थान वर्ष 1918 में और बंगाल,

बिहार, उड़ीसा, पंजाब, आदि में इसी तरह की संस्थाएँ अस्तित्व में आईं । सन् 1914 में एडवर्ड मैकलेगन समिति ने अल्पकालिक और मध्यम अवधि के वित्त प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक मजबूत त्रि-स्तरीय संरचना के निर्माण की सिफारिश की जिसमें सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक, मध्य-स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और शीर्षस्थ स्तर पर प्रांतीय सहकारी बैंक थे ।

वर्ष 1919 में सुधार अधिनियम के पारित होने के साथ, सहकारिता को एक विषय के रूप में प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया गया । पहला प्रांतीय अधिनियम, अर्थात बॉम्बे सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो वर्ष 1925 में पारित हुआ था, में अन्य बातों के साथ-साथ एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की शुरूआत की गई । वर्ष 1928 में कृषि पर रॉयल कमीशन ने भूमि बंधक बैंकों की स्थापना की सिफारिश की । इस समय का एक और प्रमुख विकास वर्ष 1929 में अखिल भारतीय सहकारी संस्थानों के संघ की स्थापना थी । वर्ष 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना कृषि ऋण को गति देने का एक महत्वपूर्ण कदम था ।

वर्ष 1937 में मेहता समिति ने सहकारी क्रेडिट समितियों को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के रूप में पुनर्गठित करने की सिफारिश की । वर्ष 1939-1945 की अवधि के दौरान, कई समितियों ने बैंकिंग कार्य शुरू कर दिए थे और समय के साथ इनके आकार और संचालन में वृद्धि सहित इनके कार्यकलापों मे भी काफी विविधता आई ।

एक से अधिक राज्यों से आने वाले सदस्यों की सदस्यता वाली सहकारी समितियों के उद्भव के साथ, ऐसी बहुएकक या बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक सक्षम सहकारी कानून की आवश्यकता महसूस की गई । वर्ष 1942 में बहुएकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम पारित किया गया, जिसने सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक की शक्ति राज्य पंजीयकों को प्रत्यायोजित की । वर्ष 1945 में श्री आर.जी. सरैया की अध्यक्षता में सहकारी योजना समिति ने पाया कि आर्थिक योजना के लोकतंत्रीकरण के लिए सहकारी समितियाँ सबसे उपयुक्त माध्यम थीं ।

श्री त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में दिनांक 14 दिसंबर, 1946 को इतिहास रचा गया जब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स मिल्क यूनियन जिसे आमतौर पर अमूल के नाम से जाना जाता है, को बॉम्बे सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1925 के अधीन पंजीकृत किया गया । श्री वैकुंठ भाई मेहता ने बॉम्बे सरकार के प्रभारी सहकारिता मंत्री के रूप में पदभार संभाला, जिसके बाद प्रांत में

सहकारी आंदोलन को गति मिली । सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण पर जनार्दन मदन समिति ने सहकारी शिक्षा कार्यक्रमों और शिक्षा कोष की स्थापना की सिफारिशें कीं ।

2.1.2 स्वतंत्रता पश्चात् युग में सहकारी समितियों का विकास

वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सहकारी विकास को गति मिली, जिसमें योजना आयोग द्वारा निर्मित्त विभिन्न योजनाओं में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई ।

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) ने भारत में सहकारी आंदोलन के विज़न और आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिए बेहतर संगठनों के रूप में सहकारी समितियों और पंचायतों पर जोर देने के औचित्य को रेखांकित किया । वर्ष 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण ऋण की एक एकीकृत प्रणाली शुरू करने, सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में सरकार की भागीदारी और उनके बोर्ड में सरकारी नामितियों की नियुक्ति की सिफारिश की और इस प्रकार उनके प्रबंधन में प्रतिभाग किया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961) ने इस बात पर जोर दिया गया कि "योजनाबद्ध विकास के एक हिस्से के रूप में सहकारी क्षेत्र का निर्माण" राष्ट्रीय नीति के केंद्रीय उद्देश्यों में से एक था । इस अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास कोष की भी स्थापना की गई, ताकि राज्य देश की गैर-क्रेडिट सहकारी संस्थानों की शेयर पूंजी के अभिदान के उद्देश्य से उधार ले सकें । सहकारी कानून पर श्री एस.टी. राजा समिति ने वर्ष 1956 में राज्य सरकारों के विचारार्थ एक आदर्श विधेयक की सिफारिश की । कई राज्य सरकारों ने आदर्श विधेयक के अनुरूप अपने अधिनियमों में संशोधन किया । वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद संकल्प इस समय का एक और महत्वपूर्ण विकास था । द्वितीय योजना में कृषि उपज का सहकारी विपणन और प्रसंस्करण, सहकारी विकास की एकीकृत योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था । लगभग 1900 प्राथमिक विपणन समितियाँ स्थापित की गईं और सभी राज्यों में राज्य विपणन संघ स्थापित किए गए तथा केंद्र में राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई । कृषि सहकारी समितियों के साथ-साथ विपणन सहकारी समितियों ने किसानों को ऋण और निविष्टि प्रदान करने के साथ-साथ उनके बढ़े हुए उत्पादन को संसाधित करके हरित क्रांति को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-1966) ने इस बात पर बल दिया कि "सहकार, आर्थिक जीवन की शाखाओं, विशेष कर कृषि, लघु सिंचाई, लघु उद्योग और प्रसंस्करण, विपणन, वितरण, ग्रामीण

विद्युतीकरण, आवासन और निर्माण और स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान में संगठन का प्रमुख आधार बनना चाहिए । यहां तक कि मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों और परिवहन में भी सहकारी तर्ज पर गतिविधियों की बढ़ती श्रृंखला शुरू की जा सकती है ।"

साठ के दशक के मध्य से कृषि प्रसंस्करण सहकारी समितियां, विशेषकर चीनी और कताई के क्षेत्र की संख्या और उनके द्वारा योगदान में वृद्धि हुई, जो सहकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण सहायता प्रदान करने की सरकार की नीति द्वारा मुख्य रूप से प्रेरित थी । दुग्ध में सहकारी समितियों के आनंद पैटर्न को दोहराने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत भारतीय डेयरी निगम (अब एनडीडीबी) की स्थापना से भारतीय डेयरी सहकारी आंदोलन को गति मिली । वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद उपभोक्ता सहकारी संरचना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), दोनों को मजबूत किया गया । शहरी सहकारी क्रेडिट समितियों में सार्वजनिक जमा की वृद्धि के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक की जमा बीमा योजना के अंतर्गत इनका बीमा करने की आवश्यकता महसूस की गई ।

1960 के दशक में अस्तित्व में आए कुछ राष्ट्रीय संस्थान

- केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 1962 में कृषि पुनर्वित्तीयन निगम की स्थापना की गई ।
- वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया गया ।
- विभिन्न राष्ट्रीय सहकारी संघों की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) का पुनर्गठन किया गया ।
- वर्ष 1967 में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM) की स्थापना पुणे में किया गया ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974) में सहकारी अल्पकालिक और मध्यमकालिक संरचना को व्यवहार्य बनाने के लिए सहकारी समितियों के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी गई । वर्ष 1965 में मिर्धा समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में सहकारी कानून में संशोधन हुए ।

पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-1978) में अतिदेय के उच्च स्तर पर ध्यान दिया गया । सहकारी विकास के लिए इसकी अनुशंसित रणनीति में क्षेत्रीय असंतुलन में सुधार और सहकारी समितियों को

वंचितों की ओर पुन:उन्मुख करने के लिए इसकी संरचनात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया । योजना में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा परिकल्पित किसान सेवा सहकारी समितियों के गठन की सिफारिश की गई और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) में निर्धन ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में अधिक व्यवस्थित रूप से निर्देशित किए जाने वाले सहकारी प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया गया । योजना ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को सशक्त और व्यवहार्य बहुउद्देश्यीय इकाइयों में पुनर्गठित करने के लिए कदमों की सिफारिश की । इसने उपभोक्ता और विपणन सहकारी समितियों के बीच लिंकेज को सुदृढ़ करने का भी सुझाव दिया ।

नाबार्ड अधिनियम, 1981

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम को वर्ष 1981 में पारित किया गया और नाबार्ड की स्थापना सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तीयन सहायता प्रदान करने और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों की पूर्ति करने के लिए की गई थी ।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984

बहुराज्य समितियों के सुचारू कार्यकरण को सुगम बनाने और उनके प्रशासन व प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून लाने के उद्देश्य से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को अधिनियमित किया गया । वर्ष 1942 की बहुएकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया ।

सातवी पंचवर्षीय योजना (1985-1990) में अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहु-व्यवहार्य इकाइयों के रूप में विकसित करने; ऋण के प्रवाह का विस्तार करने और विशेष रूप से दुर्बल वर्गों के लिए निविष्टियां और सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का पुनर्गठन करने; पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम; शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई ।

सरकार ने वर्ष 1985 में सहकारी समितियों में प्रबंधन के लोकतंत्रीकरण और पेशेवरता के लिए सहकारी कानून पर एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता श्री के.एन. अर्धनारीश्वरन ने की ।

इसी प्रकार, वर्ष 1989 में प्रोफेसर ए.एम. खुसरो की अध्यक्षता में कृषि ऋण समीक्षा समिति का गठन किया गया जिसने कृषि और ग्रामीण ऋण की समस्याओं की जांच की और प्रमुख प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश की ।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002

वर्ष 1984 में अधिनियमित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम को वर्ष 2002 में निरस्त करके उसके स्थान पर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 लाया गया ।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2002

वर्ष 2002 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा की । नीति का उद्देश्य देश में सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुकर करना था । यह नीति सहकारी समितियों को स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थानों के रूप में कार्य करने, अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने का वादा करती है ।

सहकारिता राज्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 2002 में राष्ट्रीय सहकारी नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु मंत्री स्तर के कार्य बल का गठन किया । इस कार्यबल ने सुझाव दिया कि राज्यों में समानांतर कानूनों के बजाय एक ही कानून लागू किया जाना चाहिए ।

एनसीडीसी संशोधन अधिनियम, 2002

ऋण देने के दायरे में सुधार लाने और इसके निधीयन में बदलाव की आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया ताकि अधिसूचित सेवाओं, पशुधन और औद्योगिक कार्यकलापों को शामिल किया जा सके तथा सबसे जरूरी यह कि यथोचित प्रतिभूति के विरुद्ध सहकारी समितियों का प्रत्यक्ष निधीयन किया जा सके ।

सहकारी क्रेडिट संस्थानों के पुनरुद्धार पर कार्यबल

ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली को पुन: मजबूत करने, ग्रामीण ऋण को तीन वर्षों में दोगुना सुनिश्चित करने और संस्थागत ऋण द्वारा लघु और सीमांत किसानों के कवरेज में वस्तुत: विस्तार करने

के लिए, भारत सरकार ने अगस्त, 2004 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों को पुन:सक्रिय करने के लिए एक कार्य योजना और इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपायों का सुझाव देने के लिए प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन के नेतृत्व में एक कार्यबल का गठन किया । इसके संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्यबल की सिफारिशें मूल रूप से क्रेडिट सहकारी समितियों के पुनरुद्धार तक ही सीमित थीं, जिसके लिए इसने एक वित्तीय पैकेज का सुझाव दिया था । वैद्यनाथन समिति ने एक आदर्श सहकारी कानून का भी सुझाव दिया जिसे राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है । वैद्यनाथन समिति ने दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना पर भी अपनी रिपोर्ट दी ।

संविधान (सत्तानवेवां) (संशोधन) अधिनियम, 2011: संविधान (सत्तानवेवां) (संशोधन) अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया और निम्नलिखित प्रावधान किए, अर्थात्:

(i) संविधान के भाग III में अनुच्छेद 19(1)(सी) में "सहकारी समितियाँ" शब्द अंतर्विष्ट करके सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया ।

(ii) सहकारी समितियों के संवर्धन के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अनुच्छेद 43बी को संविधान के भाग IV में अंतर्विष्ट किया गया ।

(iii) सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के उपबंधों के लिए भाग IX बी 'सहकारी समितियां' अंतर्विष्ट किया गया ।

संविधान (सत्तानवेवां) (संशोधन) अधिनियम, 2011 दिनांक 15.02.2012 से प्रवृत्त हुआ । तथापि, गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.04.2013 के अपने आदेश में यह निर्णय दिया कि संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 जिसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT वाले भाग-IXख को जोड़ा गया था, वे भारतीय संविधान के अधिकारातीत (ultra vires) है क्योंकि अधिकांश राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन (ratification) प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 368(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था । यह आदेश संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अन्य हिस्सों को प्रभावित नहीं करेगा । तथापि, उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका में दिनांक 20.07.2021 के बहुमत निर्णय से फैसला दिया कि भारतीय संविधान का भाग IXख केवल उसी हद तक कार्यशील है जहां तक उसका संबंध बहुराज्य सहकारी समितियों से है ।

2.2 भारत में सहकारी क्षेत्र की संरचना

भारत में सहकारी प्रणाली को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् ऋण और गैर-ऋण सहकारी समितियाँ । क्रेडिट सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, उपभोग और विपणन के लिए किफायती ब्याज दरों पर ऋण सुनिश्चित करती हैं, उपभोक्ता सहकारी समितियां

रियायती दरों पर किसानों की उपभोग मांग को पूरा करती हैं और विपणन समितियां वस्तुओं के लेनदेन में बिचौलियों को खत्म करके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती हैं । सहकारी समितियाँ कृषि और लघु उद्योग विपणन, प्रसंस्करण, वितरण और आपूर्ति से संबंधित कार्यकलाप भी करती हैं । नीचे दी गई सारणी देश भर में समितियों की कुल संख्या और इन समितियों में पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या दर्शाती है-

क्रम सं.	**क्षेत्रक**	**सहकारी समितियों की कुल संख्या**	**सदस्यों की कुल संख्या**
1	कृषि और संबद्ध सहकारी समिति	26,798	98,36,270
2	कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	22,735	25,31,349
3	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति	290	38,181
4	उपभोक्ता सहकारी समिति	21,067	63,75,920
5	क्रेडिट और थ्रिफ्ट समिति	80,330	4,32,75,731
6	डेयरी सहकारी समिति	1,41,807	1,56,87,794
7	शैक्षणिक और प्रशिक्षण सहकारी समिति	401	78,717
8	मात्स्यिकी सहकारी समिति	25,649	46,74,279
9	हस्तशिल्प सहकारी समिति	5,076	3,69,840
10	हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति	19,576	51,56,723
11	आवासन सहकारी समिति	1,91,734	1,46,65,027
12	जूट और कॉएर सहकारी समिति	57	5,755
13	श्रमिक सहकारी समिति	44,545	14,91,300
14	पशुधन और कुक्कुट सहकारी समिति	16,677	13,39,349
15	विपणन सहकारी समिति	9,121	45,90,611
16	विविध ऋण सहकारी समिति	5,830	89,19,537
17	विविध गैर-क्रेडिट सहकारी समिति	30,660	25,05,838
18	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	20,397	25,82,130
19	प्राथमिक कृषि क्रेडिट सहकारी समिति (पैक्स/FSS/LAMPS)	1,03,304	13,99,27,330
20	रेशम उत्पादन सहकारी समिति	499	67,149
21	सामाज कल्याण और सांस्कृतिक सहकारी समिति	2,069	2,91,308
22	चीनी मिल सहकारी समिति	281	47,83,246
23	पर्यटन सहकारी समिति	479	2,80,400
24	परिवहन सहकारी समिति	4,175	7,04,336
25	जनजातीय- अनु.जा./अनु.ज.जा. सहकारी समिति	1,521	10,33,894

26	शहरी सहकारी बैंक (UCB)	1,334	1,46,46,837
27	महिला कल्याण सहकारी समिति	24,261	54,21,424
	कुल	**8,00,673**	**29,12,80,275**

स्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) 31.03.2024 तक

2.2.1 क्रेडिट सहकारी समितियाँ

क्रेडिट सहकारी समितियों में ग्रामीण ऋण वितरण के लिए त्रि-स्तरीय संरचना है जिसमें ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स), जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (StCB) हैं । शहरी क्षेत्रों को शहरी क्रेडिट सहकारी समितियों और शहरी सहकारी बैंकों (UCB) द्वारा सेवा प्रदान की जाती है ।

सहकारी बैंक/क्रेडिट समितियां अंतिम छोर तक ऋण वितरण सुनिश्चित करते हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पोर्टल, सहकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत में लगभग 1.86 लाख क्रेडिट सहकारी समितियां हैं, जिनमें प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक (PCARDBS), शहरी सहकारी बैंक (UCBs), कर्मचारी थ्रिफ्ट और अन्य क्रेडिट सहकारी समितियां, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (DCCBs), राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDBs) शामिल हैं ।

सहकारी बैंकिंग संरचना भारतीय वित्तीय तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ प्राप्त होता है । सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के ठोस प्रयासों द्वारा विनियामक संरचना में सुधार और पूंजी जुटाने में अधिक स्वतंत्रता आई है जबकि जमा बीमा में सुधारों के लिए इन बैंकों में जमाकर्ताओं के विश्वास को पुन: बहाल करने की आवश्यकता थी । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, तनावग्रस्त आस्तियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड सहित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विनियमों को अन्य विनियमित संस्थानों (REs) के समरूप लाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए । अपने व्यावसायिक प्रचालनों में अधिक लचीलापन लाने के लिए सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में विनियमित संस्थानों को उधारकर्ता सेवा प्रदाताओं (LSPs) और डिजिटल उधारकर्ता मंच के साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है ।

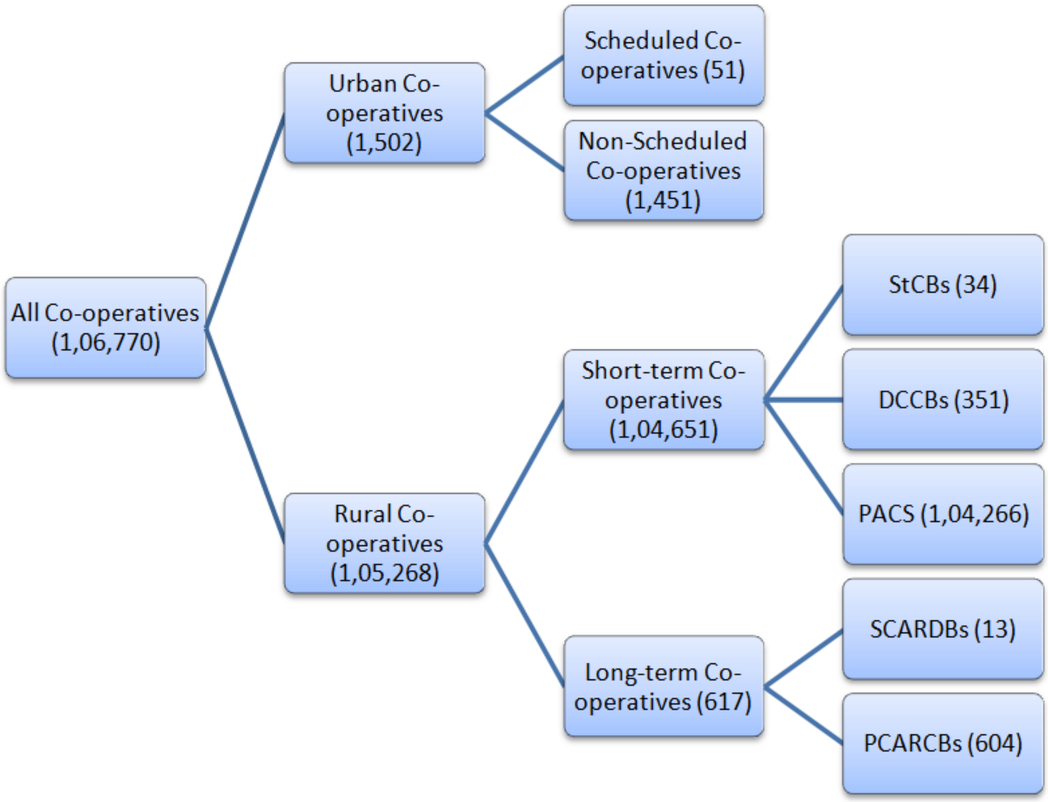

नोट: 1. StCBs: राज्य सहकारी बैंक; DCCBs: जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; पैक्स: प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां; SCARDBs: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; PCARDBs: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शहरी सहकारी बैंकों के लिए मार्च, 2023 के अंत में और ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए मार्च, 2022 के अंत में संस्थानों की संख्या दर्शाते हैं ।

स्रोत: RBI, NABARD और NAFSCOB.

भारत में सहकारी बैंकिंग, देश के वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है और विविध समुदायों की सेवा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है । ये बैंक अपने सदस्यों और जनता द्वारा किए गए जमा को एकत्रित करता है और बचत खाता से लेकर मियादी जमा तक, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न जमा योजनाओं का विकल्प प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंक अपने सदस्यों को ऋण व अग्रिम प्रदान करते हैं और मुख्यत: कृषि, लघु उद्योगों और सूक्ष्म उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं । ये ऋण प्राय: प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और लचीले पुनर्भुगतान शर्तों पर दिया जाता है जो ऋण लेने वालों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है जिनके पास औपचारिक बैंकिंग चैनल तक सीमित पहुंच हो सकती हैं । सदस्यों को सुगम वित्तीय

सेवाएं प्रदान करने तथा सहकार की भावना को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंक, भारत में समाज के वंचित वर्गों की वित्तीय समावेशिता और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ।

देश में शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा जमा कुल धनराशि नीचे दिए गए चित्रात्मक रूप द्वारा दर्शाया गया है:

STATEWISE

BANK DEPOSITS - COOPERATIVE BANKS

Map shows States with deposits (Rupees in Thousand Crore) as on 31st March 2022 as per RBI & NABARD Report

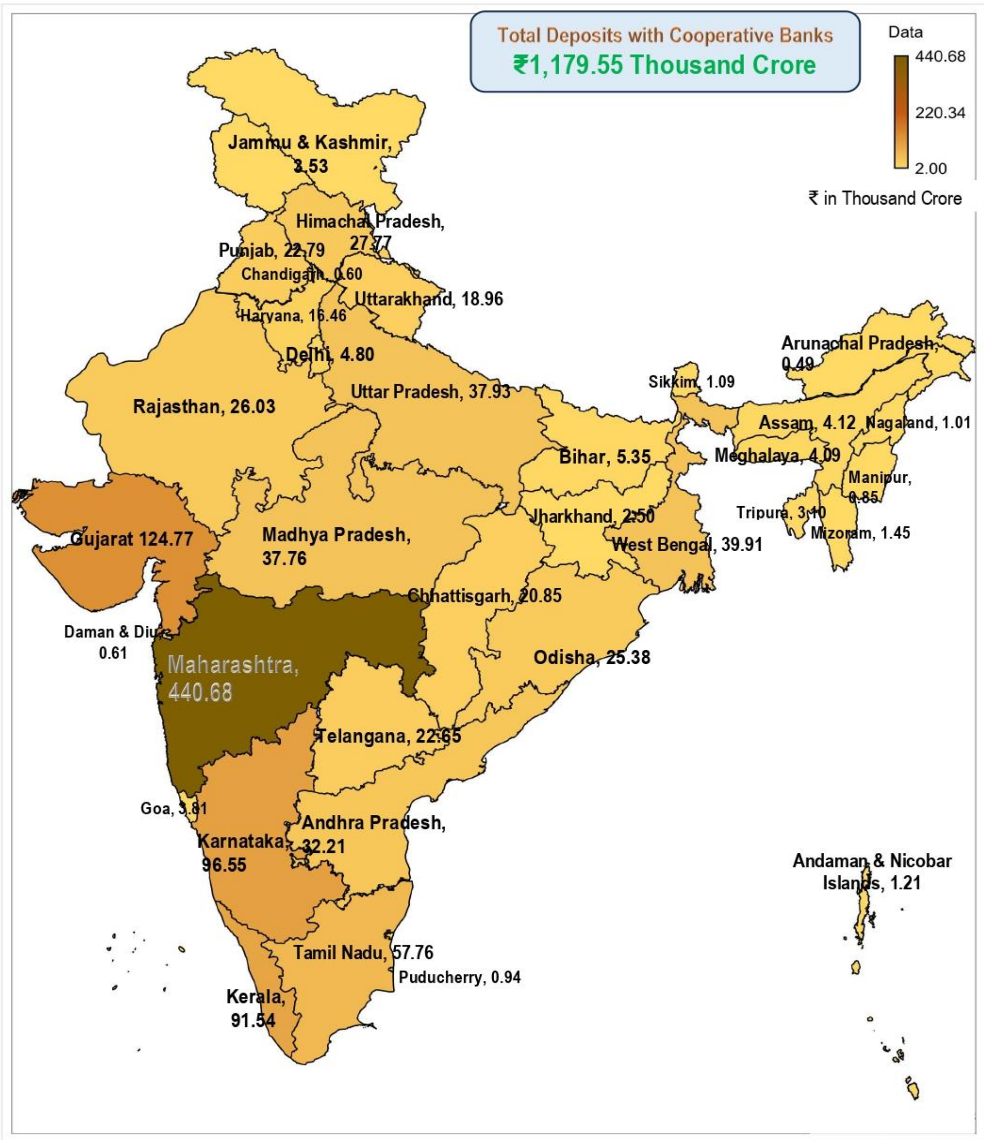

शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित ऋण की जमा कुल धनराशि नीचे दिए गए चित्रात्मक रूप द्वारा दर्शाया गया है: शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने या अन्यथा और उनकी भौगोलिक पहुंच (एकल-राज्य या बहु-राज्य) के आधार पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है । मार्च, 2023 के अंत में, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में 1,502 शहरी सहकारी बैंक और 1,05,268 ग्रामीण सहकारी समितियाँ शामिल थीं ।

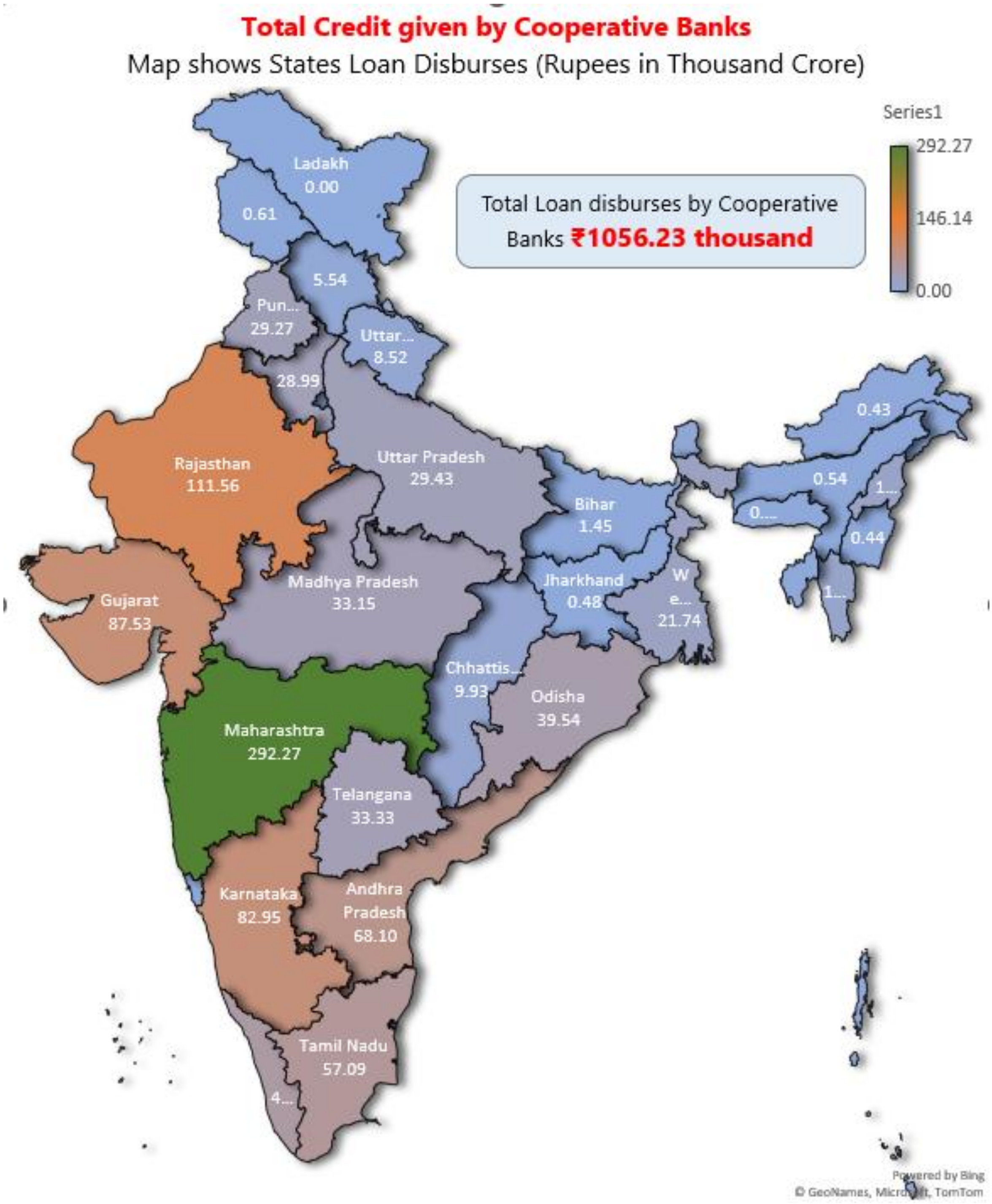

इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जैसे केंद्रीय सरकार के संगठन भी सहकारी ऋण के प्रवाह में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सहकारिता मंत्रालय, सहकारी बैंकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के समाधान के लिए राष्ट्रीय महासंघों, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है।

2.2.2 गैर-क्रेडिट सहकारी समितियाँ

गैर-ऋण क्षेत्र में कृषि, मात्स्यिकी, बागवानी, डेयरी, आवासन, जनजातीय, श्रमिक, बुनकर, उपभोक्ता, औद्योगिक, विपणन, प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, परिवहन, बुनियादी सेवाएं, पर्यटन आदि में लगी सहकारी समितियां शामिल हैं।

2.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की महत्ता

देश में लगभग 8 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिनमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से 29 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित कार्यकलापों में लगे हुए हैं। सहकारी क्षेत्र ने हमेशा अपने सदस्य चालित और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के साथ देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कृषि और औद्योगिक इनपुट सेवाओं, सिंचाई, विपणन, प्रसंस्करण और सामुदायिक भंडारण इत्यादि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए समय पर, पर्याप्त और डोर-स्टेप कमोडिटी और सेवा सपोर्ट के प्रवाह को बढ़ाने की दिशा में न्यायसंगत और ठोस प्रयास और मुर्गीपालन, मात्स्यिकी, बागवानी, डेयरी, कपड़ा, उपभोक्ता, आवासन, स्वास्थ्य जैसी कुछ अन्य गतिविधियों के लिए भी सुनिश्चित करने की आवश्यक क्षमता है। सहकारी मॉडल हमारे समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को आर्थिक विकास का अग्रणी बना सकता है और व्यापक वित्तीय समृद्धि पैदा कर सकता है।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 21/05/2023 को गांधी नगर गुजरात में भारत में जैविक परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने गांधी नगर गुजरात के अमूलफेड डेयरी में जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया

12 अगस्त 2023 को गुजरात में इफको के कांडला प्लांट में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा इफको नैनो डीएपी (तरल) प्लांट का शिलान्यास समारोह

"वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर" के अनुसार, भारत में कुछ कृषि और डेयरी सहकारी समितियाँ विश्व स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियाँ बनकर उभरी हैं । इफको, आनंद पैटर्न डेयरी मॉडल, महिला केंद्रित लिज्जत गृह उद्योग मॉडल, मुलुकनूर महिला डेयरी सहकारी समिति, सेवा

समूह और विभिन्न अन्य सहकारी समितियों और संघों जैसी स्थापित सहकारी मॉडल हैं । सौर और बायो-गैस सहकारी समितियों जैसी कई नवीन सहकारी समितियाँ भी उभरी हैं ।

2.4 सहकारिता में सहकार अभियान

2.4.1 गुजरात में पायलट परियोजना

सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को सशक्त करने , ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करने और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल DCCB में दिनांक 21 मई, 2023 को पायलट परियोजना की शुरुआत हुई । इस पायलट परियोजना को निम्नलिखित तरीकों से सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की दृष्टि से शुरू किया गया है:

क. सहकारी समितियों के बीच सहयोग-

- डीसीसीबी/ एसटीसीबी का **बैंक मित्र** बनाया जाना ।
- सहकारी बैंकों में सदस्यों के बैंक खाते खोलकर पारस्परिक सशक्तिकरण ।

ख. **माइक्रो-एटीएम** के माध्यम से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करते हुए दरवाजे पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना ।

ग. **रुपे केसीसी** के वितरण के माध्यम से प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों को केसीसी मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

2.4.2 पायलट परियोजना के दौरान

शुरुआत में दो डीसीसीबी में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान बनासकांठा में करीब 3 लाख और पंचमहल में करीब 1.4 लाख जमा खाते खोले गए । नई बैंक मित्र सहकारी समितियों को 1723 माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए। इसके अलावा, सदस्यों को 20,000 से अधिक नए रुपे केसीसी वितरित किए गए ।

2.4.3 राज्यवयापी अभियान के दौरान

पायलट प्रोजेक्ट के तर्ज पर दिनांक 15 जनवरी 2024 को **सहकारिता में सहकार** नामक एक राज्यव्यापी अभियान पूरे गुजरात में शुरू किया गया । इस अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक

- 2.2 लाख से अधिक जमा खाते खोले गए
- जमा राशि में लगभग 1700 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई

- कुल 153 डेयरी सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाया गया तथा घर बैठे बैंकिंग सुविधा हेतु 95 माइक्रो एटीएम प्रदान किए गए ।
- प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रभावी रूप से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लगभग 8 हज़ार से अधिक रुपे KCC वितरित ।
- डिजिटल लेन-देन 75.8 6 लाख रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 82.19 लाख रुपए प्रतिदिन हो गया है ।

अध्याय-3

3. सहकारी समितियों का सशक्तिकरण: रणनीति एवं पहलें

"गांव के स्वावलंबन के लिए सहकार एक उत्तम माध्यम है, इसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है"

– श्री नरेंद्र मोदी

देश में सहकारिता आंदोलन का वितरण असमान है, जिसके कारण राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर सहकारिता के प्रसार और पहुंच में असंतुलन है । कई राज्यों की अभी भी अपनी स्वयं की सहकारिता नीति नहीं है और कतिपय राज्यों में एक से अधिक सहकारी अधिनियम हैं । राष्ट्र के सहकारी आंदोलन को संवर्धित करने के लिए विनियामक संरचना में विभिन्न अधिनियमों के विस्तारण व प्रवर्तन उपायों पर विचार करना और उन्हें सशक्त करना जरूरी है ।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का भारतीय बीज सहकारी समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर संबोधन

3.1 पैक्स का सशक्तिकरण

देश में 1 लाख से भी अधिक पैक्स हैं जिनसे प्रत्यक्ष रूप से लगभग 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसान जुड़े हैं । वे ग्रामीण सहकारी परितंत्र की बुनियाद के रूप में सेवाएं प्रदान करती हैं और अपने किसान सदस्यों की मूलभूत अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण तथा कृषि संबंधी अन्य निविष्टियों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं । अत:, यह आवश्यक है कि उनको संवहनीय और जीवंत आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए जिससे ये ग्रामीण जनता की विविध जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकें ।

अपने व्यापक नेटवर्क और गहरी पहुंच के मद्देनज़र ये प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियां, केंद्रीय और राज्य सरकार की विभिन्न पहलों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए उत्तम साधन हैं । यदि इन्हें जमीनी स्तर तक सशक्त किया जाता है तो उनमें कृषि से लेकर स्वास्थ्य देखभाल और जलापूर्ति तक, संपूर्ण ग्रामीण परिदृश्य को साकारात्मक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता होगी जिसके फलस्वरूप उत्पादक और उपभोक्ता, दोनों लाभान्वित होंगे ।

सहकारिता मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर पैक्स को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

3.1.1 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण

भारत सरकार ने 2,516 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की एक परियोजना को अनुमोदित किया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित एक कॉमन सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है ।

पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होगा, लेनदेन की लागत में कमी होगी और पारदर्शिता में वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त, पैक्स प्रचालनों के प्रति किसानों में विश्वसनीयता की भी वृद्धि होगी । कॉमन लेखांकन प्रणाली (CAS) और सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) के कार्यान्वयन से पैक्स प्रक्रियाओं के मानकीकरण और व्यावसायिक आचरण में एकरूपता लाकर सुगम प्रचालन कर सकेंगे । इससे पैक्स की वित्तीय समावेशिता भी बढ़ेगी और किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को सेवा अदायगी भी सशक्त होगी ।

माननीय प्रधामंत्री द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में देशभर के 18,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया गया ।

माननीय प्रधामंत्री द्वारा 18,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ

अब तक इस परियोजना के अंतर्गत 30 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 67,009 पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है । नाबार्ड द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है जिसमें कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम के हिस्से के रूप में बैंकिंग, एक्स्टर्नल इंटिग्रेशन/इंटरफेसेस, CBS इंटिग्रेशन, वित्तीय लेखांकन व कर प्रशासन तथा शासन, विनियमन, इत्यादि सहित विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं । इसके अलावा, पैक्स के सभी कार्यों पर डेटा कैप्चर करने की राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए इसे कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है । यह व्यापक ERP सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन साइबर सुरक्षा के साथ-साथ सदस्यता, वित्तीय सेवाएं, जमा, ऋण, संपरीक्षण, प्रापण, प्रसंस्करण इकाइयां, जनवितरण प्रणाली (PDS), व्यवसाय नियोजन, भंडारण, उधार, आस्ति प्रबंधन, इत्यादि सहित विभन्न पहलुओं को कवर करता है ।

27 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के 24,000 से भी अधिक पैक्स को ERP सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है । अब तक 26 राज्यों में 55,000 से भी अधिक पैक्स ने हार्डवेयर की खरीद कर ली

है। 27 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लगभग 28,000 पैक्स के लीगेसी डेटा का डिजिटलीकरण किया जा चुका है ।

3.1.2 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के लिए आदर्श उपविधियां

भारत में 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स) हैं जो अल्पकालिक सहकारी ऋण (STCC) संरचना के सबसे निचले स्तर के रूप में कार्यरत हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । पैक्स सदस्य किसानों को अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण तथा उर्वरक/बीज/कीटनाशक वितरण एवं भंडारण सुविधाएं, इत्यादि जैसी अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं । वर्तमान में पैक्स अलग-अलग राज्यों की सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों द्वारा शासित होते हैं । पैक्स के निष्क्रिय बनने में अनेक कारकों का योगदान होता है जैसे संगठनात्मक कमजोरियां, अकुशल प्रबंधन, ऋण देने के लिए अपर्याप्त संसाधन, और अल्पकालिक ऋण से प्राप्त अपर्याप्त आय जो उनकी वित्तीय संवहनीयता के लिए पर्याप्त नहीं है ।

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) की व्यवहार्यता में सुधार लाने और उनके व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधीकरण तथा पंचायत/गांव के स्तर पर उन्हें एक जीवंत आर्थिक इकाइयों के रूप में परिवर्तित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा आदर्श उपविधियों का निर्माण किया गया है ।

आदर्श उपविधियां तैयार करने के लिए नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), इत्यादि के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके एक राष्ट्र स्तरीय समिति का गठन किया गया था । इस समिति द्वारा तैयार आदर्श उपविधियों के प्रारूप को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों, नाबार्ड, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और आम जनता जैसे सभी हितधारकों को उनकी टिप्पणियों के लिए दिनांक 01 जुलाई, 2022 को परिचालित किया गया था और उन्हें फीडबैक/ सुझावों के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया था ।

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से 1,500 से भी अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें आदर्श उपविधियों के प्रारूप में यथोचित रूप से अंतर्विष्ट किया गया । प्राप्त सुझावों को अंतर्विष्ट करने के पश्चात् आदर्श उपविधियां पुन: सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को दिनांक 05 जनवरी, 2023 को परिचालित किए गए ताकि संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुरूप उनमें यथोचित संशोधन करके पैक्स द्वारा उन्हें अपनाया जा सके । आदर्श उपविधियों को 32

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है या उनकी मौजूदा उपविधियां मॉडल उपविधियों के अनुरूप हैं ।

ये आदर्श उपविधियां पैक्स को डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों की स्थापना; खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों की खरीद, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हाइरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकान (FPS), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय अभिकर्ता कार्य, कॉमन सेवा केन्द्र, इत्यादि सहित 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करेंगे । महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने के उपबंध भी किए गए हैं ।

आदर्श उपविधियां अंगीकार करके पैक्स एक बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर सकेंगे, अपनी प्रचालन कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार कर सकेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण और विभिन्न गैर-ऋण सेवाएं, आदि प्रदान कर सकेंगे ।

आदर्श उपविधियों से किसानों को अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋण; उर्वरक, बीज, कीटनाशक, भंडारण सुविधाएं, बैंकिंग सेवाएं, इत्यादि प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिससे उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एक ही स्थान पर हो सकेगी । किसानों को सामाजिक सुरक्षा योजना, माइक्रो बीमा, CSC की 300 से भी अधिक ई-सेवाएं भी प्राप्त हो सकेंगी । आदर्श उपविधियों द्वारा व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता से किसानों को आय के अतिरिक्त और स्थायी स्रोत भी प्राप्त होंगे ।

अब तक 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने नई आदर्श उपविधियों को अंगीकार कर लिया है या उनकी मौजूदा उपविधियां, आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं । तीन संघ राज्यक्षेत्र, अर्थात् दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में कोई पैक्स नहीं है ।

3.1.3 कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स

देशभर में नागरिकों को कॉमन सेवा केंद्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं, पैक्स के माध्यम से प्रदान करने के लिए दिनांक 02 फरवरी, 2023 को सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ ।

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियाँ (पैक्स) देश भर में फैली हैं जिनमें 13 करोड़ से भी अधिक किसानों की विशाल सदस्यता है । देश के किसानों के बीच उनकी गहरी पहुंच के कारण वे अपने कार्यक्षेत्र में नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, निवेशक जागरुकता, कानूनी साक्षरता, आधार नामांकन/ अद्यतन, ई-कॉमर्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईआरसीटीसी, बस/हवाई टिकट संबंधी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि निविष्टियों, आदि सहित CSC योजना के अधीन डिजि सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं ।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री दिनांक 21 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय महासंगोष्ठी के दौरान पैक्स को संबोधित करते हुए

इससे न केवल आम नागरिकों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में CSC सेवाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए पैक्स को नोडल केंद्रों में परिवर्तित करने में भी मदद मिलेगी । इससे उनके व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता आएगी जिसके फलस्वरूप उनके राजस्व प्रवाह में वृद्धि होगी और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी संस्था बनने में मदद मिलेगी । इसके अलावा, इस पहल से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे ।

उपर्युक्त के आलोक में पैक्स के माध्यम से CSC सेवाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 21 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस संगोष्ठी में 1000 से भी अधिक पैक्स ने भाग लिया । यह कार्यक्रम श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता और श्री अश्वनी वैष्णव, माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की उपस्थिति में संपन्न हुआ । कार्यक्रम के दौरान श्री बी.एल. वर्मा, माननीय सहकारिता राज्यमंत्री; श्री ज्ञानेश कुमार, सचिव, सहकारिता मंत्रालय और श्री संजय राकेश, सीईओ, CSC-SPV भी उपस्थित थे ।

इस अवसर पर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित एक पत्रिका का भी विमोचन किया गया जिसमें CSC द्वारा प्रदत्त की जा रही सेवाओं का राज्य-वार विवरण है । कार्यक्रम के दौरान पैक्स को CSC की सभी डिजिटल सेवाओं की सूचना से भी अवगत कराया गया ।

दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति की अनुसार 33 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से 34,221 पैक्स ने CSC सेवाएं प्रदान करना आरंभ कर दिया है । इन पैक्स के माध्यम से 25.19 करोड़ रूपए का लेनदेन हो चुका है । CSC का पैक्स कंप्यूटरीकरण के राष्ट्रीय पोर्टल के साथ लिंकेज का कार्य भी जारी है । इसके अलावा, पैक्स को CSC की सभी 300 सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) द्वारा एक कार्यशाला की योजना बनायी जा रही है ।

3.1.4 कृषि और किसान कल्याण विभाग की किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना के अंतर्गत पैक्स

जुलाई, 2020 में शुरू की गई "10,000 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्धन" की क्रेंद्रीय क्षेत्रक योजना के अधीन एनसीडीसी एक कार्यान्वयन एजेंसी (IA) है । एनसीडीसी को संदर्भ आबंटन वर्ष 2020-21 के दौरान 500 अतिरिक्त FPOs स्थापित और संवर्धित करने का लक्ष्य आबंटित किया गया है । इसके अतिरिक्त कृषि और किसान कल्याण विभाग के एकीकृत पोषण प्रबंधन प्रभाग (INM) से एनसीडीसी को 29 जैविक FPOs का भी आबंटन किया गया है । संदर्भ आबंटन वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीडीसी को 234 अतिरिक्त FPOs स्थापित और संवर्धित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके एवज में सहकारी अधिनियम के अधीन दिनांक 31.03.2024 तक 695 FPOs पंजीकृत किए गए हैं । FPO योजना के अधीन प्रत्येक FPO को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

इसके अलावा क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (CBBO) को 25 लाख रुपए प्रति FPO की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस योजना के तहत पैक्स के सशक्तिकरण के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन आबंटित किए हैं । दिनांक 31.03.2024 तक, 701 पैक्स का चयन किया जा चुका है जिसमें से 100 पैक्स पहले ही FPOs के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं और 154 अतिरिक्त पैक्स के पंजीकरण के आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं ।

एनसीडीसी ने दिनांक 31.03.2024 तक FPOs/CBBOs को इस योजना के अधीन लगभग 90 करोड़ रुपए का संवितरण किया है ।

एनसीडीसी ने दिनांक 14 जुलाई, 2023 को IECC सम्मेलन केंद्र, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में "FPOs के रूप में पैक्स" पर एकदिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया था । इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया गया । इस कार्यक्रम में माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और माननीय सहकारता राज्यमंत्री तथा विभिन्न मंत्रालयों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया । साथ ही, इस आयोजन में 900 से भी अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया । इसके अलावा, एनसीडीसी ने देशभर के FPOs की उपज को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 19-20 अक्टूबर, 2023; दिनांक 08-10 फरवरी, 2024 और दिनांक 19-21 मार्च, 2024 को एनसीडीसी मुख्यालय, नई दिल्ली में FPO मेला का भी आयोजन किया ।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का 'FPOs के रूप में पैक्स' पर आयोजित राष्ट्रीय महासंगोष्ठी के दौरान संबोधन

3.1.5 सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा दिनांक 31 मई, 2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को पायलट परियोजना के रूप में शुरू करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।

इस योजना में 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' का लाभ लेकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण द्वारा पैक्स स्तर पर गोदामों, कस्टम हाइरिंग केंद्रों, अन्न प्रापण केंद्रों, कॉमन प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, इत्यादि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण शामिल है । पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना के जरिए पर्याप्त भंडारण क्षमता के निर्माण से खाद्यान्न की बरबादी में कमी आएगी, देश की खाद्य सुरक्षा सशक्त होगी, फसल की संकटकालिक बिक्री में कमी आएगी और किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। चूंकि, पैक्स प्रापण केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकान के रूप में भी कार्य कर सकेंगे, इसलिए खाद्यान्न का प्रापण केंद्रों तक परिवहन और भांडागारों से उचित मूल्य की दुकानों तक स्टॉक के पुन: परिवहन में होने वाले व्यय के वहन में भी बचत होगी ।

अन्न भंडारण के लिए नई फ्लेक्सी-मॉड्यूलर तकनीक

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 राज्यों के 11 पैक्स में इस पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया और इसके अलावा 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदाम के निर्माण हेतु नींव भी रखी गई ।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी, 2024 को 11 राज्यों के 11 पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया और 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदामों के निर्माण के लिए नींव डाली गयी

इस परियोजना के तहत पैक्स स्तर पर निर्मित भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (भारत सरकार), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया है ।

साथ ही, पैक्स के स्तर पर NCCF द्वारा गोदामों के निर्माण कार्य को सुसाध्य करने तथा इन भांडागारों को किराए पर लेने के लिए सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), उपभोक्ता मामले विभाग (भारत सरकार), नाबार्ड, एनसीडीसी और एनसीसीएफ के बीच भी एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के विस्तारण के लिए एनसीडीसी द्वारा नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करके

परियोजना प्रबंधन परामर्शी (PMC) सेवाएं और भांडागारों का निर्माण, तकनीकी सहायता प्रदान करने, पैक्स और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय, इत्यादि के लिए NBCC को ऑनबोर्ड किया गया है ।

3.1.6 पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का प्रचालन

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता और माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 06 जून, 2023 को आयोजित एक बैठक में पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) खोलने का अनुमोदन प्रदान किया गया । प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य करने वाले पैक्स ग्रामीण जनता को किफायती दरों पर जेनेरिक औषधियां प्रदान कर सकेंगे जो खुले बाजार में उपलब्ध ब्रैंडेड औषधियों की तुलना में 50%-90% तक सस्ती हैं । जन औषधि केंद्र किफायती दामों पर लगभग 2047 औषधियां और 300 शल्य-चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराते हैं ।

अब तक 34 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 4,692 पैक्स ने इस योजना के लिए आवेदन दिया है जिसमें से 2,648 पैक्स को फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन प्रदान किया गया है । 24 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 58 पैक्स को औषधि लाइसेंस प्रदान किया गया है और PMBI द्वारा 465 पैक्स को स्टोर कोड भी जारी किया गया है ।

दिनांक 08 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 08 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स पर एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का आयोजन किया गया । माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री तथा माननीय सहकारिता राज्यमंत्री के साथ-साथ पैक्स से आए प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया ।

3.1.7 पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSKs) का प्रचालन

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 06 जून, 2023 और 13 सितम्बर, 2023 को हुई बैठकों में पैक्स को उर्वरक वितरक के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने, उन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में उन्नयन करने और ड्रोन उद्यमियों के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया ।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पहल का लक्ष्य मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानों को आदर्श उर्वरक खुदरा दुकानों में परिवर्तित करना है जो निम्नलिखित के लिए 'वन-स्टॉप शॉप' होगा:

- किफायती दरों पर एक ही छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण कृषि निविष्टियां- उर्वरक, बीज, कीटनाशक उपलब्ध करना
- मृदा/बीज परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करना

- विक्रय या कस्टम हाइरिंग केंद्रों के माध्यम से लघु और बड़े कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- प्रखंड/जिला स्तर के आउटलेट के खुदरा विक्रेताओं का क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना

उर्वरक लाइसेंस वाले सभी पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में उन्नयन करने का लक्ष्य है । अब तक 38,573 पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

3.1.8 पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना (PWS) के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) का कार्य

वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन (JJM) का शुभारंभ किया था। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के ठोस प्रयासों से इस पहल में अब तक अभूतपूर्व प्रगति हुई है जिसके परिणामस्वरूप इसका विस्तारण 16.64% घरों से बढ़कर 64.36% हो गया है । जल जीवन मिशन के तहत मात्र अवसंरचना निर्माण पर ही नहीं बल्कि संवहनीय और दीर्घकालिक आधार पर घरों को जलापूर्ति सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है । तदनुसार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं (PWS) के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) के लिए एक व्यापक नीति बनाने का अनुरोध किया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की जमीनी स्तर पर गहरी पहुंच के कारण उन्हें राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं में प्रचालन और रख-रखाव (O&M) का कार्य करने के लिए सक्षम बनाने का निर्णय लिया गया ।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि इस महत्वपूर्ण योजना में प्रचालन और रख-रखाव का कार्य संचालित करने के लिए वे प्रत्येक जिले के 5 पंचायतों में न्यूनतम 5 पैक्स की पहचान करें । अब तक 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 1,988 पैक्स की पहचान की गई है ।

इसके अलावा, मजबूत सहकारी नेटवर्क वाले कुछ राज्यों में पैक्स की पहचान करके शुरूआत में इस योजना को पायलट आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया गया है । इस पायलट के अनुभवों और सीख के आधार पर सफल मॉडल को अन्य राज्यों में भी विस्तारित किया जा सकेगा ।

3.1.9 पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए पात्र बनाया गया

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय पैक्स के व्यावसायिक कार्यकलाप विस्तारित करने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है । पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए पात्र बनाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । सहकारिता मंत्रालय की पहल पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने नियमों में संशोधन कर पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए पात्र बनाया है । पैक्स द्वारा एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप आवेदन प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं । इससे पैक्स को अपनी आर्थिक कार्यकलाप बढ़ाने का एक विकल्प प्राप्त होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा । अब तक तीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कुल 9 पैक्स ने ऑनलाइन आवेदन जमा किए हैं ।

3.1.10 खुदरा पेट्रोल/डीजल पंप के नए डीलरशिप में पैक्स को प्राथमिकता

आंध्र प्रदेश के एक पैक्स द्वारा खुदरा पेट्रोल/डीज़ल पंप का प्रचालन

पैक्स द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों को विस्तारित करके उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त और संवहनीय बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने इस मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया जिससे पैक्स भी अन्य वाणिज्यिक संस्थानों की ही तरह खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट

चला सकें । तदनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपने दिशानिर्देशों में यथोचित संशोधन द्वारा पैक्स को कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC-2) के तहत नए खुदरा पेट्रोल/डीजल पंप डीलरशिप में प्राथमिकता दी जा रही है ।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए आवेदन करने हेतु विज्ञापन जारी किए गए । इस पहल से पैक्स अपने व्यावसायिक कार्यकलापों के विविधीकरण द्वारा न केवल अपना लाभ बढ़ा सकेंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों के सृजन में भी वद्धि सुनिश्चित होगी ।

तेल विपणन कंपनियों (OMCs) से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 240 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है जिसमें से तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा 136 पैक्स चयनित किए गए हैं ।

3.1.11 पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेटों में परिवर्तित करने की अनुमति

तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा आउटलेट की तुलना में थोक उपभोक्ता पंपों को अधिक मूल्य पर पेट्रोल / डीजल बेचा जा रहा था, जिसके कारण थोक उपभोक्ता पेट्रोल / डीजल पंपों का संचालन करने वाले पैक्स को हानि हो रही थी । इस संबंध में गुजरात, पंजाब, तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों से सहकारिता मंत्रालय को अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए थे ।

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की पहल पर इस मामले को सहकारिता मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया गया । तदनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस प्राप्त पैक्स को खुदरा आउटलेटों में परिवर्तित होने के दिशानिर्देश जारी किए है । पैक्स को अपने थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने का एक-मुश्त विकल्प दिया गया है।

तेल विपणन कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 4 राज्यों से थोक उपभोक्ता पंप वाले कुल 109 पैक्स ने खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने पर अपनी सहमति दे दी है । इनमें से 43 पैक्स को तेल विपणन कंपनियों से आशय पत्र (LOI) भी प्राप्त हो गए हैं ।

इस पहल से पैक्स को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप उनका वित्तीय सशक्तिकरण भी योगदान प्राप्त होगा जिससे उनसे जुड़े छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे।

3.1.12 सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का अभिसरण

सहकार-से-समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप, सहकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न चैनलों के माध्यम से पैक्स और अन्य प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के सशक्तिकरण के लिए कई पहल की गई हैं, जिसमें उनकी व्यावसायिक गतिविधियों का विविधीकरण भी शामिल है। इस संबंध में 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' का अनुपालन करते हुए पैक्स को भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं का लाभ लेकर अपनी संपूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

भारत सरकार की इन योजनाओं के तहत सब्सिडी, ब्याज अनुदान, इत्यादि के रूप में उपलब्ध वित्तीय सहायता का उपयोग करके पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियाँ भंडारण अवसंरचना, प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, कस्टम हाइरिंग केंद्र, दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाएं, दुग्ध शीतालन कक्ष इंस्टॉलेशन, दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं, हैचरीज, मत्स्य तालाब, मत्स्य प्रसंस्करण इकाई, मत्स्य चारा संयंत्र, इत्यादि के निमार्ण सहित विभिन्न कार्यकलाप करने में सक्षम हैं।

देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चिन्हित की गयी हैं:

(क) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय:

i. कृषि अवसंरचना कोष (AIF),
ii. कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI),
iii. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH),
iv. कृषि यांत्रिकी पर उपमिशन (SMAM)

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय:

i. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME),
ii. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

(ग) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय:

i. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्न का आबंटन,

ii. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण कार्य

(घ) पशुपालन और डेयरी विभाग:

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)

ii. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (DIDF)

(ङ) मत्स्यपालन विभाग:

i. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), और

ii. मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास (FIDF)

उपरोक्त के अलावा, पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK), प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK), पानी समिति, एलपीजी वितरक, पेट्रोल/ डीजल रिटेल पंप आदि के रूप में कार्य करने के लिए भी सक्षम बनाया गया है ।

3.2 भारत में सहकारी आंदोलन सशक्त करना

3.2.1 नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति

सहकारिता मंत्रालय के कई महत्वपूर्ण अधिदेश हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करना, देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करना, सहकारी-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना, आदि शामिल हैं । इन अधिदेशों को पूरा करने और दो दशक से अधिक पुरानी वर्तमान नीति को बदलने के लिए एक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई ।

इस संबंध में, मंत्रालय की वेबसाइट और Mygov पोर्टल के माध्यम से आम जनता सहित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, 20 राष्ट्रीय सहकारी संघों, RBI और NABARD सहित 120 संस्थानों/संगठनों जैसे हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किए गए । जवाब में, Mygov पोर्टल पर 482 सुझाव और सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर 68 सुझाव प्राप्त हुए ।

इसके अतिरिक्त, सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 और 13 अप्रैल, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता सचिव एवं पंजीयकों के साथ दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्‌घाटन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित नीति संरचना के विभिन्न पहलुओं; विनियामक, नीतिगत और प्रचालन बाधाओं की पहचान; सुगम व्यापार; शासन सशक्तिकरण हेतु सुधार; नई और सामाजिक सहकारी समितियों का संवर्धन; निष्क्रिय सहकारी समितियों को पुनःसक्रिय करना; सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक इकाई बनाना; सहकारी समितियों के बीच सहयोग और सहकारी समितियों की सदस्यता में वृद्धि पर विचार-विमर्श किए गए । इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 और 09 सितंबर, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी मंत्रियों की दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्‌घाटन और अध्यक्षता माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रभावी, सर्वसमावेशी और प्रगतिशील राष्ट्रीय सहकारी नीति संरचना के विभिन्न पहलुओं और स्वरूप पर चर्चा हुई ।

विभिन्न मुद्दों, नीतिगत सुझावों और फीडबैक एवं सिफारिशों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, दिनांक 02 सितंबर 2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया, जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधिगण, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारीगण शामिल किए गए जो सहकारी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता की प्राप्ति हेतु एक संरचना प्रदान करने के लिए नई सहकारिता नीति बनाएगी । इस समिति ने प्रासंगिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 17 बैठकें आयोजित कीं । इसके अतिरिक्त दिनांक 21 से 25 नवंबर, 2023 तक हितधारकों और राज्य व संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधिगणों के साथ 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित किए गए । इस परामर्शी प्रक्रिया से कुल 648 इनपुट प्राप्त हुए जिनका गहन विश्लेषण किया गया और विस्तृत विचार विमर्शों के पश्चात् इन्हें नीति में अंतर्विष्ट किया गया । राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2024 का प्रारूप दस्तावेज का अंतिम रूप प्रक्रियाधीन है ।

3.2.2 कवर न हुए प्रत्येक पंचायत में बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना

देश में एक लाख से भी अधिक पैक्स हैं जिनमें बतौर सदस्य 13 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं; लगभग 1,42,000 प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियाँ हैं और लगभग 25,000 प्राथमिक मात्स्यिकी

सहकारी समितियाँ हैं । तथापि, देश भर में उनका प्रसार असमान है और कई पंचायतें बिना किसी पैक्स और बिना किसी प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के हैं ।

उपर्युक्त के आलोक में भारत सरकार ने दिनांक 15 फरवरी, 2023 को देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करने की योजना को अनुमोदित किया। इस योजना में कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH), डेयरी अवसंरचना विकास फंड (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), मत्स्य पालन, जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास (FIDF), प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आगामी पांच वर्षों में कवर न हुए पंचायतों/गांवों में नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की परिकल्पना है । इस योजना को नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों और राज्य सरकारों की सहभागिता से एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है ।

इस योजना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) का गठन किया गया है जिसमें बतौर सदस्य माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री; संबंधित सचिव; अध्यक्ष नाबार्ड, एनडीडीबी; प्रबंध निदेशक, एनसीडीसी और मुख्य कार्यकारी, एनएफडीबी को शामिल किया गया है । अंतरमंत्रालयी समिति अभिसरण हेतु चिह्नित योजनाओं के दिशानिर्देशों में यथोचित संशोधन सहित सभी आवश्यक कदम उठाएगी । इसके अलावा, जमीनी स्तर पर योजना का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया है।

इस योजना के अधीन पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों को उनके संबंधित जिला और राज्य स्तरीय संघों से जोड़ा जाएगा । 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' का लाभ उठाकर ये प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियाँ अपने व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना, जैसे दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएँ, बल्क दुग्ध कूलर, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयाँ, मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण इकाइयों, बायोफ्लॉक तालाबों, मत्स्य कियोस्क का निर्माण व

आधुनिकीकरण, हैचरी का विकास, मछली पकड़ने वाले गहरे समुद्री जहाजों का अधिग्रहण, आदि कर सकेंगे ।

इससे किसान सदस्यों को अपनी उपज का विपणन, अपने बाजारों का विस्तारण, अपनी आय वर्धन, गांव के स्तर पर ही ऋण सुविधाएं और अन्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्राप्त हो सकेगा और उन्हें आपूर्ति श्रृंखला में निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा जिसके फलस्वरूप संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा । नए व्यवहार्य बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव पड़ेगा ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार दिनांक 15.02.2023 को मंत्रिमंडल अनुमोदन के पश्चात् देश में कुल 6,300 नए बहुउद्देशीय पैक्स/ डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना हुई है (दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार) । नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और एनसीडीसी के सहयोग से मौजूदा विभिन्न योजनाओं/पहलों के अभिसरण द्वारा नई सहकारी समितियों की स्थापना और सशक्तिकरण की एक योजना बनायी जा रही है, जिसके तहत राज्य सरकार/नाबार्ड/ एनडीडीबी/एनएफडीबी/ एनसीडीसी के माध्यम से नई समितियों सहित विभिन्न समितियों के स्तर पर चिह्नित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा ।

इसके अलावा, निष्क्रिय समितियों को इन योजनाओं/पहलों का लाभ प्रदान करके उन्हें पुनःसक्रिय करने के प्रयास किए जा रहे हैं । ऐसी समितियां जिन्हें पुनःसक्रिय नहीं किया जा सकता है, उनका परिसमापन करके उनके स्थान पर राज्य सरकारों और सहकारी समितियों के पंजीयकों की मदद से नई समितियों में परिवर्तित किया जाएगा । कवर न हुए शेष पंचायतों में नई समितियों की स्थापना की जाएगी ।

3.2.3 कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये संस्थान दीर्घकालिक ऋण के मुख्य स्रोत हैं ।

पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जेसे कुछ राज्यों में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को कंप्यूटरीकृत करने के प्रयास किए गए । तथापि, तकनीकी समस्याएं और

अनुकूलन, डेटा माइग्रेशन, अनुमोदनों, इत्यादि में विलंबता ने कंप्यूटरीकरण के प्रयासों पर प्रतिकूल असर डाला है । परिणामस्वरूप, किसी भी राज्य में कोई भी राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पूर्णतया कंप्यूटरीकृत नहीं हो सका है । इसके अतिरिक्त जिन कुछ राज्यों में आंशिक कंप्यूटरीकरण हुआ है, वह कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कॉमन सॉफ्टवेयर पर आधारित नहीं हैं जो प्रचालन और लेखांकन आचरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। डिजिटलीकरण की कमी से उनके प्रचालनों में अपर्याप्तता और अकुशलता आती है । इससे कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा श्रेष्ठ लेखांकन आचरण को अपनाने में भी बाधाएं आती हैं और फलस्वरूप उनकी पारदर्शिता व जवाबदेही में कमी आती है ।

दिनांक 16.07.2022 को आयोजित कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन, 2022 के दौरान भी इन पर विचार विमर्श किया गया था जिसके आधार पर नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड (NAFCARD) ने भारत सरकार को देशभर में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना लाने पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

इसी क्रम में सहकारिता मंत्रालय ने उन राज्यों से प्रस्ताव की मांग की है जिनमें कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हैं । इस प्रस्ताव में निम्नलिखित हेतु देश के सभी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की परिकल्पना की गई है:

- सभी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs) को एक कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना;
- उनके प्रचालनों में कार्यकुशलता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाना;
- व्यावसायिक आचरण में सटीकता व एकरूपता लाना और कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) तथा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) लागू करना; और
- लेनदेन की दरों में कमी लाना और किसानों को ऋण संवितरण बढ़ाना ।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) की शाखाएं, जिनकी संख्या लगभग 1851 है और जिनसे बतौर सदस्य लगभग 1.2 करोड़ किसान जुड़े हैं, को कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत कंप्यूटरीकृत किया जाएगा ।

माननीय गृह एंव सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में "सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कंप्यूटरीकरण" परियोजना का शुभारंभ

सहकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पैक्स कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के लिए नाबार्ड द्वारा विकसित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में यथोचित बदलाव आशोधन करके कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के लिए भी उपयोग किया जाएगा । इसके साथ ही उक्त परियोजना के तहत स्थापित डेटा केंद्र/डेटा भंडारण सुविधाओं का उपयोग इस परियोजना हेतु भी किया जाएगा ।

31.03.2024 तक इस परियोजना के अंतर्गत 8 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है और 6 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 2.88 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है । माननीय गृह एंव सहकारिता मंत्री ने दिनांक 30 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में "सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कंप्यूटरीकरण" परियोजना का शुभारंभ किया ।

3.2.4 नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों की स्थापना

राष्ट्रीय सहकारी समितियाँ बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं । सहकारिता मंत्रालय की स्थापना से पूर्व बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की अनुसूची II के अंतर्गत ऐसी राष्ट्रीय सहकारी समिति की अंतिम स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी जब

केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) स्थापित किया गया था । राष्ट्रीय सहकारी समितियों पर विशेषीकृत प्रशिक्षण, शिक्षा प्रदान करने, अनुसंधान करने और बाजार सूचना प्रणाली विकसित करने, लोगो ब्रांड प्रचार, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के अलावा अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता, व्यवहार्यता मानदंड विकसित करने और उनके द्वारा सहकारी समितियों के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है । वे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने सदस्यों की ओर से व्यावसायिक सेवा कार्य भी कर सकते हैं । वर्ष 1987 में ट्राइफेड की स्थापना के 36 वर्षों के अंतराल के बाद बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों की स्थापना की गई है ।

3.2.4.1 राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL)

तीन राष्ट्रीय सहकारी समितियाँ, अर्थात् इफको, कृभको, नेफेड; एक राज्य स्तरीय सहकारी समिति, अर्थात् गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) और एक सांविधिक निकाय, अर्थात् एनसीडीसी ने 500 करोड़ रुपए की कुल चुकता पूंजी के साथ राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) को प्रोत्साहित करने के लिए हाथ मिलाया जिसमें प्रत्येक प्रमोटर ने 100 करोड़ रुपए का अंशदान किया । सोसाइटी की कुल प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए है । गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) इसका मुख्य प्रमोटर है । पैक्स से लेकर एपेक्स स्तर की सभी सहकारी समितियाँ, अर्थात् प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ, जिनमें निर्यात में रुचि रखने वाली प्राथमिक समितियाँ, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ शामिल हैं, इसके सदस्य बनने के पात्र हैं । इस समिति ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन दिनांक 25.01.2023 को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के साथ खुद को पंजीकृत किया ।

यह राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष के निर्यात पर फोकस करेगी जिससे विश्वभर में भारतीय सहकारी उत्पादों/सेवाओं की मांग बढ़ेगी और ऐसे उत्पादों/सेवाओं के राष्ट्रीय अधिशेष की सर्वोत्तम संभावित कीमतें प्राप्त होंगी और भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे । यह राष्ट्रीय स्तर की समिति, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, अर्थात् सहकारिता मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और विदेश मंत्रालय के निर्यात संबंधी विभिन्न योजनाओं और नीतियों का 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' के माध्यम से सहकारी समितियों को केंद्रित तरीके से लाभ दिलाने में भी

मदद करेगी । इन सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान और विकास, आदि और व्यापार सहित विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित करेगी । यह समिति वित्तीयन की व्यवस्था करने, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण करने, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, बाजार आसूचना प्रणाली विकसित और अनुरक्षित करने, संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करने और ऐसे अन्य कार्यकलापों में भी मदद करेगी जिससे सहकारी क्षेत्र और अन्य संबंधित संस्थाओं से निर्यात में वृद्धि होगी । राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को भारत के राजपत्र के दिनांक 21.03.2023 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है ।

श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री; श्री पीयुष गोयल, माननीय वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; श्री बी.एल. वर्मा, माननीय सहकारिता राज्यमंत्री ने दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को भारत रत्न सी. सुब्रमणियम ऑडिटोरिय, एनएएससी कॉम्प्लैक्स, आईसीएआर, पूसा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) द्वारा आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय महासंगोष्ठी को संबोधित किया

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 23.10.2023 को NCEL के लोगो का अनावरण और सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्रों का वितरण किया गया

3.2.4.2 भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL)

दो सांविधिक निकाय, अर्थात् एनडीडीबी और एनसीडीसी के साथ तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, अर्थात् इफको, कृभको, नेफेड ने 250 करोड़ रुपए की कुल चुकता पूंजी के साथ BBSSL समिति के प्रोत्साहन के लिए साथ आए जिसमें प्रत्येक प्रमोटर ने 50 करोड़ रुपए का अंशदान किया है । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की कुल अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए है । इसका मुख्य प्रमोटर कृभको है । प्राथमिक से लेकर शीर्षस्थ स्तर तक की सहकारी समितियाँ, अर्थात् प्राथमिक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के संघ इसके सदस्य बनने के पात्र हैं । इस समिति ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन दिनांक 25.01.2023 को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के साथ स्वयं को पंजीकृत किया ।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड सहकारिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और उनकी एजेंसियां विशेषकर आईसीएआर और एनएससी तथा अन्य क्षेत्रक मंत्रालयों के साथ उनकी नीतियों, योजनाओं, एजेंसियों के माध्यम से 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' का अनुपालन करते हुए तथा बीज अनुसंधान एवं विकास में शामिल भारतीय और विदेशी संगठनों/उद्यमों, देश में सहकारी समितियों के सभी स्तरों और अन्य ऐसी एजेंसियों के साथ समन्वय का कार्य करेगी जो समिति के उद्देश्यों की सफल प्राप्ति के लिए आवश्यक हो । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स), बहुराज्य सहकारी समितियों और संघों के माध्यम से सभी प्रकार की सहकारी संरचनाओं और अन्य सभी साधनों को शामिल करके उन्नत बीजों की खेती और बीज किस्मों का परीक्षण, ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करके बीज प्रतिस्थापन दर (SRR), किस्म प्रतिस्थापन दर (VRR) में वृद्धि करेगी । यह समिति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ लेकर पैक्स के माध्यम से बीजों की तीनों पीढ़ियों, अर्थात् प्रजनक, बुनियादी और प्रमाणित बीजों का उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करेगी । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड भारत में सहकारी समितियों के माध्यम से उन्नत बीजों के उत्पादन वृद्धि में मदद करेगी जिससे आयातित बीजों की निर्भरता में कमी आएगी, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, *"मेक इन इंडिया"* को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति हो सकेगी । इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल द्वारा *"सहकार-से-समृद्धि"* के लक्ष्य की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी, जहां सदस्यों को उन्नत बीजों के उत्पादन द्वारा बेहतर कीमतों की प्राप्ति, उच्च उपज वाले किस्म (HYV) के

बीजों के उपयोग से फसलों का उच्च उत्पादन और समिति द्वारा सृजित अधिशेष से वितरित लाभांश से भी फायदा प्राप्त होगा । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड को भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है ।

श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 26.10.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 'उन्नत बीज समृद्ध किसान' राष्ट्रीय महासम्मेलन में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के लोगो और ब्रोशर का अनावरण किया गया

श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री दिनांक 26.10.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 'उन्नत बीज समृद्ध किसान' राष्ट्रीय महासम्मेलन में हितधारकों को संबोधित करते हुए

3.2.4.3 राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL)

तीन अग्रणी सहकारी समितियां, अर्थात् गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), नेफेड, एनसीसीएफ और दो सांविधिक निकाय, अर्थात् एनडीडीबी और एनसीडीसी ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की कुल चुकता पूंजी के साथ हाथ मिलाया जिसमें प्रत्येक प्रमोटर ने 20 करोड़ रुपए का अंशदान किया है । समिति की कुल अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए है । राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) इस समति का मुख्य प्रमोटर है । पैक्स से लेकर एपेक्स स्तर तक की सहकारी समितियाँ, अर्थात् प्राथमिक, जिला, राज्य स्तर की सहकारी समितियाँ तथा राष्ट्रीय स्तर के संघ इसके सदस्य बनने के पात्र हैं । राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड ने स्वयं को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन दिनांक 25.01.2023 को पंजीकृत किया ।

यह सहकारी समिति जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, प्रापण, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधाओं, विपणन के लिए संस्थागत् सहायता प्रदान करेगी और पैक्स/एफपीओ सहित अपने सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक किसानों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था में मदद करेगी तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों की मदद से जैविक उत्पादों के संवर्धन व विकास संबंधी सभी कार्यकलाप करेगी । यह जैविक उत्पादों के हित के लिए परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं के विकास के लिए कार्य करेगी । यह सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करेगी । यह अपने उत्पादों का, एक ब्रांड नाम द्वारा सभी उपलब्ध विपणन नेटवर्क के माध्यम से विपणन करेगी । यह जैविक उत्पादकों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने एवं भारतीय जैविक बाजार की समर्पित बाजार आसूचना प्रणाली को विकसित और अनुरक्षित करने मदद करेगी तथा जैविक उपज हेतु समर्पित बाजार आसूचना प्रणाली का विकास और अनुरक्षण करेगी । राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड, सहकारी समितियों और संबंधित संस्थानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के घरेलू खपत और निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगी जिससे "*मेक इन इंडिया*" को बढ़ावा मिलेगा और *आत्मनिर्भर भारत* की प्राप्ति हो सकेगी । राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड को भारत के राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है ।

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड से अब तक 11 उत्पाद, अर्थात् अरहर दाल, चना दाल, चीनी, मूंग दाल, काबुली चना, मसूर, राजमा, गुड़ पाउडर, ज्वार का आटा, बेसन और दलिया लॉन्च किया है । वर्तमान में ये जैविक उत्पाद दिल्ली रा.रा.क्षेत्र के 160 सफल, मदर डेयरी आउटलेटों और फ्लिपकार्ट क्विक के माध्यम से फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन उपलब्ध है ।

श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 08.11.2023 को भारत रत्न सी. सुब्रमणियम ऑडिटोरियम, एनएएससी कॉम्प्लैक्स, आइसीएआर, पूसा, नई दिल्ली में जैविक उत्पादों की लॉचिंग और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) के लोगो का अनावरण

श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 08.11.2023 को भारत रत्न सी. सुब्रमणियम ऑडिटोरियम, एनएएससी कॉम्प्लैक्स, आइसीएआर, पूसा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) के सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र का वितरण

3.2.5 सहकारी समितियों की जेम (GeM) पर ऑनबोर्डिंग

दिनांक 01 जून, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के अधिदेश को विस्तारित करते हुए सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर क्रेता के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया। चरणबद्ध कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में प्रथम चरण में, 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर/जमा वाली और 'ए' संपरीक्षण रेटिंग वाली सभी सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। कुल 757 सहकारी समितियों को चयनित किया गया है जो GeM पर ऑनबोर्ड हेतु पात्र हैं और प्रथम चरण में अब तक 559 सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर क्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) को सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग में मदद करने और GeM अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। GeM पोर्टल सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक लाभकारी मंच होगा और प्रापण की पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को GeM पर आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

3.3 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD)

विश्व की कुल सहकारी समितियों का 25% भारत में होने के कारण उनके कार्यों, सदस्यता और वित्तीय कार्यकलापों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं व्यापक रूप से संग्रहित करने के लिए एक सशक्त और अद्यतित डेटाबेस स्थापित करने की नितांत आवश्यकत थी। "सहकार से समृद्धि" की दूरदर्शी पहल से प्रेरित होकर सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक से लेकर शीर्षस्थ निकायों तक विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों, संबंधित संस्थानों और हितधारकों की सहभागिता से एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के विकास पर कार्य करना आरंभ किया।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, शासन और सहकारी समितियों के विभिन्न स्तरों में प्रमुख पक्षों को शामिल करने की एक सहभागी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसका मूल उद्देश्य एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क स्थापित करना है जिसके द्वारा सभी गांवों को सहकारी समितियों के साथ लिंक किया जा सके। आर्थिक विकास का यह विकेंद्रिकृत दृष्टिकोण सहकारी सिनर्जी के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करने की महत्वकांक्षा से संरेखित है।

मूल रूप से यह पहल विभिन्न प्रकार के डेटा जिसमें कार्यकलापों, सदस्यता और वित्तीय आंकड़ों के व्यापक एकत्रण द्वारा सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने की मंशा रखता है। इस पहल की

सफलता प्रभावशाली सहभागिता, सटीक डेटा एकत्रण, सुविज्ञ निर्णयन और नीति निर्माण के लिए डेटाबेस के रणनीतिक उपयोग पर निर्भर करता है ।

3.3.1 उद्देश्य

सहकारी समितियों की राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने का उद्देश्य देश भर के विभिन्न क्षेत्रकों की लगभग 8 लाख सहकारी समितियों की प्रामाणिक और अद्यतित सूचना के लिए सिंगुलर एक्सस प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत ज्ञान भंडार स्थापित करना है । इस डेटाबेस का लक्ष्य सहकारी समितियों से जुड़े विविध पैरामीटर पर व्यापक डेटा संग्रहित करना है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्थानिक विवरण: सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र के भौगोलिक स्थानों की सूचना प्रदान करना,
- सदस्यों की संख्या: सहकारी समितियों के आकार और पहुंच को समझने के लिए उनकी सदस्यता के आकार का दस्तावेजीकरण,
- आर्थिक कार्यकलाप: प्रत्येक सहकारी समितियों के आर्थिक कार्यकलापों की प्रकृति का विवरण
- अपवर्ड और डाउनवर्ड लिंकेज: सहकारी समितियों के विभिन्न स्तरों के बीच अपवर्ड व डाउनवर्ड जुड़ाव और संबंध, दोनों का विश्लेषण,
- प्रचालन का स्तर: सहकारी समितियों के कार्यकलापों और प्रभाव की सीमा और विस्तार का आंकलन,
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग: सहकारी संरचना में आधुनिक तकनीकों के अंगीकरण और एकीकरण की पहचान,
- रोजगार: प्रत्येक सहकारी समिति द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या के आंकड़ों को रिकॉर्ड करना,
- इनपुट्स और आउटपुट्स: सहकारी प्रचालनों में शामिल संसाधनों और उत्पादों का विवरण रखना,
- वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन: सहकारी समितियों के बीच मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लेनदेनों पर नजर रखना,
- आस्तियां और देनदारियां: प्रत्येक सहकारी समितियों की स्वामित्व के संसाधनों और वित्तीय देनदारियों का दस्तावेजीकरण ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लक्ष्य सूचनाओं के इस विविध समूह को एकत्रित और व्यवस्थित करके नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं और हितधारकों के लिए एक अनमोल संसाधन के रूप में अपनी सेवा देना है । यह केंद्रीकृत ज्ञान भंडार देश के सहकारी परिदृश्य पर एक समग्र नजरिया प्रदान करके सहकारी क्षेत्र के लिए सुविज्ञ निर्णयन, नीति निर्माण और अनुसंधान में सहायता प्रदान करेगा । आंकड़ों की प्रामाणिकता, अद्यतित स्थिति और जिनको इनकी जरूरत है, उन तक सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करके यह सहकारी परितंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता में भी अपना योगदान देता है ।

3.3.2 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का सिंहावलोकन

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) एक गतिशील, वेब आधारित प्लैटफॉर्म है जिसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और जिला पंजीयक कार्यालयों से प्राप्त पंजीकृत सहकारी समितियों की व्यापक सूचनाओं को समेकित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है । इस डेटाबेस में न केवल सहकारी समितियों का विवरण है, बल्कि इसमें विभिन्न क्षेत्रकों के संघों और सहकारी बैंकों का भी ब्यौरा है ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, मूलरूप से एक नवोन्मेषी पहल है जो केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और सहकारी समितियों को जोड़ने के लिए सूचना और संचार का एक प्रभावशाली माध्यम को बढ़ावा देता है । यह सहकारिता के डोमेन से जुड़े सभी हितधारकों के लिए अनमोल है । एनसीडी पोर्टल सभी पंजीकृत सहकारी समितियों के नाम, पता, दूरभाष नंबर और इमेल जैसे संपर्क विवरण उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण भंडार है । इससे सरकार और इन समितियों के बीच निर्बाध संवाद सुगम होगा ।

इसके अतिरिक्त NCD पोर्टल, सूचना भंडारण से एक कदम आगे बढ़कर प्रश्न आधारित रिपोर्टें और इंटरएक्टिव डैशबोर्ड तक उपयोगकर्ता अनुकूल एक्सेस प्रदान करता है । ये विशेषताएं उपयोगकर्ताओं को डेटा के रूझानों का पता करने और विभिन्न पैरामीटर के बीच तार्किक तुलना करने में सहायक होती हैं । पारदर्शिता और सुगमता की प्रतिबद्धता के साथ NCD पोर्टल सहकारी क्षेत्र में समग्र प्रभावशीलता और सहभागिता को अग्रसर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

प्रत्यक्ष एक्सेस के लिए एनसीडी पोर्टल का यूआरएल है – http://cooperatives.gov.in

3.3.3 डेटाबेस के लाभ

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) अनेक लाभ प्रदान करता है जो सहकारी क्षेत्र की प्रभावशीलता और कुशलता में योगदान देते हैं । इनमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं :

- सिंगल प्वॉइंट एक्सेस: NCD एक केंद्रीकृत प्लैटफॉर्म के रूप मे कार्य करते हुए लगभग 8 लाख सहकारी समितियों की सूचनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है और विविध प्रकार के स्रोतों से डेटा प्राप्त करके उन्हें व्यवस्थित करता है ।
- व्यापक और अद्यतित डेटा: NCD एक विश्वसनीय भंडार है जो व्यापाक, प्रामाणिक और अद्यतित डेटा प्रदन करता है । यह उपयोगकर्ताओं को सहकारी समितियों से संबंधित नवीनतम और सटीकतम सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है ।
- उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस: NCD को उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के साथ डिज़ाइन किया गया है जो सरल नैविगेशन और ऑपरेशन प्रदान करता है । यह उपयोकर्ता केंद्रित डिजाइन सुगम एक्सेस प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए इसे एक सुविधाजनक उपकरण बनाती है ।
- वर्टिकल और हॉरिजोंटल लिंकेज: यह डेटाबेस सहकारी समितियों के बीच वर्टिकल और हॉरिजोंटल लिंकेज, दोनों की सूचना प्रदान करता है जो सहकारी परितंत्र में इन संस्थानों के बीच परस्पर कनेक्टिविटी के बारे में अमूल्य सूचना प्रदान करता है ।
- प्रश्न आधारित रिपोर्ट और ग्राफ: प्रश्न आधारित रिपोर्ट और ग्राफ सृजित करने की इसकी क्षमता से उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलता है । यह विशेषता डेटा अनुकूल विश्लेषण प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है ।
- सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) रिपोर्टें: NCD, अपरिष्कृत आंकड़ों से आगे जाकर सूचना प्रबंधन प्रणाली रिपोर्टें प्रदान करता है । ये रिपोर्ट डेटा का संरचनाबद्ध और व्यवस्थित अवलोकन प्रदान करता है जिससे सहकारी डोमेन में रणनीतिक निर्णयन में सुविधा होती है ।
- डेटा विश्लेषण: डेटा आधारित निर्णयन पर केंद्रित होकर NCD, डेटा विश्लेषण टूल्स को शामिल करता है । इसके द्वारा उपयोगकर्ता रूझानों, स्वरूपों और प्रदर्शन मेट्रिक्स का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और सहकारी परिदृश्य को समझने में उन्हें सुविधा होती है ।

- भौगोलिक मैपिंग: NCD में नक्शे शामिल किए गए हैं जो सहकारी समितियों के भौगोलिक प्रसार को दर्शाते हैं । यह विशेषता गांवों और पंचायतों में प्रसार की कमियों की पहचान में सहायक होती हैं और लक्षित इंटरवेंशंस व नियोजन में महत्वपूर्ण अंतद्दृष्टि प्रदान करती हैं ।

NCD एक बहुमुखी और शक्तिशाली उपकरण है जो हितधारकों को सूचनाओं और विश्लेषणात्मक क्षमताओं द्वारा सशक्त करता है और सहकारी समितियों की समग्र कार्यात्मकता और शासन में वृद्धि करता है ।

3.3.4 सहकारी डेटाबेस के विकास के लिए संगठनात्मक संरचना

- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के विकास की प्रगति और कार्यान्वयन की रणनीति की निगरानी के लिए अपर सचिव (सहकारिता) एवं सीआरसीएस की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया । इस समिति के सदस्य सहकारिता मंत्रालय, परियोजना प्रबंधन समूह, एनसीडीसी (लिनाक), एनसीयूआई और एआईसीटीई से लिए गए हैं ।
- राज्य की सहकारी समितियों के पंजीयक, राष्ट्रीय सहकारी संघों और सांविधिक निकायों (नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी) जैसे विभिन्न हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए अपर सचिव (सहकारिता) एवं सीआरसीएस की अध्यक्षता में एक परामर्शी समिति का गठन किया गया ।
- मुख्य परियोजना अधिकारी और तत्कालीन उपमहानिदेशक (एनआईसी) के अधीन परियोजना प्रबंधन समूह (PMG) स्थापित किया गया जो राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के निर्माण के लिए उत्तरदायी है । NCD-PMG द्वारा सभी राज्यों में इसके कार्यान्वयन में सहयोग और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की डिज़ाइन और विकास का कार्य किया गया है ।

3.3.5 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के कार्य और इसका वित्तीयन

- प्राथमिक से लेकर शीर्षस्थ सहकारी समितियों से डेटा एकत्रण हेतु सॉफ्टवेयर विकास टीम द्वारा सेक्टर-विशिष्ट वेब फॉर्म्स का विकास ।
- जिला स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों (DEOs) और नोडल अधिकारियों के लिए सुविस्तृत और आवर्ती प्रशिक्षण ।
- इंटर्न्स/डेटा एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सहकारी समितियों के पंजीयक के जिला पंजीयक कार्यालयों और कार्यकारी पंजीयकों से डेटा का एकत्रण ।

- पूर्ण की गई प्रविष्टियों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया सहित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन और सुधार के लिए जिला नोडल अधिकारियों हेतु मॉड्यूल का विकास किया गया।
- प्राप्त डेटा का राज्य सहकारी समिति के पंजीयक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, NABSCOB, NCDFI और FISHCOFED के साथ प्रतिपुष्टि ।
- सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और तकनीकी फ्लो का दस्तावेजीकरण, मास्टर कोड, उपभोक्ता मैनुअल और प्रशिक्षण मैनुअल का मानकीकरण ।
- विभिन्न सहकारी समितियों में कवरेज को प्रदर्शित करने के लिए एमआईएस रिपोर्टें, ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण और जीआईएस नक्शों के साथ विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का निर्माण तथा बहुस्तरीय उपभोक्ता एक्सेस के लिए जांच रिपोर्टों और उपभोक्ता प्रबंधन मॉड्यूल का कार्यान्वयन।
- राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी पेशेवरों, इंटर्न्स और डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए सहकारी शिक्षा कोष (CEF) से वित्तीयन प्राप्त की गई ।

3.3.6 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के चरण

i. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण -I: इस चरण में तीन क्षेत्रक, अर्थात प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स-1,03,557), डेयरी (1,41,456), और मात्स्यिकी (25,591) के लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों की मैपिंग का कार्य फरवरी, 2023 में पूरा किया गया । इस चरण में जिला पंजीयक कार्यालयों में डेटा प्रविष्टि हेतु जिला पंजीयक कार्यालयों के स्टाफ के अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पोर्टल पर सूचीबद्ध लगभग 500 स्थानीय इंटर्नों को ऑनबोर्ड किया गया ।

ii. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण-II: इस चरण में राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों की, उनके साधारण निकाय के सदस्यों सहित मैपिंग पूरी की गई । इसके अलावा राज्य संघों, जिला यूनियनों, और प्राथमिक सहकारी समितियों के साथ उनके डाउनवर्ड लिंकेज की भी पुष्टि की गई । राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), शहरी सहकारी बैंकों (UCBs), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs), सहकारी चीनी मिलों, राज्य संघों,

जिला यूनियनों और बहुराज्य सहकारी समितियों से संबंधित डेटा का एकत्रण या तो प्रत्यक्ष तौर पर या उनके राष्ट्रीय/राज्य संघों के माध्यम से किया गया ।

iii. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण-III: इस चरण में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयकों के कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसे को शेष अन्य क्षेत्रों में कार्यरत 5.3 लाख से भी अधिक सहकारी समितियों तक विस्तारित करने की प्रक्रिया को सहकारिता मंत्रालय ने मई, 2023 में आरंभ कर दिया है । लगभग सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अधीन डेटा प्रविष्टि का कार्य पूरा कर लिया है ।

3.3.7 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का प्रमोचन

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 08.03.2024 को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का सफलतापूर्वक प्रमोचन किया गया । इस समारोह को भारत रत्न सी. सुब्रमणियम ऑडिटोरियम, एनएएससी कॉम्प्लैक्स, पूसा रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ।

इस समारोह में न केवल राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस का प्रमोचन किया गया बल्कि इसमें 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023: एक रिपोर्ट' का विमोचन भी किया गया ।

इस समारोह में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सहकारी समतियों के पंजीयक सहित देश भर की सहकारी समितियों, और सहकारी संघों/यूनियनों (राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय) से लगभग 1400 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उद्घाटन और 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023: रिपोर्ट' का विमोचन

3.3.8 अन्य डेटाबेस के साथ लिंकेज

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों में सहकारी समितियों का पंजीकरण और प्रबंधन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने की एक केंद्रीय परियोजना निर्माणाधीन है ।

इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के साथ राज्य और जिला स्तर के पंजीयक कार्यालयों में उपयोग हेतु सॉफ्टवेयर सिस्टम की API आधारित लिंकेज का विकास किया जा रहा है । इससे राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में किसी नई सहकारी समिति के पंजीकरण के साथ-साथ मौजूदा सहकारी समितियों से संबंधित अन्य डेटा मदों का रीयल-टाइम अद्यतन सुनिश्चित होगा ।

3.3.9 वर्तमान स्थिति

मार्च, 2024 तक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल अधिकारियों द्वारा लगभग 8 लाख सहकारी समितियों के डेटा अपलोड किए जा चुके हैं । इन सहकारी समितियों से जुड़े सदस्यों की कुल संख्या 29 करोड़ से अधिक है । NCD पोर्टल का सारांश सारणीबद्ध रूप से नीचे दर्शाया गया है:

NCD की सार रिपोर्ट (दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार)	
अखिल भारतीय सहकारी समितियां	**8,05,524**
प्राथमिक सहकारी समितियां	8,00,673
राज्य सहकारी समितियां /संघ	896
सहकारी बैंक	ग्रामीण : 910, शहरी : 1419
बहुराज्य सहकारी समितियां	1607
राष्ट्रीय सहकारी समितियां /संघ	19

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या (दिनांक 31.03.2024 के अनुसार)			
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**सहकारी समितियों की कुल संख्या**	**सदस्यों की कुल संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,215	1,44,584
2	आंध्र प्रदेश	17,803	95,97,143
3	अरुणाचल प्रदेश	1,197	89,545
4	असम	11,148	43,18,231
5	बिहार	26,640	1,59,98,540

6	चंडीगढ़	476	49,721
7	छत्तीसगढ़	9,171	47,31,974
8	दिल्ली	1,688	15,69,276
9	गोवा	5,433	15,78,643
10	गुजरात	80,478	1,69,40,451
11	हरियाणा	32,466	45,64,638
12	हिमाचल प्रदेश	5,140	18,25,892
13	जम्मू और कश्मीर	8,778	8,96,054
14	झारखंड	11,455	20,93,817
15	कर्नाटक	43,854	3,35,01,183
16	केरल	16,256	2,73,25,326
17	लद्दाख	260	25,197
18	लक्षद्वीप	35	84,393
19	मध्य प्रदेश	51,787	1,34,43,329
20	महाराष्ट्र	2,21,269	5,79,73,552
21	मणिपुर	11,256	8,29,340
22	मेघालय	2,656	2,40,205
23	मिजोरम	1,229	49,466
24	नागालैंड	8,118	3,10,933
25	ओडिशा	7,578	87,09,507
26	पुड्डुचेरी	458	4,63,802
27	पंजाब	19,061	34,34,928
28	राजस्थान	35,942	1,10,75,332
29	सिक्किम	3,793	1,16,193
30	तमिलनाडु	21,165	2,39,34,636
31	तेलंगाना	60,112	1,43,00,725
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	530	46,633
33	त्रिपुरा	3,142	5,11,559
34	उत्तर प्रदेश	41,558	1,93,11,868
35	उत्तराखंड	5,318	16,01,973
36	पश्चिम बंगाल	31,208	95,91,686
	कुल संख्या	**8,00,673**	**29,12,80,275**

प्राथमिक सहकारी समितियों की क्षेत्रक- वार संख्या (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)			
क्रम सं.	**क्षेत्रक**	**सहकारी समितियों की कुल संख्या**	**सदस्यों की कुल संख्या**
1	कृषि और संबद्ध सहकारी समिति	26,798	98,36,270
2	कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	22,735	25,31,349
3	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति	290	38,181
4	उपभोक्ता सहकारी समिति	21,067	63,75,920
5	क्रेडिट और थ्रिफ्ट समिति	80,330	4,32,75,731
6	डेयरी सहकारी समिति	1,41,807	1,56,87,794
7	शैक्षणिक और प्रशिक्षण सहकारी समिति	401	78,717
8	मात्स्यिकी सहकारी समिति	25,649	46,74,279
9	हस्तशिल्प सहकारी समिति	5,076	3,69,840
10	हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति	19,576	51,56,723
11	आवासन सहकारी समिति	1,91,734	1,46,65,027
12	जूट और कॉएर सहकारी समिति	57	5,755
13	श्रमिक सहकारी समिति	44,545	14,91,300
14	पशुधन और कुक्कुट सहकारी समिति	16,677	13,39,349
15	विपणन सहकारी समिति	9,121	45,90,611
16	विविध ऋण सहकारी समिति	5,830	89,19,537
17	विविध गैर- ऋण सहकारी समिति	30,660	25,05,838
18	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	20,397	25,82,130
19	प्राथमिक कृषि क्रेडिट सहकारी समिति (पैक्स/FSS/LAMPS)	1,03,304	13,99,27,330
20	रेशम उत्पादन सहकारी समिति	499	67,149
21	सामाज कल्याण और सांस्कृतिक सहकारी समिति	2,069	2,91,308
22	चीनी मिल सहकारी समिति	281	47,83,246
23	पर्यटन सहकारी समिति	479	2,80,400
24	परिवहन सहकारी समिति	4,175	7,04,336
25	जनजातीय- अनु.जा./अनु.ज.जा. सहकारी समिति	1,521	10,33,894
26	शहरी सहकारी बैंक (UCB)	1,334	1,46,46,837
27	महिला कल्याण सहकारी समिति	24,261	54,21,424
	कुल	**8,00,673**	**29,12,80,275**

3.4 राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ संगठन

सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करने, सहकारी अनुसंधान और विकास का संवर्धन, और देश में संबद्ध संस्थानों के माध्यम से सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ संगठन की स्थापना के प्रस्ताव पर कार्य कर रहा है ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, इत्यादि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ गहन परामर्श किए गए ताकि प्रस्तावित विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार की जा सके । यह राष्ट्रीय स्तर का शीर्षस्थ संगठन अपने व्यय की पूर्ति हेतु प्रचालनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहेगा ।

राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तावित शीर्षस्थ संगठन संभावित रूप से सहकारी क्षेत्र के साथ निकट समन्वय में कार्य करेगा और यह शिक्षा और प्रशिक्षण में एक व्यापक, एकीकृत और मानकीकृत सरंचना होगा जिससे मंत्रालय द्वारा सहकारी क्षेत्र के लिए किए गए विभिन्न पहलों के सफल कार्यान्वयन हेतु स्थायी, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षित श्रमबल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके । पेशेवर श्रमबल की आपूर्ति और मौजूदा कार्मिकों की क्षमता निर्माण से सहकारी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक योगदान देने की संभावना है ।

3.5 बजट और योजनाएँ

3.5.1 बजट: बजट प्रावधानों और व्यय का सारांश

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 06 जुलाई, 2021 को तत्कालीन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW) से की गई थी । कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट में से 372.30 करोड़ रुपए तदोपरांत, सहकारिता मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए आबंटित किए गए । वर्ष 2022-23 के लिए, सहकारिता मंत्रालय को 900 करोड़ रुपए के बजट अनुमान (BE) का आबंटन किया गया और संशोधित अनुमान (RE) चरण पर बजटीय सहायता बढ़ाकर 1624.74 करोड़ रुपए कर दिया गया । मंत्रालय के अनुपूरक अनुदान मांगों के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय का कुल बजटीय आबंटन बढ़ाकर 2041.82 करोड़ रुपए कर दिया गया । एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय का कुल वास्तविक व्यय 1636.52 करोड़ रुपए था, जो वर्ष

2022-23 के बजट अनुमान का 181.83% और वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान से अधिक था। वर्ष 2023-24 के लिए सहकारिता मंत्रालय को 1150.38 करोड़ रुपए का बजट अनुमान (बीई) और 747.84 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान (RE) आबंटित किया गया। दिनांक 31.03.2024 तक हुए व्यय को दर्शाती विवरणी **अनुबंध-III** पर संलग्न है।

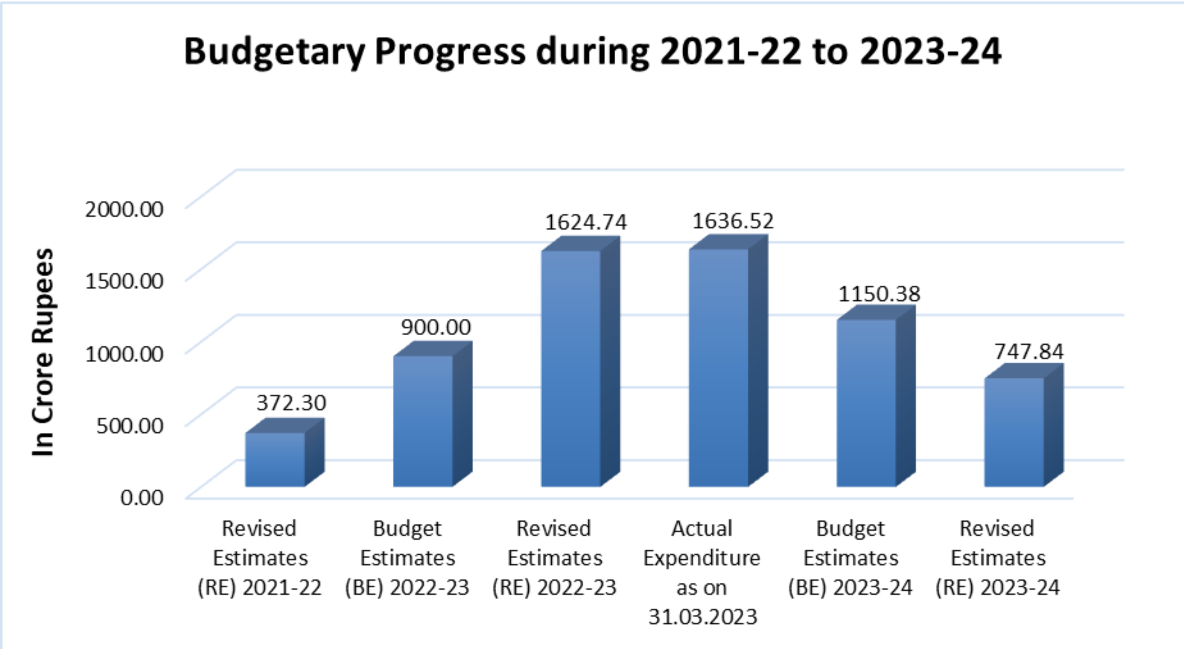

3.5.2 सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए आम बजट 2023-24 में घोषित विभिन्न उपाय

क. पहलें

- विशाल विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना ताकि किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकें और उचित समय पर उसे बेच कर लाभकारी कीमत प्राप्त कर सकें।
- आगामी 5 वर्षों में कवर न हुए पंचायतों और गांवों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक मात्स्यिकी/डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार किए जा रहे हैं जिससे वे बहुउद्देशीय बन सकेंगे।
- सहकारी समितियों की देशव्यापी मैपिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
- 2516 करोड़ रुपए की लागत से 63000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का कार्य आरंभ किया गया है।

ख. आयकर लाभ

- दिनांक 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कर-दर का लाभ मिलेगा (जैसा कि नई विनिर्माण कंपनियों के लिए है) (आईटी अधिनियम की धारा 115 BAB) ।
- पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपए की उच्चतर सीमा का निर्धारण (आईटी अधिनियम की धारा 269T) ।
- सहकारी समितियों को नकद निकासी हेतु स्रोत पर कर कटौती (TDS) के लिए 3 करोड़ रुपए की उच्चतर सीमा का निर्धारण (आईटी अधिनियम की धारा 194N) ।

ग. सहकारी चीनी मिलों को राहत

- सहकारी चीनी समितियों के लिए निर्धारण वर्ष 2016-17 से पूर्व चीनी किसानों को किए गए भुगतान के दावों को 'व्यय' माना जाएगा । इससे सहकारी चीनी समितियों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी ।

3.5.3 योजनाएं:

3.5.3.1 केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना (CSISAC)

केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना (CSISAC) को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है । इस घटक का मुख्य उद्देश्य एनसीडीसी के माध्यम से सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण, विस्तारण और विविधीकरण के लिए सहायता प्रदान करना और शेयर पूंजी तथा मार्जिन धनराशि, आदि प्रदान करना है । इस घटक के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाते हैं: -

(i) सहकारी समितियों के विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कम्प्यूटरीकरण, दुर्बल वर्ग कार्यक्रमों; पैक्स, DCBs और SCBS का कम्प्यूटरीकरण तथा राज्य सहकारी संघों एवं RCS कार्यालयों को सशक्त करने के लिए T&P प्रकोष्ठ योजना (टेपरिंग आधार पर सब्सिडी):

(ii) जिनिंग और प्रेसिंग सहित नई कपास मिलों के विकास या सहकारी कपास कताई मिलों की स्थापना या मौजूदा सहकारी कताई मिलों के आधुनिकीकरण, विस्तार एवं पुनर्वास में सहायता;

(iii) चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ (ICDP):

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना (CSISAC) के अधीन एनसीडीसी को योजना के तहत अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए 300.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना (CSISAC) के अधीन आबंटित निधि, अर्थात् 300.00 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं ।

3.5.3.2 "प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण" की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए भारत सरकार ने 29 जून, 2022 को 2,516 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय से देशव्यापि 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना अनुमोदित की । इस परियोजना का लक्ष्य सभी कार्यशील पैक्स को सिंगल ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) प्लैटफार्म पर एकीकृत कर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना है । 25 राज्यों और 5 संघ राज्यक्षेत्रों से 67,009 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

31 मार्च, 2024 तक 25 राज्यों और 4 संघ राज्यक्षेत्रों को हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम के लिए 653 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, नाबार्ड को राष्ट्रीय स्तर के डेटा भंडार की स्थापना, सॉफ्टवेयर विकास, प्रशिक्षण और परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए 141 करोड़ रुपए दिए गए हैं ।

परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए, नाबार्ड, मुख्यालय में एक कोर टीम का गठन किया गया है जिसमें इसके अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है । इस कोर टीम को परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है जिसे परियोजना के लिए नाबार्ड द्वारा नियुक्त किया गया है । नाबार्ड ने पीएमयू के लिए संविदा आधार पर स्टाफ/पेशेवर/ तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती की है । इसी प्रकार, नाबार्ड ने राज्य स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी में राज्यों की सहायता हेतु राज्य पीएमयू की भी स्थापना की है, जो राज्य स्तरीय सहायता केंद्रों के रूप में भी कार्य करेंगे । इन राज्य पीएमयू का संचालन नाबार्ड के अधिकारियों और संविदा पर रखे गए स्टाफ/विशेषज्ञों द्वारा भी किया जाता है।

अध्याय-4

सम्बद्ध और अधीनस्थ संगठन

4.1 सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (CRCS)

सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) का कार्यालय बहुराज्य सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित है । सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, उनको बहुराज्य सहकारी समितियों के रूप में जाना जाता है । केंद्रीय पंजीयक (CRCS) कार्यालय का उद्देश्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 के अधीन निहित सहकारी सिद्धांतों और विधायी संरचना के अनुसार आत्म-सहायता व पारस्परिक सहयोग के आधार पर लोक संस्थान के रूप में सहकारी समितियों की स्वैच्छिक स्थापना और लोकतांत्रिक कार्यकरण सुगम करना है और उन्हें आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के संवर्धन और कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने में सक्षम बनाना है । सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 243ZH(f) के साथ पठित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अधीन की जाती है ।

4.1.1 CRCS कार्यालय के कार्य

सभी बहुराज्य सहकारी समितियां, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के दायरे में आती हैं । केन्द्रीय पंजीयक, CRCS कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान के रूप में कार्य करते हैं । वर्तमान में CRCS के दो प्रमुख स्कंध हैं, अर्थात् पंजीकरण और प्रबंधन । पंजीकरण स्कंध बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अनुसार समितियों के पंजीकरण और उपविधियों के संशोधन का कार्य देखता है । प्रबंधन स्कंध का कार्य विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों से संबंधित है जिसमें बहुराज्य सहकारी समितियों से संबंधित निरीक्षण एवं संपरीक्षण, वार्षिक विवरणियां एवं अन्य मामले, आदि शामिल हैं । सीआरसीएस कार्यालय द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :

1. बहुराज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण
2. बहुराज्य सहकारी समितियों की उपविधियों का संशोधन
3. रूपांतरण द्वारा सहकारी समितियों का बहुराज्य सहकारी समितियों के रूप में पंजीकरण

4. राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संगठनों सहित बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन और कार्यकरण से संबंधित मुद्दे, उनका कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्रवाई
5. सहकारी विधानों से संबंधित प्रस्तावों का परीक्षण
6. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियमों में संशोधन से संबंधित कार्य
7. बहुराज्य सहकारी समितियों और उनके सदस्यों से प्राप्त शिकायतों/ परिवादों का समाधान
8. बहुराज्य सहकारी समितियों में मध्यस्थों और परिसमापकों की नियुक्ति
9. अधिनियम के अनुसार बहुराज्य सहकारी समितियों का निरीक्षण और जांच तथा समितियों का परिसमापन
10. सहकारी शिक्षा निधि (CEF) और सहकारी पुनर्वास पुनर्गठन और विकास निधि (CRRDF) का प्रबंधन

4.1.2 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 तथा उसका प्रशासन

स्थापित सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप बहुराज्य सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कार्यकरण और स्वायत्त कार्यशीलत सुगम करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को निरसित करके बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का अधिनियमन किया गया ।

देश में सहकारिता विधान की शुरूआत प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों की सुगम स्थापना के लिए अधिनियमित सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम, 1904 के साथ हुई । इसके बाद सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 आया जिसमें गैर-ऋण और संघीय सहकारी समितियों की स्थापना की व्यवस्था की गई । तत्पश्चात, एक से अधिक राज्य में क्षेत्राधिकार वाली सहकारी समितियों की सुगम स्थापना के लिए बहु-एकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1942 को अधिनियमित किया गया । विभिन्न राज्यों के सहकारी सोसाइटी अधिनियमों द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों के उद्भव के साथ ही संसद ने संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I - संघ सूची की प्रविष्टि- 44 के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को अधिनियमित किया ।

बहुराज्यीय सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है (सारणी-1 और सारणी-2) ।

4.1.3 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को मौजूदा कानून के अनुसमर्थन और सत्तानवेवां संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को अंतर्विष्ट करके बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार, आदि के लिए पुर:स्थापित किया गया था।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था जिसे दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को संदर्भित कर दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 की खंड-वार परीक्षण के पश्चात् केवल दो आशोधनों की सिफारिश की जो प्रारूपण और परिणामी प्रकृति के हैं।

संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक को लोक सभा में फिर से पुर:स्थापित किया गया जिसे दिनांक 25.07.2023 को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात्, इस विधेयक को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया जिसे दिनांक 01.08.2023 को पारित कर दिया गया। दिनांक 03.08.2023 को इस विधेयक को आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त हुआ।

तदुपरांत, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को दिनांक 03.08.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया तथा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन नियम, 2023 को दिनांक 04.08.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन नियम, 2023 को दिनांक 09.08.2023 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया।

4.1.4 CRCS कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

CRCS कार्यालय के लिए ई-गवर्नेंस पहल के तहत, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय के लिए एक पोर्टल, अर्थात www.crcs.gov.in विकसित किया गया है और दिनांक 6 अगस्त, 2023 को इसका सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम/नियमों के तहत विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करके सीआरसीएस के कार्यालय को डिजिटलीकृत करना और कागज-रहित बनाना है, ताकि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) के प्रबंधन को आसान बनाया जा सके और सीआरसीएस कार्यालय के कामकाज में

पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई जा सके । सीआरसीएस कार्यालय की सभी कार्य प्रक्रियाओं में अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण, उपविधियों में संशोधन, विवरणी दाखिल करना, शाखा खोलना, बिक्री अधिकारी की नियुक्ति, CEF और CRRDF का ऑनलाइन भुगतान, आदि शामिल हैं, जिन्हें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किया जा रहा है । संसद द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में किए गए हालिया संशोधनों को भी ऑनलाइन पोर्टल में सफलतापूर्वक अंतर्विष्ट कर दिया गया है ।

नए CRCS पोर्टल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i. पूर्ण रूप से कागज रहित प्रस्तुतिकरण और प्रसंस्करण

ii. सॉफ्टवेयर के माध्यम से MSCS अधिनियम और नियमों का स्वतः अनुपालन

iii. व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना

iv. डिजिटल संचार

v. पारदर्शी प्रसंस्करण

vi. बेहतर एनालिटिक्स और MIS

पोर्टल ने पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से CRCS कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रवाह के माध्यम से आवेदन/सेवा अनुरोधों के प्रसंस्करण को सक्षम किया है। इसमें OTP आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, MSCS अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन जाँच, ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करना, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्य संचार के प्रावधान शामिल हैं।

4.1.5 CRCS कार्यालय प्रशासन का सशक्तीकरण

तत्कालीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) कार्यालय के मुखिया, सीआरसीएस के तौर पर अपर/संयुक्त सचिव थे । सहकारिता मंत्रालय की स्थापना से पूर्व बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के विनियमन एवं प्रशासन की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए सीआरसीएस की मदद के लिए तकनीकी अधिकारियों और सहकारी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों का एक छोटा सा संवर्ग था । जुलाई, 2021 में

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सीआरसीएस कार्यालय को सशक्त करने के लिए 32 तकनीकी और 31 प्रशासनिक पद सहित 63 पदों का सृजन किया गया। दिनांक 01.09.2023 को 32 तकनीकी पदों हेतु भर्ती नियम अधिसूचित किए गए और 5 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया है।

4.1.6 सीआरसीएस कार्यालय के लिए नया कार्यालय भवन

केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय के मौजूदा स्टाफ के लिए अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आबंटित स्थान पर्याप्त नहीं था। आने वाले दिनों में स्वीकृत पदों पर अधिकाधिक अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने एवं सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (CEA) और सहकारी ऑम्बुड्समैन (CO) के कार्यालय के प्रस्तावित कार्यालयों की स्थापना के कारण सीआरसीएस कार्यालय के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होगी।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा आरसीएस के नए भवन का उद्घाटन

तदनुसार, केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय को एक अलग स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। जगह की कमी दूर करने और सर्वांगीण कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु अनेक विकल्प तलाशने के पश्चात् सीआरसीएस के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परियोजना, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में एक पृथक अत्याधुनिक कार्यालय स्थापित किया जा रहा है।

4.1.7 सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड

सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक सदस्यों/जमाकर्ताओं की वैद्य जमाराशियों के रिफंड हेतु उनकी काफी समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा दायर याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 29.03.2023 (अनुबंध-V) के आदेश के माध्यम से निदेश दिया कि "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से 5000 करोड़ रुपए का अंतरण सहकारी

समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) को किया जाए जो सहारा समूह की सहकारी समितियों (अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद) के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के वैध बकाया का अत्यंत पारदर्शी तरीके द्वारा जमाराशियों तथा उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर इसका संवितरण सीधा उनके संबंधित बैंक खातों में करेंगे ।

तदनुसार, दिनांक 18.07.2023 को "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" का शुभारंभ किया गया और उपर्युक्त 4 सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनकी उचित पहचान और उनके द्वारा किए गए जमा और दावे के साक्ष्य की प्रस्तुति पर पारदर्शी रीति से संवितरण आरंभ हुआ । यह ऑनलाइन पोर्टल उपयोगकर्ता अनुकूल, प्रभावशाली और पारदर्शी है और यह संपूर्ण प्रक्रिया कागज़ रहित है । सभी हितधारकों द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन प्रोसेस किए जा रहे हैं और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, निधि की उपलब्धता के अध्यधीन, प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधा भुगतान किया जा रहा है ।

जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दावों में पाई गई कमियों की दशा में दिनांक 15.11.2023 को एक "पुन:प्रस्तुति पोर्टल" का भी शुभारंभ किया गया है ताकि जमाकर्ताओं को अपने दावे में पायी गई कमियों को सुधार कर अपना दावा पुन: प्रस्तुत करने अवसर दिया जा सके ।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 3,11,505 जमाकर्ताओं को लगभग 283 करोड़ रुपए की राशी जारी की जा चुकी है ।

4.1.8 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय का कंप्यूटरीकरण

94.59 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय परिव्यय से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है जिसके अधीन सहकारी समितियों के पंजीयक पोर्टल (संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम पर आधारित) के विकास और अनुरक्षण तथा हार्डवेयर एवं क्लाउड अवसंरचना की खरीद हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधि प्रदान की जाएगी । देश में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल से कार्यकुशलता व जवाबदेही में वृद्धि और कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी ।

इस परियोजना के दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित कर दिए गए हैं । सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे इस परियोजना के अधीन निधि की मांग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें । परियोजना के अधीन सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रस्ताव मूल्यांकन समिति का भी गठन हो चुका है । दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, 33 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनका मूल्यांकन किया गया है । इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 1.68 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है ।

4.1.9 सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण

सहकारिता मंत्रालय द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों के कार्यकरण में पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन और समावेशिता लाने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अधिनियमन के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं । ऐसे सुधारों में से एक निर्वाचन सुधार है जिसमें बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड और पदाधिकारियों का स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से निर्वाचन कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना शामिल है ।

सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 45 के अधीन दिनांक 20 नवंबर, 2023 को अंतरिम रूप से सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण स्थापित किया है । तब से ही इस प्राधिकरण ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और दिनांक 31 मार्च, 2024 तक इसने 46 बहुराज्य सहकारी समितियों में निर्वाचन अधिसूचित किया है ।

4.2 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

एनसीडीसी एक सांविधिक संगठन है जिसे सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक कार्यकलापों के विकास को अग्रसर करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर दिनांक 14.03.1963 को संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था । इसकी नीतियां और कार्यक्रम इसकी साधारण परिषद और प्रबंधन बोर्ड के मार्ग दर्शन में तैयार किये जाते हैं जिसका गठन भारत सरकार द्वारा विभिन्न सहकारी समितियों, अधिकारियों और गैर सरकारी सदस्यों में से किया जाता है । केन्द्रीय सरकार ने अपने राजपत्र अधिसूचना संख्या 2516 दिनांक 06 जुलाई,

2021 के माध्यम से 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना के साथ नये सहकारिता मंत्रालय के स्थापना की घोषणा की । अब एनसीडीसी; सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है ।

सहकारिता की आत्मा को दृष्टांत करता एनसीडीसी मुख्यालय भवन

एनसीडीसी एक गैर-इक्विटी आधारित प्रोत्साहक संगठन है जिसे सहकारी सिद्धांतों पर कृषि उपज, खाद्य सामग्री और कतिपय अधिसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, कृषि उपज के निर्यात और आयात के कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन और वित्तीयन के लिए विशिष्ट रूप से

स्थापित किया गया है । मात्स्यिकी, मुर्गीपालन, डेयरी, हैंडलूम और रेशम उत्पादन जैसे अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों को शामिल करने के लिए वर्ष 1974 में एनसीडीसी अधिनियम में संशोधन किया गया और इस संशोधन से एनसीडीसी के संसाधन आधार को विस्तारित किया गया तथा इस प्रकार उसे बाजार से निधि जुटाने में सक्षम किया गया । इस अधिनियम में वर्ष 2002 में पुन: संशोधन किया गया ताकि पशुधन, औद्योगिक माल, हथकरघा, ग्रामीण शिल्प जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों को एवं जल संरक्षण कार्य, सिंचाई, पशु स्वास्थ्य देखभाल, रोग नियंत्रण, कृषि बीमा और कृषि ऋण, ग्रामीण स्वच्छता जैसे कतिपय अधिसूचित सेवाओं तथा श्रमिक सहकारी समितियों से संबंधित सेवाओं के लिए वित्तीयन को शामिल किया जा सके । इस संशोधन से एनसीडीसी कुछ निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत सहकारी समितियों का वित्तपोषण करने में सक्षम हुआ है । यह संशोधन एनसीडीसी को अपनी विभिन्न योजनाओं के अधीन सहकारी समितियों को कतिपय निर्दिष्ट शर्तें पूरा करने पर प्रत्यक्ष वित्तीयन करने में भी सक्षम बनाता है ।

4.2.1 प्रबंधन और प्रशासनिक संरचना

एनसीडीसी का प्रबंधन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता वाली 54 सदस्यीय (3 विशेष आमंत्रित सहित) महापरिषद (GC) और सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता वाले 12 सदस्यीय प्रबंधन बोर्ड (BoM), जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, में निहित है । साधारण परिषद नीति दिशानिर्देश निर्धारित करती है और प्रबंधन बोर्ड, निगम का सामान्य प्रबंधन का पर्यवेक्षण करता है ।

4.2.2 एनसीडीसी सचिवालय

निगम सचिवालय की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक करते हैं और यह अपने मुख्यालय और बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, चेन्नई, गांधीनगर, गुवाहाटी (आइजोल में एक उप-कार्यालय के साथ), हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिमला और तिरुवनंतपुरम स्थित अपने 18 क्षेत्रीय कार्यालय से कार्य करता है । एनसीडीसी की प्रशिक्षण अकादमी, लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारिता अनुसंधान एवं विकास (लिनाक) गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित है और विभिन्न राज्यों में इसके 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं । एक शीर्षस्थ संस्थान की भूमिका निभाने में सहायता के लिए निगम ने इन-हाउस तकनीकी और प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण किया है ।

4.2.3 एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित योजनाएं/सहायता किये जाने वाले कार्यकलाप

क. कार्यान्वित योजनाएं:

I. एनसीडीसी प्रायोजित योजनाएं: एनसीडीसी ने अपनी स्वयं की योजनाएं तैयार की है जिसका वित्तपोषण अनन्य रूप से एनसीडीसी द्वारा ही किया जाता है । एनसीडीसी द्वारा प्रायोजित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है: -

(क) युवा सहकार: सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना: इस योजना का उद्देश्य नए और/या नवीन विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह एनसीडीसी द्वारा बनाए गए सहकारी स्टार्ट-अप और इनोवेशन फंड से जुड़ा है। वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 1.36 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है ।

(ख) आयुष्मान सहकार: इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है। वर्ष के दौरान इस योजना के तहत कोई संवितरण नहीं किया गया है।

(ग) नंदिनी सहकार: इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता गतिशीलता का समर्थन करना है। यह वर्ष के दौरान महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी और/या अन्य योजनाओं के ब्याज अनुदान के महत्वपूर्ण इनपुट को एकत्रित करेगा। इस योजना के तहत 1.49 करोड़ रुपए वितरित किये गये हैं।

(घ) डेयरी सहकार: यह ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता का एक सहकारी डेयरी व्यवसाय केंद्रित ढांचा है। इसमें नई परियोजनाओं के लिए सहकारी समितियों द्वारा बुनियादी ढांचे का निर्माण और मौजूदा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/ विस्तार शामिल है। वर्ष के दौरान, इस योजना के तहत 13.49 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है ।

(ङ) डिजिटल सहकार: डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के अनुरूप, एनसीडीसी ने डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी द्वारा सहायता और क्रेडिट लिंकेज के लिए एक केंद्रित वित्तीय सहायता ढांचे की कल्पना की है, जो भारत सरकार/राज्य/संघ

राज्यक्षेत्र से अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन आदि के साथ मेल खाता है। सहकारी समितियों के उद्देश्य वाली एजेंसियां डिजिटल इंडिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 0.42 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है ।

(च) स्वयं शक्ति सहकार योजना: - महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना । वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 756.06 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है ।

(छ) दीर्घकालिक कृषक पुंजी सहकार योजना: एनसीडीसी के दायरे में आने वाली गतिविधियों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम देने के लिए एनसीडीसी की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना । साल के दौरान, इस योजना के तहत 60.00 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है।

II. अन्य केंद्रीय योजनाएं:

एनसीडीसी प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त, यह भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं को भी लागू कर रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है: -

i) **कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)** भंडारण एवं अन्य भंडारण अवसंरचना के लिए केंद्रीय क्षेत्रक कृषि विपणन एकीकृत योजना (CSISAM) की कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) उपयोजना – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

ii) **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)** – एकीकृत फसल पश्चात प्रबंधन - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

iii) **कृषि अवसंरचना कोष (AIF)** योजना के अधीन ब्याज अनुदान एवं क्रेडिट गारंटी के माध्यम से वित्तीय सुविधा - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

iv) **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि** (**AHIDF): -** पशुपालन और डेयरी विभाग

v) **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** – मत्स्य पालन विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

vi) **प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)** – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

vii) **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना और संवर्धन योजना** – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

viii) (**क**) **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) – खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन योजना** - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(ख) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) – एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

ix) **नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोरपोरेशन (NSTFDC)** द्वारा **अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की योजनाएं** – जनजातीय कार्य मंत्रालय

x) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM**) – पशुपालन और डेयरी विभाग**;** मत्स्यपालन**,** पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

ख. एनसीडीसी द्वारा सहायता किए जाने वाले कार्यकलाप: अधिनियम के अनुसार एनसीडीसी राज्यों के माध्यम से और निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष वित्तीयन द्वारा वित्तपोषित करता है: -

i) विपणन:

- मार्जिन धनराशि/कार्यशील पूंजी सहायता
- प्राथमिक/जिला सहकारी विपणन समितियों की शेयर पूंजी आधार का सशक्तिकरण
- फर्नीचर व फिक्स्चर, प्रशीतन वाहन सहित परिवहन वाहनों की खरीद
- कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास/सशक्तिकरण

ii) प्रसंस्करण:

- नए चीनी कारखानों की स्थापना (निवेश ऋण)
- मौजूदा चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण और विस्तारण/विविधीकरण (निवेश ऋण और सावधि ऋण)
- नए कताई मिलों की स्थापना और मौजूदा कताई मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तारण/ पुनर्वास

- कपास जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तारण और नई आधुनिक जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों की स्थापना
- लघु/मध्यम आकार के कृषि व संबद्ध प्रसंस्करण इकायों, पूर्व/पश्च-करघा प्रसंस्करण/वस्त्र व बुनाई इकाइयों की स्थापना
- अन्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे खाद्यान्न/तिलहन/बागवानी फसल/फल व सब्जियां/मक्का स्टार्च/पार्टिकल बोर्ड, इत्यादि की स्थापना
- मार्जिन धनराशि/कार्यशील पूंजी सहायता
- नई स्पिनिंग मिलों में राज्य सरकार की शेयर पूंजी भागीदारी

iii) भंडारण:

- गोदामों का निर्माण और मौजूदा गोदामों की मरम्मती/जीर्णोद्धार
- मार्जिन धनराशि/कार्यशील पूंजी सहायता

iv) शीत श्रृंखला:

- शीतागारों का निर्माण/विस्तारण/आधुनिकीकरण
- शीत श्रृंखला घटकों की स्थापना जिसमें मुख्य रूप से (i) एकीकृत पैक हाउस, (ii) रीफर परिवहन, (iii) शीतागार (थोक- फार्म गेट के निकट), (iv) शीतागार (हब-बाजार के निकट) और (v) राइपनिंग इकाइयां, आदि शामिल हैं
- मार्जिन धनराशि/कार्यशील पूंजी सहायता

v) सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों का वितरण:

- शॉपिंग सेंटर, डीज़ल, किरासन बंक/भांडागारों की स्थापना, नए थोक उपभोक्ता सहकारी स्टोर/डिपार्टमेंटल उपभोक्ता सहकारी स्टोर/उपभोक्ता संघों की स्थापना और विस्तारण/आधुनिकीकरण
- उपभोक्ता सामग्रियों के वितरण के लिए फर्नीचर व फिक्स्चर, प्रशीतन वाहन सहित परिवहन वाहनों की खरीद
- मार्जिन धनराशि/कार्यशील पूंजी सहायता

vi) औद्योगिक:

- सभी प्रकार के औद्योगिक सहकारी समितियां, कुटीर और ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प/ ग्रामीण शिल्प, इत्यादि

vii) क्रेडिट और सेवा सहकारी समितियां/अधिसूचित सेवाएं:

- कृषि ऋण/कृषि बीमा
- जल संरक्षण कार्य/सेवाएं
- सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई
- पशु देखभाल/स्वास्थ्य/रोग निवारण
- सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता, जलनिकासी, मलजल प्रणाली
- पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन
- नवीन, गैर-पारंपरिक व नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन व वितरण
- ग्रामीण आवासन
- अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा
- क्रेडिट सहकारी समितियों के लिए अवसंरचनाओं का निर्माण

viii) सहकारी बैंकिंग इकाई:

- आधुनिक बैंकिंग इकाई से संबंधित अवसंरचना के निर्माण में पैक्स को सहायता

ix) कृषि सेवाएं:

- सहकारी किसान सेवा केंद्र
- कस्टम हाइरिंग हेतु कृषि सेवा केंद्र
- कृषि निविष्टि विनिर्माण और संबद्ध इकाइयों की स्थापना
- सिंचाई/जल संचयन कार्यक्रम

x) जिला प्लान योजनाएं:

- चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

xi) दुर्बल वर्गों के लिए सहकारी समितियां:

- मात्स्यिकी, डेयरी और पशुधन, पोल्ट्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियां, हथकरघा, कॉएर, जूट, रेशम उत्पादन, महिला, पहाड़ी क्षेत्र, तंबाकु व श्रमिक

xii) सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए सहायता:

- कंप्यूटर/हार्डवेयर, सिस्टम व ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की खरीद/इंस्टॉलैशन, नेटवर्किंग, रखरखाव लागत, तकनीकी श्रमबल और क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की जाती है ।

xiii) संवर्धनात्मक व विकासात्मक कार्यक्रम:

- अध्ययन/परियोजना रिपोर्टों, प्रबंधन अध्ययन के लिए परामर्शी सेवाएं
- बाजार सर्वेक्षण व कार्यक्रमों का मूल्यांकन, इत्यादि

4.2.4 एनसीडीसी द्वारा संचयी संवितरण

एनसीडीसी ने अपनी स्थापना से लेकर दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रूप से 3,13,198.43 करोड़ रुपए का संवितरण किया है । दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र-वार संचयी संवितरण निम्नानुसार दर्शायी गई है:

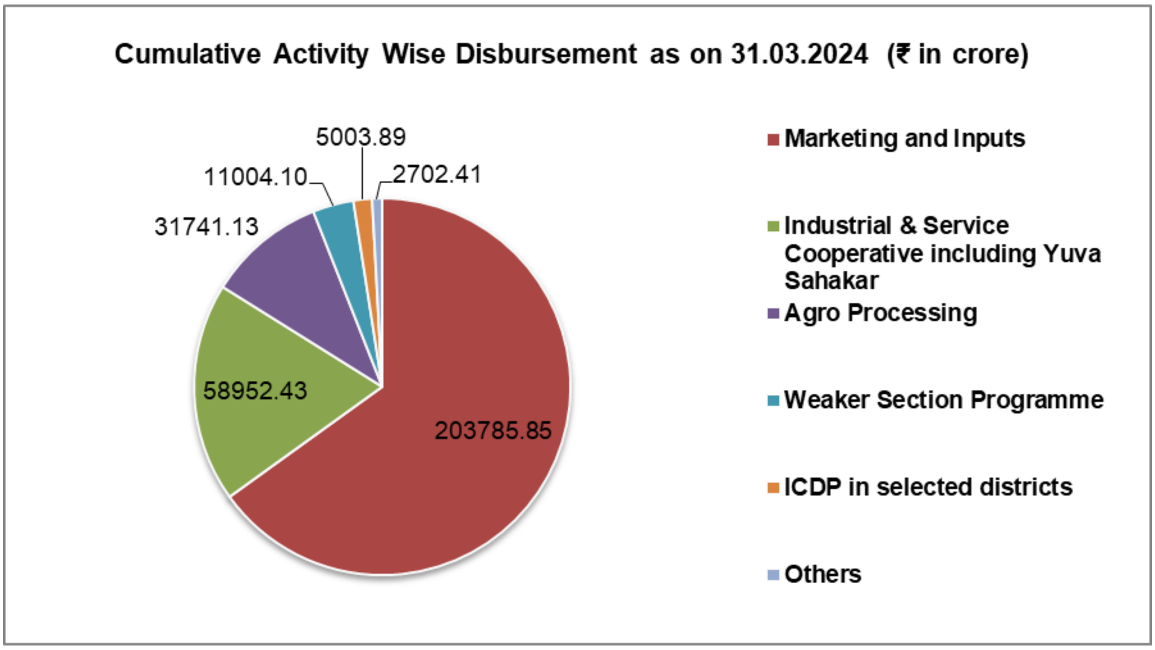

4.2.5 वर्ष 2014-15 से एनसीडीसी की विकास प्रक्षेपपथ

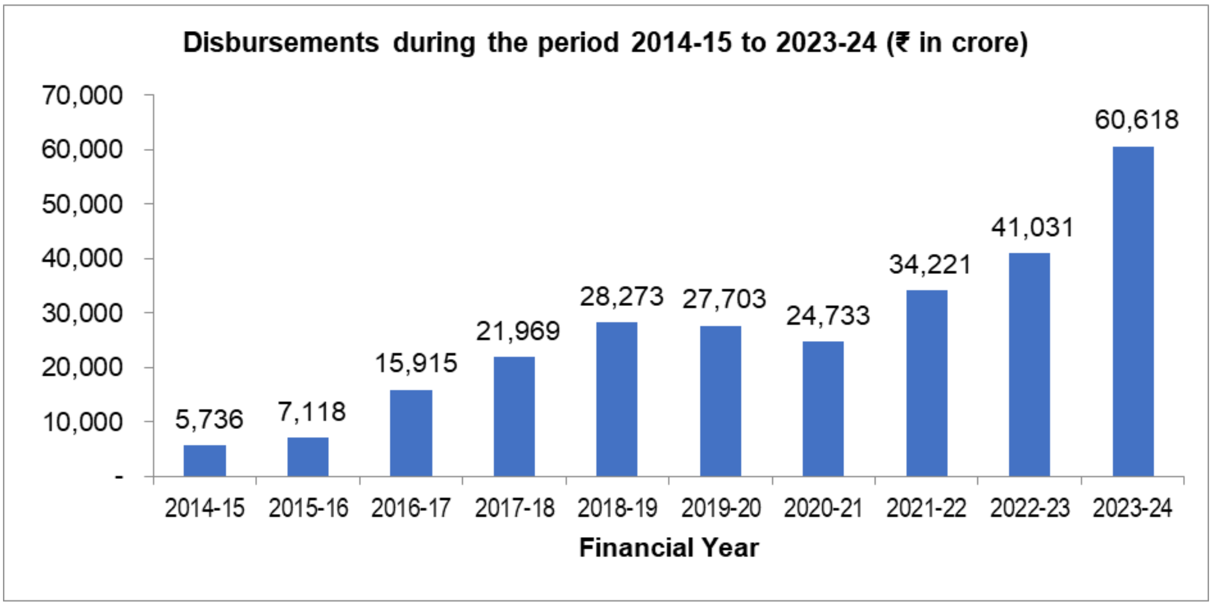

एनसीडीसी का संवितरण, वर्ष 2014-15 में 5,736 करोड़ रुपए से निरंतर बढ़ते हुए वर्ष 2022-23 में 60,618.47 करोड़ रुपए हो चुका है । इसके साथ ही वित्तीय सहायता संवितरण में एनसीडीसी ने वर्ष 2014-15 के पश्चात् लगभग 30% का औसत वार्षिक विकास दर प्राप्त कर लिया है । इसके अतिरिक्त, एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2023 -24 के दौरान वित्तीय सहायता के संवितरण में 48% की वृद्धि हासिल की है ।

4.2.6 सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पश्चात की गई पहलें

एनसीडीसी ने देश की सहकारी समितियों के आर्थिक विकास और विस्तारण के लिए अनेक पहलें की हैं । प्रमुख पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

1. दो नई योजनाओं का शुभारंभ

दिनाक 06 जुलाई, 2021 को नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पश्चात्, एनसीडीसी ने तीव्रता से प्रगति की है । इसने निम्नलिखित नई योजनाएं भी बनाई हैं -

क. दीर्घावधि कृषक पुंजी सहकार योजना–एनसीडीसी के क्षेत्राधिकार के अधीन किए जाने वाले कार्यकलापों/उत्पादों/सेवाओं के लिए कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को आगे उधार

देने हेतु दीर्घावधि ऋण/अग्रिम के लिए एनसीडीसी की दीर्घावधि वित्तीय सहायता (5 वर्ष तक) ताकि:

i. सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित हो सके,

ii. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में पूँजी निर्माण में गति प्राप्त हो सके,

iii गैर-कृषि क्षेत्रक कार्यकलापों की सहायता जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके ।

ख.**स्वयं शक्ति सहकार योजना**–महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे:-

I. गरीबों को किफायती लागत प्रभावी विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके,

II. महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को साझा/सामूहिक सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों आरंभ करने के लिए पर्याप्त बैंक ऋण की सुविधा हो सके,

III. संवहनीय आजीविका का संवर्धन हो सके ।

2. सहकारी चीनी मिलों का सशक्तिकरण

भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से एनसीडीसी को सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है । एनसीडीसी द्वारा इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को एथनॉल संयंत्र, कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या तीनों प्रयोजनों के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है ।

नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अधीन प्राप्त अनुदान का उपयोग करते हुए एनसीडीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 25 सहकारी चीनी मिलों को 3848.76 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

3. गहरे समुद्री ट्रॉलरों का वित्तीयन

- एनसीडीसी ने गहरे समुद्री ट्रॉलरों के वित्तीयन का कार्य लिया है । 20.30 करोड़ रुपए के ब्लॉक लागत पर महाराष्ट्र में 14 गहरे समुद्री ट्रालरों की खरीद के लिए 11.55 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है ।

- एनसीडीसी ने 46.74 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत से समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए राजमाता विकास मच्छीमार सहकारी संस्था लिमिटेड, मुंबई को 37.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की है।
- एनसीडीसी ने 36.00 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत से श्री महावीर मच्छीमार सहकारी मंडली लिमिटेड, गुजरात के 30 गहरे समुद्री ट्रालरों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
- एनसीडीसी ने केरल सरकार की इंटिग्रेटेड फिशरीज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (IFDP) के लिए 32.69 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की है।

4. किसान उत्पादक संगठनों के रूप में पैक्स (FPOs)

जुलाई, 2020 में आरंभित "10,000 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्धन" की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अधीन एनसीडीसी एक कार्यान्वयन एजेंसी (IA) है । एनसीडीसी को संदर्भ आबंटन वर्ष 2020-21 के दौरान 500 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना एवं संवर्धन का लक्ष्य आबंटित किया गया है । इसके अतिरिक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग के एकीकृत पोषण प्रबंधन (INM) प्रभाग से एनसीडीसी को 29 जैविक किसान उत्पादक संगठन आबंटित किए गए हैं । संदर्भ आबंटन वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीडीसी को 234 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना एवं संवर्धन का अतिरिक्त लक्ष्य आबंटित किया गया है। इस संदर्भ में दिनांक 31.03.2024 तक सहकारी अधिनियम के अधीन 695 FPOs पंजीकृत किए गए हैं ।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस योजना के अधीन सहकारी क्षेत्र में पैक्स के सशक्तिकरण के लिए अतिरिक्त 1100 किसान उत्पादक संगठनों का आबंटन किया है । दिनांक 31.03.2024 तक 701 पैक्स चयनित किए गए हैं जिसमें से 100 को पहले ही किसान उत्पादक संगठनों के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है तथा 154 पैक्स के आवेदन प्रक्रियाधीन है ।

एनसीडीसी द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक इस योजना के अधीन FPOs/CBBOs को 94.66 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया है ।

एनसीडीसी ने दिनांक 14 जुलाई, 2023 को IECC कंवेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में "किसान उत्पादक संगठन के रूप में पैक्स" पर एक-दिवसीय महासंगोष्ठी का आयोजन किया । इस कार्यक्रम का उद्‌घाटन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया । माननीय केंद्रीय कृषि और किसान

कल्याण मंत्री, माननीय सहकारिता राज्यमंत्री और विभिन्न मंत्रालयों के अन्य गणमान्य अतिथियों ने इस आयोजन में प्रतिभाग किया । इस आयोजन में 900 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त, एनसीडीसी द्वारा देश भर से किसान उत्पादक संगठनों के उपज को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19-20 अक्टूबर, 2023; दिनांक 8–10 फरवरी, 2024 और दिनांक 19–21 मार्च, 2024 को एनसीडीसी मुख्यालय, नई दिल्ली में FPO मेले का आयोजन किया गया ।

5. मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) की स्थापना और संवर्धन में भूमिका

मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) की स्थापना और संवर्धन के लिए एनसीडीसी को कार्यान्वयन एजेंसियों (IA) में से एक के रूप में निर्धारित किया गया है । प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन मत्स्य किसान उत्पादक संगठन योजना का लक्ष्य सर्वांगीण एवं सहयोगी परितंत्र के निर्माण के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र में समावेशी और संवहनीय रूपांतरण प्राप्त करना है ।

एनसीडीसी को आबंटित 70 मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों के आरंभिक लक्ष्य में से सभी को सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया है और उनका व्यवसाय कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है । इसके अलावा मत्स्यपालन विभाग**,** भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी को 225.50 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय से 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सहकारी मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों में रूपांतरित करने का लक्ष्य आबंटित किया गया है । एनसीडीसी ने योजना के अधीन दिनांक 31.03.2024 तक FFPOs/CBBOs को 38.53 करोड़ रुपए का संवितरण किया है ।

6. लिनाक-एनसीडीसी फिशरीज़ बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर (LIFIC)

लिनाक-एनसीडीसी फिशरीज़ बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर (LIFIC) – जो अपनी तरह का देश का पहला निर्दिष्ट व्यावसायिक इंक्यूबेटर है, का दिनांक 16 नवंबर, 2021 को उद्घाटन किया गया । भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अधीन लिनाक में LIFIC की स्थापना की गई है ।

LIFIC युवा पेशेवरों/उद्यमियों, प्रगतिशील मत्स्य किसानों, मात्स्यिकी आधारित उद्योगों एवं प्राथमिक, जिला, राज्य, बहुराज्य या राष्ट्रीय संघ के स्तर जैसे विभिन्न स्तरों पर मात्स्यिकी सहकारी समितियों की सहभागिता में कार्य करने वाले अन्य संस्थानों को संबंधित इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करता है । इसके द्वारा 13 कार्यक्रम संचालित किए गए हैं जिनसे संपूर्ण भारत में 163 प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं ।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (RTCs) सहित लिनाक ने 194 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 11,864 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

7. परियोजना निगरानी इकाई (PMU) की स्थापना:

देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर करने के लिए नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्सिकी प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना हेतु मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार एनसीडीसी ने नई सहकारी समितियों की स्थापना की रीयल-टाइम निगरानी के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) का गठन किया है ।

8. तीन राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियों में एनसीडीसी का योगदान

निर्यात, जैविक उत्पाद और उन्नत बीजों के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना हेतु मंत्रिमंडल अनुमोदन के अनुसार एनसीडीसी ने तीनों बहुराज्य सहकारी समितियों के संवर्धन और पंजीकरण में अपना सहयोग दिया।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड :

- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति है जो सहकारी समितियों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है । एनसीडीसी ने शेयर पूंजी के रूप में 100.00 करोड़ रुपए के अंशदान की प्रतिबद्धता जताई है जिसमें से 1.01 करोड़ रुपए का अंशदान किया जा चुका है ।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड:

- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति है जो सहकारी समितियों में उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है । एनसीडीसी ने शेयर पूंजी के रूप में 50 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के अंशदान की प्रतिबद्धता जताई है जिसमें से 2.01 करोड़ रुपए का अंशदान किया जा चुका है।

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड:

- राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति है जो सहकारिता के माध्यम से प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है । एनसीडीसी ने शेयर पूंजी के रूप में

20.00 करोड़ रुपए के अंशदान की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें से 5.01 करोड़ रुपए का अंशदान किया जा चुका है ।

9. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन

एनसीडीसी ने नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (NAFCUB) द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थापित की जाने वाली अंब्रेला संगठन के लिए 20% इक्विटी (अधिकतम 200 करोड़ रुपए) के अंशदान की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है । तय राशि के लिए 20 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं ।

10. CGTMSE के तहत MLI के रूप में पंजीकरण

NCDC ऋणों को सुरक्षित करने के लिए गारंटी कवर प्रदान करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय, भारत सरकार और SIDBI द्वारा स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के अधीन NCDC को पात्र ऋणदाता संस्थान के रूप में CGTMSE द्वारा शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है ।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ संयुक्त ऋण समझौता

NCDC ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अधीन पैक्स को सावधि ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसकी कुल राशि 20,000 करोड़ रुपए है । इसके अलावा, पब्लिक सेक्टर के कई अन्य बैंक भी एनसीडीसी के साथ 14,500 करोड़ रुपए के संयुक्त ऋण करार के लिए सहमत हुए हैं ।

12. एनसीडीसी द्वारा 2000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन

भारत सरकार ने विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अध्यधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सरकारी गारंटी पर 2000 करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की है ।

13. ब्याज की फ्लोटिंग दर (अस्थिर दर)

एनसीडीसी ने दिनांक 14.02.2023 से सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण के लिए ब्याज की फ्लोटिंग दर (अस्थिर दर) की शुरुआत की है ।

4.3 राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT)

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त समिति है । एनसीसीटी का कार्य देश के सहकारी क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों, बोर्ड सदस्यों और कार्मिकों के लिए सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन, निदेशन, निगरानी और मूल्यांकन करना है । परिषद के देशभर में 20 संस्थान है, नामतः राष्ट्रीय स्तर पर वैमिनीकॉम, पुणे; पांच क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान जो चंडीगढ़, बंगलुरू, कल्याणी, गांधीनगर, पटना में स्थित हैं और 14 सहकारी प्रबंधन संस्थान जो भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, कन्नूर, लखनऊ, मदुरै, नागपुर, पुणे और थिरुवनंतपुरम में स्थित हैं ।

एनसीसीटी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरुकता कार्यक्रम का संचालन करता है जो सहकारी समितियों के लिए लाभकारी हैं । वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन वैमिनीकॉम के माध्यम से किया जाता है और मध्यम स्तर व कनिष्ठ स्तर के कार्यकारी अधिकारियों के लिए एवं सदस्यों हेतु कार्यक्रमों का संचालन 19 क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थानों/ सहकारी प्रबंधन संस्थानों के माध्यम से किया जाता है । एनसीसीटी का मुख्य उद्देश्य आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना और देश में सहकारी समितियों के लिए मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया को सुगम बनाना है । यह सहकारिता आंदोलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान की परिकल्पना भी करता है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में सहकारिता मंत्रालय द्वारा एनसीसीटी को अनुदान के रूप में 36.51 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है ।

4.3.1 सहकारी क्षेत्र हेतु नई पहलों/योजनाओं और उपलब्धियों के लिए आउटरीच और प्रसार कार्यशाला

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिनांक 07 जून, 2023 को एनसीसीटी द्वारा "सहकारी क्षेत्र हेतु नई पहलों/योजनाओं और उपलब्धियों के लिए आउटरीच और प्रसार कार्यशाला" का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला का लक्ष्य सहकारिता मंत्रालय की उपलब्धियों और उसके द्वारा किए गए पहलों पर ध्यान आकर्षित करना और सहकारिता के क्षेत्र के पत्रकारों, मीडिया कर्मियों, सोशल मीडिया कैम्पेनरों, लेखकों और रचनाकारों सहित विभिन्न हितधारकों में जागरुकता प्रसार करना था । इस कार्यशाला का उद्‌घाटन श्री ज्ञानेश कुमार, भा.प्र.सेवा, सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने किया ।

श्री ज्ञानेश कुमार, भा.प्र. सेवा, सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07 जून, 2023 को सहकारी क्षेत्र हेतु नई पहलों/योजनाओं और उपलब्धियों के लिए आउटरीच और प्रसार कार्यशाला का उद्घाटन

कार्यशाला के दौरान विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया। इन सत्रों का संचालन मंत्रालय में पैक्स के कंप्यूटरीकरण, आदर्श उपविधियों का अंगीकरण, कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स, राष्ट्रीय सहकारी नीति, इत्यादि जैसी पहलों से संबंधित प्रभागों के अधिकारियों द्वारा किया गया।

श्री राकेश कुमार, उपमहानिदेशक, सहकारिता मंत्रालय

श्री कपिल मीना, उपसचिव, सहकारिता मंत्रालय

श्री जितेंद्र नागर, उपायुक्त, सहकारिता मंत्रालय

सुश्री सुचेता शर्मा, उपनिदेशक, सहकारिता मंत्रालय

("सहकारी क्षेत्र हेतु नई पहलों/योजनाओं और उपलब्धियों के लिए आउटरीच और प्रसार कार्यशाला" के दौरान सत्र का संचालन)

4.3.2 वर्ष 2023-24 में एनसीसीटी की प्रमुख उपलब्धियां

- एनसीसीटी ने अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान 3,619 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया और 2,21,478 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया ।

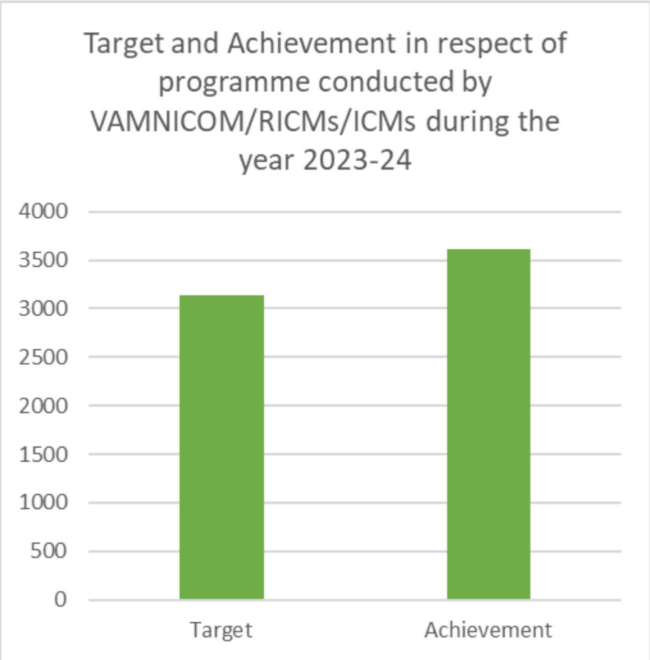

- सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस इन कोऑपरेशन (C-PEC), BIRD ने एनसीसीटी के सभी संस्थानों को वर्ष 2023-24 से तीन वर्षों के लिए पुन: मान्यता प्रदान की है ।
- एनसीसीटी ने विभिन्न सोशल मीडिया के उपयोग के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों की सूचना के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई है।
- देश भर में लोगों के बीच इन पहलों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए एनसीसीटी ने स्वतंत्र लेखकों का एक पैनल बनाया है और इन लेखकों के साथ-साथ एनसीसीटी के संकाय और अधिकारियों द्वारा स्थानीय भाषाओं में लिखित लगभग 142 लेख प्रकाशित किए हैं ।
- एनसीसीटी ने देश भर में स्थानिक प्रेस के माध्यम से दैनिक आधार पर सरकार द्वारा की गई पहलों और सहकारी समितियों की सफलता की कहानियों को कवर करने के लिए "एनसीसीटी को-ऑप न्यूज बुलेटिन" नामक अपना दैनिक समाचार बुलेटिन शुरू किया है ।
- अप्रैल 2023 से मार्च, 2024 तक एनसीसीटी फेसबुक पेज (https://www.facebook.com/ncctandinstitutes/) की वार्षिक पहुंच लगभग 10 लाख

व्यक्तियों तक है और अब उसके 4066 फ़ॉलोअर्स हैं । इसी प्रकार, एनसीसीटी के ट्विटर (https://twitter.com/ncct_institutes/) अकाउंट की वार्षिक पहुंच अब लगभग 72650 व्यक्तियों तक है और उसके 2166 फ़ॉलोअर्स हैं ।

- आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु की मौजूदा उपविधियों का पैक्स के आदर्श उपविधियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन का कार्य किया ।
- सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहलों, विशेषकर पैक्स के सशक्तिकरण की पहलों पर देश भर में 1870 जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 1,52,444 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया ।

4.4 वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम)

"सहकारी प्रशिक्षण मात्र एक पूर्वपेक्षा नहीं, बल्कि सहकारी कार्यकलापों की एक स्थायी शर्त है।"

वैकुंठ मेहता

पुणे में वैमनीकॉम कैम्पस

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के तत्वाधान में वैमनीकॉम एक राष्ट्रीय संस्थान है जो सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित है और जो देश के सहकारी क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है । वर्ष 1946 में मुंबई सहकारी प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गयी जिसका नाम 1967 में बदलकर वैमिनीकॉम रखा गया । यह एक सहकारी प्रबंधन प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं का एक शीर्षस्थ संस्थान है । इसने सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी अपने कार्यकलापों का विस्तार किया है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में सहकारिता मंत्रालय द्वारा वैमनीकॉम को 8.28 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया । इसके अलावा, संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षु

छात्रावास-संगम (जिसका उद्‌घाटन माननीय राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2024 को किया गया) के साथ-साथ अवसंरचना के निर्माण/विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का एक-मुश्त विशेष अनुदान प्रदान किया गया ।

4.4.1 वैमनीकॉम के केंद्र

इस संस्थान के निम्नलिखित स्थापित केन्द्र हैं:

1. सहकारी प्रबंधन केन्द्र (CCM)
2. सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (CIT)
3. प्रशिक्षण और सूचना प्रणाली केन्द्र (TIS)
4. प्रबंधन शिक्षा केंद्र (CME)
5. लैंगिक अध्ययन केंद्र (CGS)
6. अनुसंधान और प्रकाशन केंद्र (CRP)
7. उद्यमिता विकास केंद्र (CED)

4.4.2 वैमनीकॉम के कार्यक्रम

वैमनीकॉम उपयोगकर्ता संगठनों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है । यह संस्थान या तो स्वयं या सहभागी व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रायोजित आवश्यकता-आधारित कार्यक्रमों का संचालन करता है । संस्थान द्वारा विपणन, ऋण, बैंकिंग उद्योग, प्रशासन, इत्यादि जैसे विभिन्न सेक्टरों के लिए विविध प्रबंधन विकास कार्यक्रमों और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा सहकारिता मंत्रालय की नव-पहलों को बढ़ावा देने के लिए वैमनीकॉम, उभरते/नवाचारों के क्षेत्रों में कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन में भी अग्रणी है । वर्ष 2023-24 के दौरान संस्थान ने 274 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक 18,468 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। कुल प्रतिभागियों में 6,136 महिलाएं और अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 1,858 प्रतिभागी शामिल हैं ।

4.4.2.1 सहकारी व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDCBM)

यह पाठ्यक्रम विद्यमान सहकारी व्यवसाय परिवेश की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिभागियों को यथोचित प्रबंधन कौशल प्रदान करने हेतु सहकारी संगठनों और विभागों में कार्यरत वरिष्ठ स्तर के कार्मिकों के लिए तैयार किया गया है । PGDCBM कार्यक्रम का 57वां बैच 17 प्रतिभागियों के साथ 18 सितम्बर, 2023 से 27 मई, 2024 तक चला ।

श्री बी.एल. वर्मा, सहकारिता राज्यमंत्री, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 15 अप्रैल, 2023 को PGDCBM के 55वें और 56वें बैच के प्रतिभागियों का वार्षिक दीक्षांत समारोह

4.4.2.2 प्रबंधन-कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDM-ABM)

वैमनीकॉम के प्रबंधन शिक्षा केन्द्र द्वारा वर्ष 1993 से दो वर्षीय प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDM) प्रदान किया जाता है और वर्ष 2004 से प्रबंधन-कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDM-ABM) आरंभ किया गया । यह केन्द्र विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विविध कौशल वाले युवा विद्यार्थियों को भावी सक्षम पेशेवरों के रूप में तैयार करता है। ये विद्यार्थी अपने संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए तकनीकी कौशल के प्रयोग को सामाजिक सांस्कृतिक कौशल की समझ के साथ जोड़ना सीखते हैं और समाज के सभी क्षेत्रों में प्रबंधन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं । कृषि व्यवसाय और सहकारी प्रबंधन के क्षेत्र में पेशेवर प्रबंधकों की निरंतर बढ़ती आवश्यकता के मद्देनज़र प्रबंधन-कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDM-ABM) कार्यक्रम को कृषि व्यवसाय प्रबंधन (ABM) में विशेषज्ञता के साथ पुनर्गठित किया गया है ।

प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा-कृषि व्यवसाय प्रबंधन (PGDM-ABM) को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) द्वारा प्रत्यायित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और इसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (AIU) द्वारा एमबीए डिग्री के समकक्ष मान्यता दी गई है । वैमनीकॉम ने PGDM-ABM (वर्ष 2021-23 बैच) के 87 विद्यार्थियों के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट की अपनी परंपरा को बरकरार रखा है । सर्वाधिक और औसत प्रस्तावित CTC प्रतिवर्ष क्रमश: 16.75 लाख और 9.76 लाख रहा ।

श्री बी.एल. वर्मा, सहकारिता राज्यमंत्री, भारत सरकार दिनांक 15 अप्रैल, 2023 को वार्षिक दीक्षांत समारोह के अवसर पर PGDM (ABM) के 29वें बैच में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल प्रदान करते हुए

4.4.3 अनुसंधान और प्रकाशन

अनुसंधान एवं प्रकाशन वैमनीकॉम के अभिन्न कार्य हैं । इस संस्थान का एक पूर्ण विकसित पृथक केन्द्र है जिसे 'अनुसंधान एंव प्रकाशन केन्द्र' के रूप में जाना जाता है । यह केन्द्र विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करता है, जो नीति पक्ष-समर्थन के साथ-साथ प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में काम करता है । यह संस्थान प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है ।

यह संस्थान "कोऑपरेटिव पर्सपेक्टिव" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है जिसे पिछले 54 वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । यह पत्रिका अंतर्राष्ट्रीय मानक

क्रमांक ISSN 0302-7767 वाली एक विशेषज्ञ-समीक्षित जर्नल है । यह सहकारी आंदोलन के सभी पहलुओं के विचार मंच के रूप में कार्य करता है और सहकारी उद्यमों के तीव्र विस्तारण और विविधीकरण से संबंधित ज्ञान व सूचनाओं का एक सहज स्रोत है ।

इस केन्द्र ने वर्ष के दौरान 01 अनुसंधान परियोजना और 07 केस स्टडी पर कार्य किया तथा 09 अनुसंधान लेखों व 01 पुस्तक का प्रकाशन किया है ।

4.4.4 कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहकार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (CICTAB)

फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) की पहल पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1983 में CICTAB की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई जिसका मुख्यालय वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन कैम्पस, पुणे में है ।

CICTAB की स्थापना, CICTAB पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) मिशन (अध्यक्ष बी. वेंकटपइया, पूर्व डिप्टी गवर्नर, आरबीआई और पुणे में संपन्न हुए CICTAB के चार प्रारंभिक सदस्य देश, नामत: बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका तथा भारत की सरकारी परामर्शों के पृष्ठांकन के साथ) की सिफारिश के अनुरूप किया गया । आरंभ में CICTAB इस क्षेत्र के चार देशों, नामत: बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत के लिए कार्यशील हुआ ।

तदुपरांत, वर्ष 1991 में CICTAB के साधारण परिषद ने सार्क क्षेत्र के सभी देशों के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास प्रयासों के मुख्य केंद्र के रूप में CICTAB कार्यकलापों के विकास को पुर्नजीवित करने का निर्णय लिया ।

CICTAB के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. ग्रामीण वित्तीयन और विकास कार्य में शामिल कृषि बैंकिंग-ऋण एवं अन्य संगठनों में प्रशिक्षण के लिए सक्रिय प्रोत्साहन और सशक्तिकरण करना ।

ii. कृषि/ग्रामीण वित्तीयन और विकास के विभिन्न पहलुओं पर भारत अथवा इस क्षेत्र के अन्य देशों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करना ।

अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान, CICTAB ने 23 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 622 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया । CICTAB ने अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (AARDO) सदस्य देशों, अर्थात घाना, कीनिया, मॉरीशस, जाम्बिया, गाम्बिया और नाइजीरिया के 22 प्रतिभागियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है ।

दिनांक 03-11 दिसम्बर, 2023 के दौरान आयोजित इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स- इंडियन एक्सपीरियंस इन कोलैबरेशन विथ अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (AARDO)

अध्याय- 5

राष्ट्रीय सहकारी समितियां/संघ –भूमिका, कार्य और स्तर

राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (यथासंशोधित) की धारा 3(आर) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इन्हें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है ।

2. वर्तमान में 19 बहुराज्य सहकारी समितियों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है और ये बहुराज्य सहकारी समितियां शीर्षस्थ स्तर की सहकारी समितियां है जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने-अपने संबंधित क्षेत्रकों का प्रतिनिधित्व करती है । इसी तरह से राज्य स्तर पर राज्य संघ और जिला स्तर पर जिला संघ अपने संबंधित क्षेत्रकों का प्रतिनिधित्व करती हैं । इन राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों के कार्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 24 में परिभाषित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :

धारा – 24: संघीय सहकारी समितियों के कार्य

(1) इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई संघीय सहकारी समिति स्वयं सहायता और पारस्परिक सहयोग के आधार पर संघीय सहकारी समिति या बहुराज्य सहकारी समितियों के रूप में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक कार्यकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यों का निर्वहन कर सकती हैं ।

(2) उपधारा 2 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघीय सहकारी समिति-

(क) सहकारी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी ;

(ख) अपने सदस्य सहकारी समितियों के विचारार्थ आदर्श उपविधियां और नीतियाँ बनाएगी;

(ग) विशेषीकृत प्रशिक्षण, शिक्षा और डाटाबेस की सूचना प्रदान करेगी;

(घ) अपने सदस्य सहकारी समितियों के लिए संदर्शी विकास योजनाएँ तैयार करने हेतु अनुसंधान, मूल्यांकन और सहायता करेगा;

(ङ) सदस्य सहकारी समितियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना;

(च) सदस्य सहकारी समितियों को आपसी विवादों के निपटान में सहायता करेगा;

(छ) अपने सदस्य सहकारी समिति की ओर से व्यावसायिक सेवाएं देगा, यदि साधारण निकाय या बोर्ड के संकल्प के अधीन, या सदस्य सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन या विशेष रूप से अपेक्षित हो तो;

(ज) सदस्य सहकारी समिति को प्रबंधन विकास सेवाएं प्रदान करेगा;

(i) सदस्य सहकारी समितियों द्वारा अनुपालन के लिए आचार संहिता तैयार करेगा;

(ञ) सदस्य सहकारी समिति के लिए व्यवहार्यता मानदंड विकसित करेगा;

(ट) सदस्य सहकारी समिति को विधिक सहायता और सलाह प्रदान करेगा;

(ठ) स्वयं सहायता के आयोजन में सदस्य सहकारी समिति की सहायता करेगा;

(ड) बाजार आसूचना प्रणाली, लोगो, ब्रांड संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रौद्योगिकी उन्नयन विकसित करेगा ।

3) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 (यथासंशोधित) की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध 19 राष्ट्रीय सहकारी समितियों के नाम निम्नानुसार हैं :

i) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैंस कोऑपरेटिव्स लिमिटेड (FISHCOPFED)

ii) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (NCHF)

iii) कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड नई दिल्ली (KRIBHCO)

iv) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (NAFSCOB)

v) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लि. (NAFCARD)

vi) नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NLCF)

vii) नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड

viii) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (IFFCO)

ix) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड

x) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB)

xi) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी

xii) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI)

xiii) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED)

xiv) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF)

xv) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED)

xvi) नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCDFI)

xvii) राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL)

xviii) राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL)

xix) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL)

4. दिनांक 06 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना से ही सहकारिता मंत्रालय, **माननीय प्रधानमंत्री की "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने** के लिए सभी संभावी प्रयास कर रहा है। तदनुसार, यह मंत्रालय राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों के सशक्तिकरण के लिए भी कार्य कर रहा है ।

5. इस संबंध में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (यथासंशोधित) की धारा 24 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संघों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों/सचिव के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं । यह मंत्रालय इन राष्ट्रीय सहकारी संघों को अपना और अपने सदस्य समितियों के व्यवसाय बढ़ाने के लिए वृत्तिक अध्ययन संचालित करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है । इसके अलावा, मंत्रालय उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है क्योंकि यह जमीनी स्तर तक उपयोगी सूचनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

6. ये सभी 19 राष्ट्रीय सहकारी समितियां/संघ शीर्षस्थ स्तर की समितियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इनके सशक्तिकरण से सहकारी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा ।

मंत्रालय की स्थापना के बाद, राष्ट्रीय सहकारी संघों के निदेशक मंडल के साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की बैठकों के आधार पर संघों को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

- सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों द्वारा अपने व्यापार के विस्तार हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों के लाभ में वृद्धि करना।

- सभी संघों द्वारा अपने प्राथमिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना ।
- सभी संघ यह सुनिश्चित करें कि उनके सदस्यों की आय बढ़े एवं उन्हें न्यूनतम 20% लाभांश मिले ।
- सभी संघ अपने व्यापार में विविधीकरण की दिशा में कदम उठायें ।
- निर्यात सहकारी समिति हेतु आगामी 10 वर्षों के लिए व्यापार की योजना तैयार की जा सकती है, जिसका लक्ष्य कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार करना हो ।
- कृभको, 1000 पैक्स को अंगीकार करेंगे जो उर्वरक वितरण, ड्रोन, सीएससी और अनाज भंडारण से संबंधित कार्य की सेवाएं प्रदान करेंगे ।
- कृभको, 200 मॉडल पैक्स स्थापित करे जो एक वर्ष के भीतर मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सभी सेवाएं प्रदान करेगी ।
- NAFED, तुअर, उड़द, मसूर और बाजरा का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के साथ पूर्व अनुबंध करे ।
- NAFED, प्याज और गेहूं की खरीद के लिए किसानों का सीधा रजिस्ट्रेशन करे।
- जहाँ मक्का एवं दालों का उत्पादन अधिक है, उन राज्यों के किसानों से इन उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए NAFED और NCCF ने एक पोर्टल लॉन्च किया है।
- NAFED, अर्ध सैनिक बलों को मिलेट्स की आपूर्ति करे और मात्रा का निर्धारण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया जा सकता है।
- NAFED, मक्का की खरीद - बिक्री के लिए एथेनॉल कंपनियों के साथ अनुबंध करेगा।
- IFFCO सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दो राज्यों को अंगीकार करेंगे और इन राज्यों के सभी गांवों में पैक्स की स्थापना करे । इसके लिए इफको द्वारा दो राज्यों को अंगीकार किया जा चुका है।
- इफको 200 मॉडल पैक्स स्थापित करे जो एक वर्ष के भीतर मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सभी सेवाएं प्रदान करेगी।
- NCCF वर्ष 2027-28 तक 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य हासिल करेगा।

सोशल मीडिया के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के प्रचार-प्रसार हेतु उठाए गए कदम:

06 जुलाई, 2024 को अपनी स्थापना के बाद से मंत्रालय ने कई पहलें की हैं। मंत्रालय द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, X, फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पेज के माध्यम से इन पहलों को जमीनी स्तर तक पहुंचा रहा है । पिछले दो वर्षों में मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच और फॉलोअर्स में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है । X पर फॉलोअर्स 2.5 गुना, फेसबुक पर 5 गुना, इंस्टाग्राम पर 12 गुना और यूट्यूब पर सब्सक्राइबर 50 गुना बढ़े हैं । वित्तीय वर्ष 2023-24 में सोशल मीडिया पर प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- इन प्लेटफॉर्म्स पर मंत्रालय की पहलों, मंत्रालय में आयोजित बैठकों और विभिन्न अवसरों पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों की सूचना नियमित पोस्ट की जा रही है ।
- मंत्रालय द्वारा की गई 54 पहलों का संकलन हिंदी और अंग्रेजी में किया गया है तथा 11 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है । साथ ही, यह संकलन देश की सभी सहकारी समितियों को ई-मेल और SMS के माध्यम से भेजा गया है ।
- संकलन की एक पत्रिका तैयार की गई है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी तथा गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के सभी कार्यक्रमों में वितरित की गई ।
- मंत्रालय की प्रमुख पहलों पर वीडियो फिल्में बनाई गई हैं । अब तक मंत्रालय की 21 प्रमुख पहलों पर 13 विभिन्न भाषाओं में कुल 273 वीडियो फिल्में बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई हैं, जिन्हें 12 लाख से अधिक लोगों द्वारा देखा जा चूका है ।
- इन वीडियो फिल्मों के यूट्यूब लिंक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में उपलब्ध लगभग 4.5 लाख सहकारी समितियों के मोबाइल नंबरों पर 3.5 करोड़ से अधिक SMS के माध्यम से भेजे गए हैं।
- इफको द्वारा अप्रैल-2023 से 12 विभिन्न भाषाओं में एक मासिक पत्रिका सहकार उदय प्रकाशित की जा रही है, जिसकी वित्त वर्ष 2023-24 में 37 लाख (प्रति माह 3 लाख) से अधिक प्रतियाँ (भौतिक और ई- प्रतियाँ) वितरित की गई।
- NCUI द्वारा अप्रैल-2023 से 12 विभिन्न भाषाओं में एक मासिक पत्रिका सहकार जागरण प्रकाशित की जा रही है जिसकी वित्त वर्ष 2023-24 में 34 लाख (प्रति माह 2.5 लाख) से अधिक प्रतियाँ (भौतिक और ई- प्रतियाँ) वितरित की गई।
- माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 6 जुलाई 2021 से अब तक 55 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं ।

- अब तक मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर 19 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जा चुका है । 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस और 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' की पायलट परियोजना एवं पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की योजना का उद्‌घाटन माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ ।
- मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर विभिन्न विषयों और कार्यक्रमों पर 464 वीडियो उपलब्ध हैं।

वर्तमान में मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 3.80 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं ।

अध्याय 6

सहकारी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

भारत में सहकारी क्षेत्र समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सीमांत समुदायों को सशक्त बनाने और संवहनीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि हो गया है । यह अध्याय सहकारी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रकाश डालता है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर भारत की भूमिका और योगदान की समीक्षा की गई है ।

6.1 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA)

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) सहकारी समितियों के वैश्विक आवाज के रूप में कार्य करता है जो उनके हितों की रक्षा और उनके आदर्शों को बढ़ावा देता है । इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस में 100 से अधिक देशों के 300 से भी अधिक सदस्य हैं और यह विश्व भर में एक अरब व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है । इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस के पूर्ण सदस्य कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता, मात्स्यिकी, स्वास्थ्य, आवासन, बीमा, उद्योग और सेवाओं सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहकारी संगठन हैं ।

6.1.1 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस में भारत

भारत की 18 सदस्य सहकारी समितियां इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । भारत ICA ग्लोबल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन - एशिया और प्रशांत (ICA-AP) क्षेत्रीय बोर्ड, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन (ICBA), सहकारी अनुसंधान पर ICA-AP समिति और क्रेडिट और बैंकिंग पर ICA-AP समिति की अध्यक्षता करता है ।

दिनांक 19 सितंबर, 2023 को ICA- एशिया एंड पैसिफिक कमेटी ऑन वीमेन ने टोक्यो में जैपनीज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव यूनियन (JCCU) के तत्वाधान में एक हाइब्रिड कार्यक्रम के साथ अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई । "जेंडर इक्वालिटी फॉर ब्राइटर फ्यूचर" थीम पर इस कार्यक्रम में भारत से गुजरात महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव ने इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया ।

भारत का इफको इस समिति में नियमित सदस्य रहा है । इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस ने सहकारी उद्यमशीलता प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव आन्ट्रप्रनर्शिप थिंक टैंक (ICETT) की स्थापना की । भारत से इफको सहित 16 ICETT सदस्य, सहकारी उद्यमों के समक्ष वैश्विक चुनौतियों का समाधान के लिए कार्य कर रहे हैं ।

दी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव आन्ट्रप्रनर्शिप थिंक टैंक (ICETT) द्वारा ब्रुसेल्स में दिनांक 28-29 नवंबर, 2023 के दौरान अपनी 14वीं पूर्ण बैठक का आयोजन

भारत और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस के बीच सहयोगी पहलों ने ज्ञान विनिमय, क्षमता निर्माण और नीति पक्ष समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया है । जलवायु परिवर्तन लचीलापन और डिजिटलीकरण जैसी आम चुनौतियों का समाधान करने वाली संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किया गया है । इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस द्वारा आयोजित सम्मेलनों और कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से निकायों {वैमनीकॉम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी (लिनाक) आदि} अग्रणी रहा है और इनमें भाग लेता रहा है ।

6.2 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO)

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) बेहतर कार्य और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की महत्ता को मान्यता देता है । इसने केरल के तिरुवनंतपुरम में दिनांक 30 नवंबर से 2 दिसंबर, 2023 तक आयोजित "रूट्स ऑफ रेजिलिएंस" नामक सम्मेलन के संगठन का समर्थन किया और 15 देशों के 105 प्रतिभागियों का स्वागत किया । भारत के सहकारी उद्यमों ने रोजगार के सृजन व उनका अनुरक्षण करने, उचित मजदूरी सुनिश्चित करने और अनुकूल कार्य माहौल प्रदान करने

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । विशेष रूप से श्रमिक-केंद्रित सहकारी कार्यकलापों के संदर्भ में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है ।

भारत की सबसे पुरानी एवं सबसे बड़ी श्रमिक सहकारी समितियों में से एक, उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा निर्मित्त और प्रबंधित केरल कला और शिल्प ग्राम में रूट्स ऑफ रेसिलयेंस के प्रतिभागीगण

6.3 संयुक्त राष्ट्र (UN) और सहकारी क्षेत्र

संयुक्त राष्ट्र ने सहकारी समितियों को संवहनीय विकास के प्रमुख संचालक के रूप में मान्यता दी है और गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशिता एवं पर्यावरणीय संवहनीयता में उनकी भूमिका पर बल दिया है । दिसंबर, 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2012 को सहकारिता का पहला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। एक सदस्य देश के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की उन पहलों में सक्रिय रूप से योगदान दिया है जो सहकारी आदर्शों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं ।

SDG के उद्देश्यों को अग्रसर करने में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । संयुक्त राष्ट्र विभिन्न दस्तावेजो के माध्यम से संवहनीय विकास की प्राप्ति में सहकारी समितियों की महत्ता को मान्यता देता है जिसमें संवहनीय विकास हेतु 2030 एजेंडा शामिल है जिसमें आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया है ।

अक्टूबर 2023 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सामाजिक विकास में सहकारिता पर नया प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें 2025 को “अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष” घोषित करने का आह्वान किया गया है।

6.4 अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत- सहकारी उत्कृष्टता का प्रदर्शन

NCDC के अधीन LINAC को ICA-AP के साथ सहभागिता के लिए भारतीय नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया है जिसे विश्व भर से सहकारी समितियों की सर्वोत्तम प्रथाओं और सफल मॉडलों के दस्तावेजीकरण और प्रसार हेतु ज्ञान विनिमय मंच के रूप में स्थापित किया जाएगा । जनवरी, 2022 में ICA-AP क्षेत्रीय कार्यालय ने तकनीकी सहभागिता हेतु NCDC-LINAC के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए । समझौता ज्ञापन का उद्देश्य तकनीकी सहभागिता हेतु LINAC और ICA-AP के बीच पारस्परिक लाभप्रद संबंध बनाना है ताकि दोनों संगठन एक-दूसरे से सीख सकें, नए ज्ञान को आत्मसात कर सकें और सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण और प्रशिक्षण को अग्रसर कर सकें । दिनांक 6 जुलाई 2023 को आयोजित नोडल अधिकारियों की बैठक के बाद सहकार प्रज्ञा सेंटर फॉर गुड प्रैक्टिसेज (SPCGP) के लिए एक सलाहकार निकाय का पुनर्गठन किया गया ।

एशिया-पैसिफिक कोऑपरेटिव युथ समिट (APCYS 4.0) के समापन समारोह में प्रतिभागीगण

एशिया-पैसिफिक कोऑपरेटिव युथ समिट (APCYS 4.0) दिनांक 27-30 जुलाई, 2023 तक मलेशिया के सबाह में आयोजित किया गया । यह "कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स" की थीम और हरित ग्रह के लिए संवहनीय जीवन शैली को अग्रसर करने में युवाओं की भूमिका पर केंद्रित

था । चार दिनों तक प्रतिभागियों को सुरम्य और सांस्कृतिक रूप से विविध सबाह के बारे में जानने; युवाओं के नेतृत्व वाली संवहनीय प्रथाओं और उपक्रमों के बारे में जानने; सामुदायिक प्रतिभागिता के माध्यम से सहकारी कार्यकलापों का प्रत्यक्ष अनुभव करने; गो-ग्रीन अभियान में भाग लेने; क्षेत्र के साथियों के साथ बातचीत और नेटवर्क तथा युवा सहकारितावाद की भावना का आनंद लेने का अवसर मिला । राष्ट्रीय युवा सहकारी समिति, एनसीयूआई, नेफेड, कृभको, एनसीसीएफ, वैमनीकॉम जैसे विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के लगभग 20 युवाओं ने इस शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया जिसमें युवा उद्यमिता, इनक्यूबेशन, वित्तपोषण, नवाचार, संवहनीयता, इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों का उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ ।

दिनांक 8 नवंबर, 2023 को फिलीपींस के मनीला में 11वां एशिया पैसिफिक कोऑपरेटिव फोरम के 'कोऑपरेटिव्स: आवर कॉमन एजेंडा' थीम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । इसमें भारत के विभिन्न सहकारी संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 125 से भी अधिक लोगों की अच्छी भागीदारी रही । इस फोरम ने 11 देशों के 16 वक्ताओं की मेजबानी की जिन्होंने विचारोत्तेजक विचार-विमर्श में शामिल होकर 3 सूचनात्मक ब्रेकआउट सत्र का संचालन किया और मनीला घोषणा को अंगीकार किया । इस फोरम में विचार-विमर्श के दौरान सहकारी पहचान, क्रॉस-सेक्टर सहभागिता के माध्यम से जलवायु एजेंडा को अग्रसर करना, विविधता और समावेश को बढ़ावा देकर सहकारी समितियों को सशक्त करना और संवहनीय विकास के लिए अवरोधात्मक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर सहकारी समितियों की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई ।

भारत की उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को मनीला, फिलिपींस में पुरस्कृत किया गया

भारत के उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने उद्यमी सहकारी पुरस्कार श्रेणी में 2023 एशिया पैसिफिक कोऑपरेटिव एक्सेलेंस अवार्ड जीता । अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहकारी नवाचार और संवहनीयता बतौर नेता भारत की भूमिका पर जोर दिया गया है । सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, पर्यावरण संवहनीय प्रथाओं को बढ़ावा देने और सहकारी समितियों के माध्यम से सामाजिक असमानता को दूर करने की चर्चाओं में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया ।

6.5 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस #CoopsDay

वर्ष 1923 से विश्वव्यापि सहकारी समितियों द्वारा चिह्नित और वर्ष 1995 में ICA के शताब्दी वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (#CoopsDay) प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है । #CoopsDay का उद्देश्य सहकारी समितियों के बारे में जागरुकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, आर्थिक दक्षता, समता और विश्व शांति जैसे सहकारी आंदोलन के विचारों को बढ़ावा देना है । वर्ष 2023 में, #CoopsDay का विषय इस बारे में था कि साझेदारी कैसे संवहनीय विकास को गति प्रदान कर सकती है ।

इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी महासम्मेलन को संबोधित किया । "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना पर प्रधानमंत्री के दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर सरकार, देश में सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है । इस कार्यक्रम में प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सहकारी समितियों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थानों, आदि के प्रतिनिधियों सहित 3,600 से अधिक हितधारकों की प्रतिभागिता देखी गई ।

6.6 वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर (WCM)

वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर (WCM) वैश्विक सहकारी परिदृश्य का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है और देशों को उनके सहकारी क्षेत्रों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग देता है ।

वर्ष 2011 के बाद, यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव मॉनिटर (EURICSE) के साथ ICA ग्लोबल 300 का विकास विश्व सहकारी मॉनिटर के रूप में हुआ है, जो विश्वव्यापि सहकारी समितियों की सशक्त आर्थिक, संगठनात्मक और सामाजिक आंकड़े एकत्र करने के लिए डिज़ाइन की गई एक परियोजना है । यह प्रकाशन टॉप 300 की रैंकिंग और क्षेत्रक विश्लेषण सहित विश्व की सबसे

बड़ी सहकारी समितियों और समान संस्थाओं, या सहकारी समितियों और समान संस्थाओं के समूहों पर रिपोर्ट करता है ।

वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है ।

भारतीय सहकारी समितियाँ, जो विश्व सहकारी मॉनिटर – 2023 में प्रकाशित प्रति व्यक्ति जीडीपी टर्नओवर के मामले में शीर्षस्थ 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियों में शीर्ष 20 में शामिल है, सारणी 6.1 में दिया गया है।

सारणी 6.1: विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों की सूची में भारतीय सहकारी समितियां (टर्नओवर/प्रति व्यक्ति जीडीपी)

क्रम सं.	**सहकारी समिति का नाम**	**रैंक 2021**	**रैंक 2020**
1	इफको	1	1
2	गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (AMUL)	2	2
3	कृभको	17	17

स्रोत: वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, 2023

6.7 भारत की G20 अध्यक्षता और सहकारी समितियां

वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता 'वसुधैव कुटुम्बकम' थीम पर आयोजित की गई थी, जो "We are One Earth, One Family, and We Share One Future" परिलक्षित करता है । इसके अनुरूप, G20 घोषणा संवहनीय, समावेशी और मानव-केंद्रित विकास के लिए वैश्विक रोडमैप निर्धारित करता है । G20 की व्यापक प्राथमिकताओं में संवहनीय विकास लक्ष्यों (SDGs) के विकास को गति प्रदान करना, संवहनीय भविष्य हेतु हरित विकास समझौता, बहुपक्षवाद, तकनीकी परिवर्तन, लैंगिक समानता और सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन शामिल हैं । ये सहकारी आदर्शों और सिद्धांतों के अनुरूप हैं जो समता और समावेशिता, उत्तरदायित्व संवर्धन और पारदर्शी संस्थानों तथा समुदाय की देखभाल सुनिश्चित करके गरीबी उन्मूलन (सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचना) के लिए काम करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि 'कोई भी पीछे न छूट जाए' ।

ICA G20 कार्यसमूह की दिसम्बर, 2022 में हुई बैठक

भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान सहकारी समितियाँ B20, C20, W20 और Y20 कार्यकारी समूहों में सक्रिय थीं और अंतिम नीति पत्रों में उनके संदर्भ आए हैं । जन-केंद्रित व्यवसाय मॉडल के रूप में लचीले वैश्विक व्यापार और निवेश पर समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs) के बिजनेस 20 (बी 20) नीति दस्तावेज में भी सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है जो पूंजी और बाजार शक्ति तक पहुंच और जमीनी स्तर पर वृद्धि और विकास को बढ़ा सकता है तथा व्यापार में उच्च भागीदारी एवं निर्णयन निकायों में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर सकता है ।

प्राथमिक सहकारी समितियों का उल्लेख आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन पर बी-20 नीति दस्तावेज में स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गठित निकायों के रूप में किया गया है । वे समाज के आर्थिक रूप से निरक्षर, आर्थिक रूप से पिछड़े और भौगोलिक रूप से अलग-थलग वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के प्रथम स्पर्श बिंदु हैं । उनकी क्षमताओं को सशक्त करने से डोरस्टेप बैंकिंग के लक्ष्य की प्राप्ति और वित्तीय संस्थानों एवं सरकारी एजेंसियों में विश्वसनीयता की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है ।

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस एशिया एंड पैसिफिक के बी-20 टास्क फोर्स में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल इंडिया डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की सक्रिय भागीदारी थी ।

6.8 कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण केंद्र (CICTAB):

CICTAB की स्थापना जनवरी 1983 में हुई थी । इसका मुख्यालय वैमनीकॉम कैंपस, पुणे में है। सार्क क्षेत्र में इसके 39 सदस्य संस्थान हैं [नेपाल (10), भारत (17), बांग्लादेश (3), भूटान (3), श्रीलंका (5) और मालदीव (1)] । इसका उद्देश्य है:

- ग्रामीण वित्तपोषण और विकास में शामिल कृषि बैंकिंग, क्रेडिट और अन्य संगठनों में सक्रियतापूर्वक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना ।
- कृषि बैंकिंग/ग्रामीण वित्तीयन और विकास की विभिन्न पहलुओं पर भारत या क्षेत्र के अन्य देशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।

6.9 द्विपक्षीय सहयोग

6.9.1 न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक:

श्री हामिश मार्र, स्पेशल एग्रीकल्चर ट्रेड एनवॉए (SATE), न्यूजीलैंड और श्री डेविड पाइन, भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त ने 19 मार्च, 2024 को सचिव (सहकारिता) डॉ. आशीष कुमार भूटानी से मुलाकात की ।

अध्याय – 7

वर्ष 2023-24 में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिनांक 09 मार्च, 2023 को एक "चिंतन शिविर" का आयोजन किया गया। मंत्रालय के सभी निदेशक/उप-सचिवों ने अपने संबंधित कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दी और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री से अपने कार्यों का मार्गदर्शन प्राप्त किया। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई और उस पर कार्य प्रारंभ किया गया।

विगत एक वर्ष के दौरान माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी या माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रालय ने अनेक कार्याक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों को यूट्यूब और मंत्रालय की अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया गया। अब तक 2 कार्यक्रम ("17वीं भारतीय सहकारी महासम्मेलन और "सहकार से समृद्धि – ई-पैक्स टू अन्न भंडारण") माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और 17 कार्यक्रम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित किए गए हैं।

इन प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त सूचना निम्नानुसार है:

7.1 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) द्वारा आयोजित 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दो दिवसीय 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का उद्‌घाटन किया । इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी (01 जुलाई 2023) ने की । उन्होंने इस कार्यक्रम में सहकारी विपणन के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट और सहकारी विस्तारण वे सलाहकार सेवा पोर्टल का भी शुभारंभ किया । प्रधानमंत्री ने कहा कि 'किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) छोटे किसानों को सशक्त करेंगे, वे छोटे किसानों को बाजार में बड़ी ताकत बनाने का एक माध्यम हैं ।'

7.2 नाबार्ड का 42वां स्थापना दिवस

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 12 जुलाई, 2023 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया । इस उपलक्ष्य पर उन्होंने दुग्ध समितियों को माइक्रो एटीएम कार्ड और इन समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया ।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि नाबार्ड को छोड़कर कोई भी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, कृषि, सहकारी प्रणाली के वित्त और स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण अवसंरचना के विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है । उन्होंने यह भी कहा कि देश की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत 5 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, और नाबार्ड के माध्यम से 41 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अंतर्गत आ गई है, जो कुल सिंचित भूमि का 60 प्रतिशत है । उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में बहुत योगदान दिया है ।

7.3 सहकारी क्षेत्र में 'किसान उत्पादक संगठन (FPO)- राष्ट्रीय महासम्मेलन, 2023

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों के उपर्युक्त विषय पर राष्ट्रीय महासम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया और दिनांक 14 जुलाई, 2023 को पैक्स द्वारा 1100 नए 'किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन के लिए कार्ययोजना भी जारी की । इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि अगर पैक्स एफपीओ बन जाता है, तो एफपीओ का लाभ पैक्स के सभी किसानों तक पहुंच जाएगा । उन्होंने कहा कि पैक्स के माध्यम से गठित एफपीओ में किसानों को समृद्ध बनाने की अधिकतम क्षमता है।

7.4 सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक(CRCS)- सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 18 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ का शुभारंभ किया । इस पोर्टल को सहारा समूह की सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइट लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावों को प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है । इस पोर्टल को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है ।

माननीय मंत्री ने कहा कि निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपए की राशि लौटाने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से प्रायोगिक आधार पर शुरू हुई थी । उन्होंने यह भी कहा कि 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा होने के बाद, शेष निवेशकों को राशि वापस करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक और अपील दायर की जाएगी ।

जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दावों में पाई गई कमियों के मामले में, दावों में कमियों को दूर करने के बाद जमाकर्ताओं को अपने दावों को फिर से जमा करने का अवसर प्रदान करने के लिए 15.11.2023 को एक "री-सबमिशन पोर्टल" भी लॉन्च किया गया था ।

7.5 राष्ट्रीय महासम्मलेन 2023- पैक्स द्वारा कॉमन सेवा केंद्र (CSC) सेवाओं का शुभारंभ

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 21 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) द्वारा कॉमन सेवा केंद्र (CSC) सेवाओं पर एक राष्ट्रीय महासम्मेलन का उद्‌घाटन किया । कॉमन सेवा केन्द्रों (CSCs) द्वारा प्रदत्त 300 से भी अधिक सेवाओं को अब पैक्स भी प्रदान कर सकेंगे । पैक्स और कॉमन सेवा केन्द्र के एकीकरण से न केवल गरीबों की सुविधाओं में वृद्धि होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और मजबूती प्राप्त होगी ।

पैक्स और CSC के एकीकरण के साथ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सहकारी समितियों को सशक्त करने और डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित करने की दोहरी क्रांतियां आज पूरी हो रही हैं । माननीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए इसकी सबसे छोटी

इकाई, अर्थात् पैक्स को सशक्त करना होगा । अतः, सरकार ने पैक्स को पारदर्शी बनाने, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिये उन्हें कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है ताकि सरकार की डिजिटल योजनाओं को पैक्स के साथ एकीकृत किया जा सके।

7.6 सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 06 अगस्त, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया । दिनांक 31 मार्च, 2024 के अनुसार, अब इस डिजिटल पोर्टल से देश की 1635 बहुराज्य सहकारी समितियां लाभान्वित हो रही हैं । सहकारी समितियों से संबंधित सभी कार्य जैसे नई शाखाएं खोलना, अन्य राज्यों में विस्तार या संपरीक्षण ऑनलाइन किए जाएंगे ।

यह पोर्टल पंजीकरण, उपविधियों का संशोधन, संपरीक्षण, केंद्रीय पंजीयक द्वारा संपरीक्षण की निगरानी, निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया, मानव संसाधन का विकास, सतर्कता और प्रशिक्षण की सभी कार्यकलापों के लिए बनाया गया है और यह अपने आप में एक तरह का संपूर्ण पोर्टल है । माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना सहकारिता आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता है । उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तय करनी होगी ।

7.7 राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) द्वारा सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को पूसा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) द्वारा आयोजित 'सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी' को संबोधित किया । इस कार्यक्रम में उन्होंने NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण करने के साथ-साथ NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रदान की और प्रमाण-पत्रों का भी वितरण किया ।

7.8 भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) द्वारा सहकारी क्षेत्र के माध्यम से उन्नत एवं पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) द्वारा 'सहकारी क्षेत्र में उन्नत एवं पारंपरिक बीज उत्पादन' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया और BBSSL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का भी अनावरण किया ।

7.9 राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) द्वारा सहकारी क्षेत्र के माध्यम से जैविक उत्पादों के संवर्धन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिनाक 08 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) द्वारा आयोजित सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों के संवर्धन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया । इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने NCOL के लोगो, वेबसाइट, ब्रोशर का भी अनावरण किया और NCOL के सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र भी वितरित किया ।

7.10 भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) द्वारा दलहन में आत्मनिर्भरता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी

दिनांक 04 जनवरी, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने माननीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, उपभोक्ता मामले विभाग के राज्यमंत्री श्री अश्विनी चौबे, सहकारिता राज्यमंत्री श्री बी.एल. वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में संबोधित किया । इस दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने तूर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, प्रापण और भुगतान के लिए NAFED और NCCF द्वारा विकसित किए गए डिजिटल पोर्टल का भी शुभारंभ किया । इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य किसानों को इन संघों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक बाजार मूल्य पर उनके उत्पाद की खरीद की गारंटी के साथ उन्हें तूर दाल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना और भारत को दलहन में आत्मनिर्भर बनाना है ।

7.11 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स पर राष्ट्रीय पैक्स महासम्मेलन

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 8 जनवरी, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' के रूप में 'राष्ट्रीय पैक्स महासम्मेलन' की अध्यक्षता की । इस महासम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहयोग से किया गया था । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में, पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के प्रचालन की अनुमति दी गई ।

इन केंद्रों के माध्यम से आम नागरिकों को किफायती दामों में 2000 से अधिक प्रकार की जेनेरिक औषधियां और लगभग 300 सर्जिकल आइटम उपलब्ध कराए गए हैं । यह पहल पैक्स को अपनी आर्थिक कार्यकलापों के विविधीकरण और विस्तारण के लिए नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनसे जुड़े लाखों छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि होगी । यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी मदद करेगा ।

7.12 नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) का नया कार्यालय भवन

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 17 जनवरी, 2024 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया । इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा, सहकारिता मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री ज्ञानेश कुमार, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) के प्रबंध निदेशक और देश भर के बहुराज्य सहकारी संघ, बहुराज्य सहकारी समितियों और बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । सीआरसीएस कार्यालय का निर्माण लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 1550 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में किया गया है ताकि कार्यालयों के आधुनिकीकरण और सुचारू व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके जो बेहतर कार्य संस्कृति के लिए आवश्यक है।

7.13 कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) की कम्प्यूटरीकरण परियोजना

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 30 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS) कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना का शुभारंभ किया । इस कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहयोग से किया था ।

सहकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में यह परियोजना, सहकारी क्षेत्र के आधुनिकीकरण और संपूर्ण सहकारी परितंत्र को डिजिटल प्लैटफॉर्म पर लाकर उनकी प्रभावशाली वृद्धि हेतु सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है । कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की कम्प्यूटरीकरण परियोजना का उद्देश्य 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित ARDBs की 1851 इकाइयों को कम्प्यूटरीकृत करना और उन्हें कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना है । सहकारिता मंत्रालय की यह पहल कॉमन एकाउंटिंग प्रणाली (CAS) और सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) के माध्यम से

व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके ARDBs की कार्यकुशलता, जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि करेगी ।

7.14 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' की पायलट परियोजना

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्‌घाटन और शिलान्यास किया । उन्होंने 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' की पायलट परियोजना का उद्‌घाटन किया, जिसे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) में कार्यान्वित किया जा रहा है । उन्होंने इस पहल के तहत देश भर में अतिरिक्त 500 पैक्स में गोदामों और अन्य कृषि अवसंरचना के निर्माण की आधारशिला भी रखी । इस पहल का उद्देश्य पैक्स गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ अवरोधमुक्त एकीकृत करना, खाद्य सुरक्षा सशक्त करना और नाबार्ड की सहभागिता व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के नेतृत्व में देश के आर्थिक विकास को संवर्धित करना है ।

माननीय प्रधानमंत्री ने 18,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की एक परियोजना का भी उद्‌घाटन किया। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि बहुत ही कम समय में 65,000 में से 18,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और शीघ्र ही 30,000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करके लोगों को समर्पित किया जाएगा।

7.15 शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NUCFDC)

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 2 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NUCFDC) के नाम से अम्ब्रेला संगठन का उद्घाटन किया।

लगभग 20 वर्षों के संघर्ष के बाद, NUCFDC की स्थापना हुई है। अम्ब्रेला संगठन समय की मांग थी जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में स्व-विनियमन की एक नई शुरुआत का सकेत हैं। इस संगठन की स्थापना के बाद देश में शहरी सहकारी बैंकों का विकास कई गुना बढ़ जाएगा। अम्ब्रेला संगठन सहकारी वित्त में अच्छा प्रदर्शन करने वाली क्रेडिट समितियों को बैंकों में परिवर्तित करने की एक प्रणाली स्थापित करेगा। NUCFDC का एक उद्देश्य क्रेडिट समितियों और शहरी सहकारी बैंकों की सेवाओं और संख्या का विस्तार करना है।

7.16 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस और 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023: एक रिपोर्ट' का शुभारंभ कार्यक्रम

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 8 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च किया । उन्होंने 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023: एक रिपोर्ट' का भी विमोचन किया । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस केंद्रीय मंत्रालय, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सहकारी समितियों के बीच कुशल संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है जो सहकारी क्षेत्र के सभी

हितधारकों के लिए लाभकारी है । यह एक वेब-आधारित डिजिटल डैशबोर्ड है जिसमें राष्ट्रीय/राज्य संघों सहित सहकारी समितियों के डेटा संग्रहित किए गए हैं ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस ने देश के विभिन्न क्षेत्रकों में फैले 29 करोड़ से भी अधिक की सामूहिक सदस्यता वाली लगभग 8 लाख सहकारी समितियों की सूचना का एकत्रण/मैपिंग की है । सहकारी समितियों से एकत्र की गई सूचना विभिन्न पैरामीटरों जैसे उनके पंजीकृत नाम, पंजीकरण की तारीख, स्थान, सदस्यों की संख्या, क्षेत्रक सूचना, कार्यक्षेत्र, आर्थिक कार्यकलाप, वित्तीय विवरणियां, संपरीक्षण की स्थिति, आदि पर आधारित है । यह डेटाबेस सरकारी संस्थानों और इन समितियों के बीच सुचारू संवाद स्थापित करने के लिए पंजीकृत समितियों का व्यापक संपर्क विवरण प्रदान करता है ।

7.17 तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों - BBSSL, NCOL और NCEL के नए कार्यालय भवन

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 मार्च, 2024 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में तीन बहुराज्य सहकारी समितियों – भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया । इन तीनों समितियों के माध्यम से जैविक उत्पाद, बीज संरक्षण और संवर्धन तथा निर्यात में वृद्धि होगी । किसानों की समस्याओं का समाधान BBSSL, NCOL और NCEL के माध्यम से किया जाएगा ।

इन सभी कार्यक्रमों का सहकारिता मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया और इन्हें https://www.youtube.com/@MinOfCooperatn/streams पर देखा जा सकता है।

अनुबंध

अनुबंध- I

संगठनात्मक संरचना

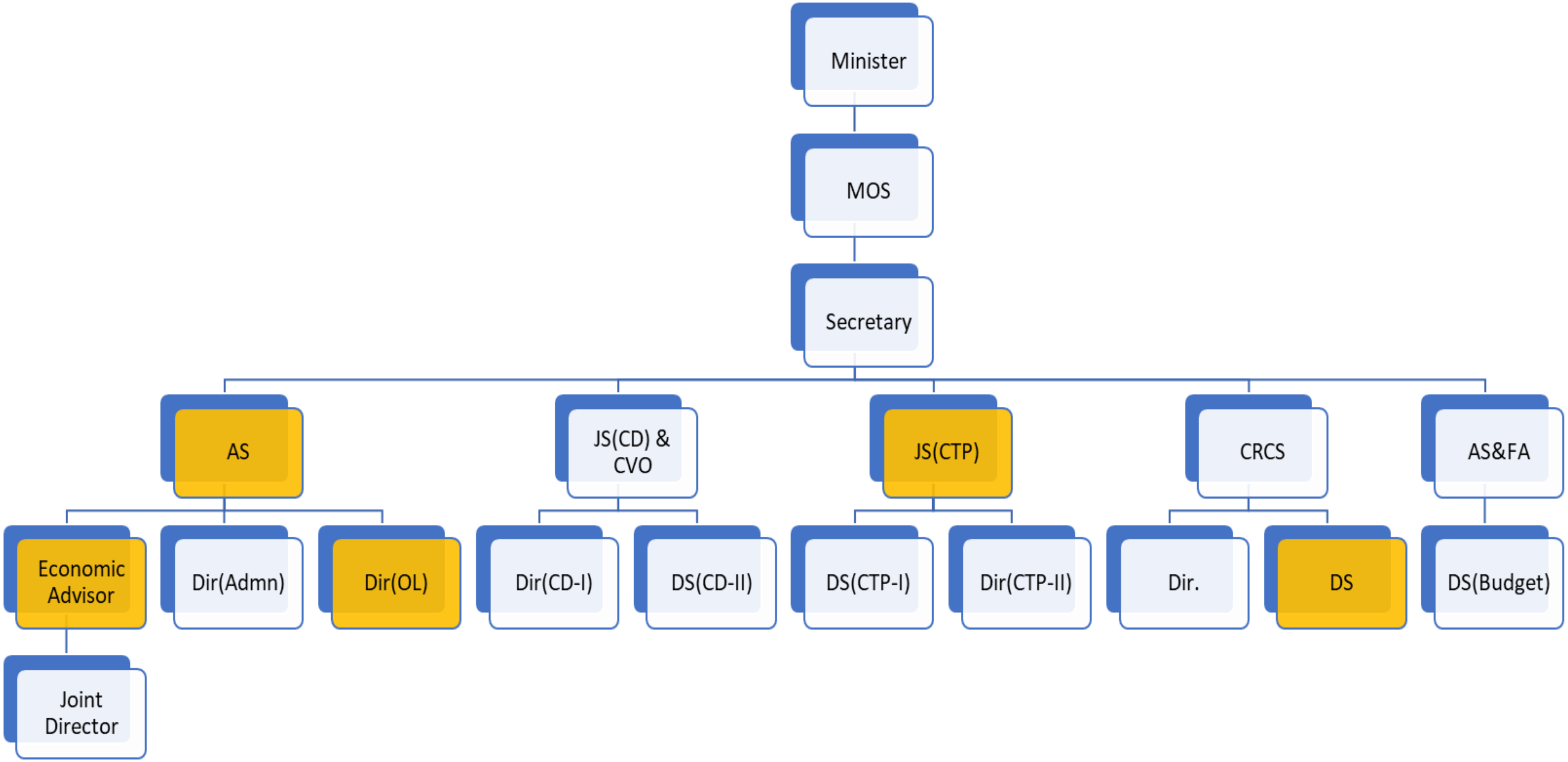

* अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा उपसचिव (बजट) की सेवाएं कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है

वर्तमान में रिक्त है

अनुबंध-II

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों और उनकी प्रगति की सूची

क. <u>प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना</u>

1. **पैक्स हेतु आदर्श उपविधियां जो उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएं बनाएंगी**: सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया है, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने तथा अपने प्रचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हेतु सक्षम बनाते हैं । महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के भी उपबंध किए गए हैं । अब तक 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आदर्श उपविधियों को अपनाया गया है या उनके मौजूदा उपनियम आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं।

2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सशक्तिकरण:** पैक्स को सशक्त करने हेतु 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शामिल है । इस परियोजना के अधीन 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 67,009 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं । ईआरपी सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है और अब तक 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 24,000 पैक्स को ईआरपी पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है ।

3. **कवर न हुए पंचायतों में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना:** सरकार द्वारा नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीडीसी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संघों के सहयोग से आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करने के लिए नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को अनुमोदित किया गया है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार 15 फरवरी, 2023 को इस

योजना की मंत्रिमंडलीय अनुमोदन के पश्चात् देश भर में 6,300 से अधिक नए पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं ।

4. **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए विकेंद्रीकृत भांडागारों, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु परियोजना को अनुमोदन दिया है । इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आयेगी, किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं विभिन्न कृषि आवश्यकताओं को पैक्स स्तर पर ही पूरा किया जा सकेगा । पायलट परियोजना के तहत 24 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का उद्‌घाटन किया गया है और 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदामों के निर्माण की आधारशिला रखी गई है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, NBCC, NCCF, आदि सहित विभिन्न संबंधित हितधारकों की सहायता से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है ।

5. **ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स:** पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/बस/ हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है । दिनांक 31 मार्च, 2024 तक 34,221 पैक्स द्वारा ग्रामीणों को CSC सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया गया है, परिणामस्वरूप पैक्स की आय में वृद्धि होनी शुरू हो गई है।

6. **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना:** सरकार ने ऐसे प्रखंडों में जहां कोई कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहयोग से पैक्स द्वारा 1,100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने की अनुमति दी है । इससे किसानों को आवश्यक बाजार लिंकेज उपलब्ध कराने और उन्हें अपनी उपज की उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । दिनांक 31.03.2024 तक, पंजीकरण

हेतु 701 पैक्स का चयन कर लिया गया है जिनमें से 100 पैक्स पहले ही FPO के रूप में पंजीकृत किए जा चुके हैं और 154 पैक्स के पंजीकरण के आवेदन प्रक्रियाधीन हैं ।

7. **खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए पैक्स को प्राथमिकता:** सरकार ने पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आबंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC-2) में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है । तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 240 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है जिसमें से 136 पैक्स को तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा चयनित किया गया है ।

8. **थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने हेतु पैक्स को अनुमति:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के आधार पर मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस प्राप्त पैक्स को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं जिससे पैक्स के लाभ में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे । 4 राज्यों के थोक उपभोक्ता पंप वाले 109 पैक्स ने खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने की सहमति दे दी है जिसमें से 43 पैक्स को इस संबंध में तेल विपणन कंपनियों (OMCs) से आशय पत्र (LOI) प्राप्त हो गया है ।

9. **अपने कार्यों में विविधता लाने के लिए पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पात्रता:** सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी है । इससे पैक्स को अपनी आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ाने का एक विकल्प प्राप्त होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे । तीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कुल 9 पैक्स ने ऑनलाइन आवेदन दिए हैं ।

10. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक औषधियों तक सुगम पहुंच हेतु जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: सरकार द्वारा पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) चलाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे और ग्रामीण जनता को जेनेरिक औषधियां तक सुगम पहुँच सुनिश्चित होगी । अब तक 4692 पैक्स/सहकारी समितियों ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है जिसमें से 2,648 पैक्स को आरंभिक अनुमोदन दिया जा चुका है । 584 पैक्स को औषधि लाइसेंस प्राप्त हो गए हैं जिन्हें जन औषधि केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है ।

11.प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में पैक्स: सरकार द्वारा देश में किसानों को उर्वरक और अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के प्रचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । उर्वरक विभाग द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार अब तक 38,573 पैक्स, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

12.पैक्स के स्तर पर PM-KUSUM का अभिसरण: पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल करा सकते हैं ।

13.पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना के लिए प्रचालन और रखरखाव (O&M) कार्य: ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहल पर जलशक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं में प्रचालन व रख-रखाव (O&M) कार्य के लिए पैक्स को पात्र एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पंचायत/गांव के स्तर पर प्रचालन व रख-रखाव (O&M) कार्य हेतु 1,988 पैक्स की पहचान की गई है ।

14.डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम: सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के बैंक मित्र बनाया जा सकता है । नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं" प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम दिए जा रहे हैं । पायलट परियोजना के रूप में गुजरात राज्य के पंचमहल और बनासकांठा जिले के बैंक मित्र सहकारी समितियों को 1,732 माइक्रो एटीम वितरित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त 15 जनवरी, 2024 को संदर डेयरी कॉम्प्लेक्स, बनासकांठा से "सहकारी समितियों के बीच सहयोग" नामक राज्यव्यापी अभियान की शुरूआत की गई है ।

15.दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) की पहुंच के विस्तारण तथा डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक तरलता प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के सदस्यों को तुलनात्मक रूप से निम्नतर ब्याज दरों पर ऋण देने और अन्य वित्तीय लेनदेनों में सक्षम करने हेतु रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) का वितरण किया जा रहा है । गुजरात के

पंचमहल और बनासकांठा जिलों में नए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (Rupay KCCs) वितरित किए गए हैं, जिसकी कुल संख्या 6.39 लाख हो गई है ।

16. **मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPO) की स्थापना**: मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु एनसीडीसी द्वारा प्रारंभिक चरण में 70 FFPOs का पंजीकरण किया गया है । इसके अलावा मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 225.50 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ FFPOs में रूपांतरित करने के लिए एनसीडीसी को 1000 अतिरिक्त मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियां आबंटित की है ।

ख. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों का सशक्तिकरण

17. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को व्यापार विस्तारण हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5 शाखाएँ) तक नई शाखाएँ खोल सकेंगे ।

18. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है । इन बैंकों के खाताधारक अब अपने घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे ।

19. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमति:** सहकारी बैंक अब बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के निपटान की कार्रवाई भी कर सकेंगे ।

20. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को प्राथमिक क्षेत्र उधार (PSL) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु दी गई समय-सीमा में वृद्धि:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए PSL के लक्ष्य प्राप्ति हेतु दी गई समय-सीमा को दो वर्षों के लिए, अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है ।

21. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित:** निकट समन्वय और केंद्रित इंटरएक्शन हेतु सहकारिता क्षेत्र के काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया है ।

22. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवासन ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक की गई:**

i. शहरी सहकारी बैंकों के आवासन ऋण सीमा को अब 30 लाख रुपए से दोगुना कर 60 लाख रुपए कर दिया गया है ।

ii. ग्रामीण सहकारी बैंकों के आवासन ऋण सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है ।

23. **ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवासन क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी:** इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि आवासन सहकारी समितियां भी लाभान्वित होंगी ।

24. **सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया:** सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) में ऑनबोर्ड करने के लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से लिंक करके घटा दिया गया है । सहकारी वित्तीय संस्थानों को भी उत्पादन-पूर्व चरण में यह सुविधा पहले तीन महीनों में निःशुल्क प्राप्त होगी । इससे अब किसान अपने फिंगरप्रिंट द्वारा घर बैठे ही बैंकिंग की सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे ।

25. **ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (UCBs), राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को CGTMSE योजना में सदस्य ऋण संस्थान (MLI) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए जाने वाले ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे । साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से संपार्श्विक-मुक्त ऋण मिल सकेगा ।

26. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय सुदृढ़ और सुप्रबंधित' (FSWM) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बरकरार रखे हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

27. **स्वर्ण ऋण हेतु RBI द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PSL लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपए से दोगुना कर 4 लाख रुपए कर दिया गया है।

28. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (UO) की स्थापना हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB) को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रचालन सहायता प्राप्त हो सकेगी।

ग. <u>सहकारी समितियों को आयकर अधिनियम में राहत</u>

29. **सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती:** एक करोड़ से दस करोड़ की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों और इसके सदस्यों, जो अधिकांश ग्रामीण और कृषक समुदायों से आते हैं, की आय वृद्धि में मदद मिलेगी।

30. **सहकारी समितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) की दर को कम करना:** सहकारी समितियों को 18.5% की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि, कंपनियों द्वारा 15% की दर से इसका भुगतान किया जाता था। सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समरूपता लाने के लिए सहकारी समितियों के लिए भी इस दर को घटाकर 15% कर दिया गया है।

31. **आय कर अधिनियम, 1961की धारा 269ST के अधीन सहकारी समितियों के लिए नकद लेनदेन में राहत:** आयकर अधिनियम की धारा 269ST (क) किसी भी व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख से अधिक नकद प्राप्तियों पर या (ख) किसी भी लेनदेन से या (ग) एक ही घटना

या अवसर के संबंध में कई लेनदेनो पर प्रतिबंध लगाती है । इस प्रावधान के उल्लंघन की दशा में, आयकर अधिनियम 1961 धारा 269ST के उल्लंघन के समरूप राशि का जुर्माना लगाया जाता है । दुग्ध सहकारी समितियां जो अपने सदस्यों को दूध की कीमत के भुगतान के लिए एक वितरक से, जिसके साथ उनका अनुबंध है, एक वर्ष में कई बार, विशेष रूप से बैंक की छुट्टियों पर, 2 लाख से अधिक नकद प्राप्त करती थी । परिणामस्वरूप, आयकर विभाग द्वारा सहकारी समितियों के बीच इसके वितरक के साथ अनुबंध को एक घटना/अवसर मानते हुए दुग्ध समितियों पर भारी जुर्माना लगाया जाता था । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने परिपत्र संख्या 25/2022 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया कि सहकारी समितियों के संबंध में, डीलरशिप/वितरण अनुबंध अपने आप में धारा 269ST के खंड (c) के उद्देश्य से एक घटना या अवसर नहीं है। पिछले वर्ष में किसी भी दिन सहकारी समिति द्वारा इस तरह के डीलरशिप/वितरण अनुबंध से संबंधित रसीद, जो निर्धारित सीमा के भीतर है, उस पिछले वर्ष के बहु-दिवसों के लिए नहीं जोड़ा जा सकता है । इसके द्वारा सहकारी समितियां, अपने सदस्यों को जो ज्यादातर ग्रामीण और कृषक समुदायों से आते हैं, आयकर जुर्माना के भय के बिना बैंक अवकाश के दिन भुगतान करने में समर्थ होंगी ।

32.**नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर की रियायती दर:** दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण कार्य शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की निम्न कर-दर का लाभ प्राप्त होगा, जैसा कि वर्तमान में नई विनिर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है ।

33. i. **प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए नकद ऋण/लेनदेन में राहत:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SS के अनुसार 20,000 रुपए से अधिक की नकद जमा या ऋण अनुमत नहीं है । उल्लंघन से ऋण या जमा राशि के बराबर का जुर्माना लगाया जा सकता है । आयकर अधिनियम की धारा 269SS में यह उपबधं करने के लिए संशोधन किया गया है कि जहां प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) द्वारा अपने सदस्य से जमा राशि स्वीकार की जाती है या पैक्स या ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) से उसके सदस्य द्वारा नकद में ऋण लिया जाता है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा, यदि बकाया शेष राशि सहित ऐसी ऋण या जमा की राशि, 2 लाख रुपए से कम हो। इससे पहले यह सीमा 20,000 रुपए प्रति सदस्य थी ।

ii. **प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा नकद में ऋण के पुनर्भुगतान में राहत:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269T के अनुसार 20,000 रुपए या उससे अधिक के नकद ऋण का पुनर्भुगतान या जमा करने की अनुमति नहीं है । उल्लंघन पर ऋण या जमा राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है । आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269T में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि जहां किसी पैक्स या PCARDB द्वारा अपने सदस्य को जमाराशि का नकद पुनर्भुगतान किया जाता है या ऐसा कोई ऋण का नकद भुगतान पैक्स या PCARDB को उसके सदस्य द्वारा किया जाता है, तो यदि बकाया शेष राशि सहित ऐसे ऋण या जमा की राशि 2 लाख रुपए से कम है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा । पहले यह सीमा 20,000 रुपए प्रति सदस्य थी ।

34. **सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बिना नकदी निकासी की सीमा में वृद्धि**: सहकारी समितियां, विशेष रूप से डेयरी सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करती हैं । कभी-कभी उन्हें अपने सदस्यों को नकद में भुगतान करना पड़ता है । इसके लिए उन्हें बैंकों से नकद निकालना पड़ता है । परिणामस्वरूप, जब वर्ष में कुल नकद निकासी 1 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, तो वह TDS के अधीन आती हैं । राहत प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के नकद निकासी पर टीडीएस हेतु 3 करोड़ रुपए की उच्चतर सीमा निर्धारित की गई है ।

घ. सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

35. **सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**: वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 36 (1) (xvii) को शामिल किया गया था ताकि चीनी निर्माण का व्यवसाय करने वाली सहकारी समितियों, अर्थात् सहकारी चीनी मिलों (CSMs) द्वारा किए गए व्यय की राशि पर कटौती का प्रावधान किया जा सके । ये उपाए दिनांक 1.4.2016, अर्थात कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से लागू हुए । हालांकि, सहकारी चीनी मिलों (CSMs) द्वारा गन्ना मूल्य के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान को किसान सदस्यों की आय वितरण के रूप में विचार नहीं किए जाने के कारण परिणामी कर-देनदारियों का मुद्दा कवर नहीं हो सका, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने परिपत्र संख्या 18/2021 दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से स्पष्ट किया । तदनुसार, सहकारी चीनी मिलों (CSMs) द्वारा गन्ना मूल्य के लिए अतिरिक्त

भुगतान करने के परिणामस्वरुप सहकारी चीनी मिलों (CSMs) की कर-देयता को दिनांक 01.04.2016 से कम किया गया है ।

36.**सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित समस्याओं का समाधान**: सहकारी चीनी समितियों को कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा व्यय के रूप में करने का अवसर प्रदान किया गया है । तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 155 में संशोधन करके दिनांक 1 अप्रैल, 2023से वित्त विधेयक, 2023 में नई उपधारा (19) अंतर्विष्ट की गई है। अधिनियम की धारा 155 की उप-धारा (19) के अधीन क्षेत्राधिकार निर्धारण-अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के तरीके को मानकीकृत करने और उक्त धारा के तहत क्षेत्राधिकार निर्धारण-अधिकारी द्वारा इसके निष्पादन के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2023 के परिपत्र संख्या 14 दिनांकित 27.07.2023 के माध्यम से संबंधित सहकारी चीनी मिलों द्वारा आवेदन करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है । इससे दशकों पुराने इस लंबित मामले में आयकर से संबंधित मुद्दों का समाधान हुआ है । इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिलने की आशा है ।

37.**सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण हेतु 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना का शुभारंभ:**: सरकार ने NCDC के माध्यम से एथनॉल संयंत्र या कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या फिर तीनों के लिए एक योजना आरंभ की है । NCDC द्वारा अब तक 25 सहकारी चीनी मिलों को 3848.76 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की गई ।

38.**एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता:** भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के अधीन एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप रखा गया है ।

39.**मोलासस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया:** सरकार ने मोलासस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है जिससे सहकारी चीनी मिलें डिस्टिलरियों को उच्चतर दरों पर मोलासस की बिक्री करके अपने अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे ।

ङ. <u>राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई बहुराज्य सहकारी समितियां</u>

40.<u>प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी समिति:</u> सरकार ने एकल ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए अंब्रेला संगठन के रूप में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना की है । अब तक 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 16,775 पैक्स/ सहकारी समितियों ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के लिए आवेदन किया है ।

41.<u>जैविक कृषि के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य ऑर्गैनिक सहकारी समिति:</u> सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक अंब्रेला संगठन के रूप में प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी ऑर्गैनिक्स समिति (NCOL) की स्थापना की है । अब तक राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) को सदस्यता हेतु 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 5,154 पैक्स/सहकारी समितियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं । राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) द्वारा अब तक 11 जैविक उत्पाद लॉन्च किए जा चुके हैं जो दिल्ली में मदर डेयरी/सफल आउटलेटों के माध्यम से बेचे जा रहे हैं ।

42.निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति: सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंब्रेला एजेंसी के रूप में एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति की स्थापना की है जिसे राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) का नाम दिया गया है । अब तक राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को सदस्यता हेतु 22 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 7,318 पैक्स/सहकारी समितियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं । अब तक NCEL को 15,02,800 मेट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल; 9,98,804 मेट्रिक टन टूटा चावल; 50,000 मेट्रिक टन चीनी; 14,184 मेट्रिक टन गेहूं; 5326 मेट्रिक टन गेहूं का आटा; 15,226 मेट्रिक टन मैदा/सूजी विभिन्न देशों को निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के समाप्ति तक NCEL का कुल टर्नओवर 1113 करोड़ रुपए है।

च. <u>सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण</u>

43.**सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना:** सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षित श्रमबल की संवहनीय और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

44.**राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरुकता निर्माण को संवर्धन:** अपनी पहुंच को विस्तारित करते हुए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,21,478 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए 3,619 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया ।

छ. <u>'सुगम व्यवसाय' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग</u>

45.**केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण:** बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए डिजिटल परितंत्र सृजित करने हेतु केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है जिससे समयबद्ध तरीके से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में मदद मिलेगी ।

46.**राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यलयों के कंप्यूटरीकरण की योजना:** सहकारी समितियों के लिए 'सुगम व्यवसाय' में वृद्धि तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पारदर्शी कागज-रहित विनियमन हेतु एक डिजिटल परितंत्र के सृजन के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास, इत्यादि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा ।

47.**कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण:** दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है । इस परियोजना के लिए नाबार्ड कार्यान्वयन एजेंसी है जो कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के लिए राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर का विकास करेगा । इस परियोजना के अधीन लीगेसी डेटा के डिजिटलीकरण के लिए हार्डवेयर सपोर्ट और कर्मचारियों के प्रशिक्षण, इत्यादि हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा ।

**ज)	अन्य पहलें**

48.प्रामाणिक और अद्यतित डेटा भंडार हेतु नई राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है जो देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों के लिए सहायक होगा । इस डेटाबेस में अब तक लगभग 8 लाख सहकारी समितियों के डेटा कैप्चर किए गए हैं ।

49.नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का निर्माण: 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु एक जीवंत परितंत्र के सृजन के लिए देश भर से लिए गए 49 सदस्यों और हितधारकों को शामिल करके नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के निर्माण के लिए एक राष्ट्र-स्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

50.बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023: 97वां संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करने और बहुराज्य सहूकारी समितियों में शासन सशक्त करने, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है ।

51.GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में शामिल करना: सरकार ने सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे वे किफायती खरीद एवं अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 67 लाख वेंडरों से माल और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे । जेम पोर्टल पर 'क्रेता' के रूप में अब तक 559 सहकारी समितियां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं ।

52.राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की सीमा और पहुंच का विस्तारण: NCDC का संवितरण, वर्ष 2014-15 में 5,736 करोड़ रुपए से लगातार बढ़कर वर्ष 2023-24 में 60,618.47 करोड़ रुपए हो गया है । इसके साथ ही NCDC ने वर्ष 2014-15 से वित्तीय सहायता के संवितरण में लगभग 30% औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर ली है । इसके अतिरिक्त, NCDC ने वित्तीय वर्ष 2023 -24 के दौरान वित्तीय सहायता के संवितरण में 48% की वृद्धि प्राप्त की है ।

53.गहरे समुद्री ट्रॉलरों के लिए एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता: NCDC ने गहरे समुद्री ट्रॉलरों के वित्तपोषण का कार्य अपने जिम्मे लिया है। महाराष्ट्र में 20.30 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत पर 14 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए 11.55 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। NCDC ने 46.74 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत पर समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए राजमाता विकास मच्छीमार सहकारी संस्था लिमिटेड, मुंबई को 37.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। NCDC ने 36.00 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत से 30 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए श्री महावीर मच्छीमार सहकारी मंडली लिमिटेड, गुजरात के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। NCDC ने केरल सरकार की इंटिग्रेटेड फिशरीज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (IFDP) के लिए 32.69 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

54.सहारा समूह की समितियों के निवेशकों को रिफंड: सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशियों व दावों के प्रमाण की प्रस्तुति पर पारदर्शी रीति से भुगतान हेतु एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उनकी जमाराशि और दावों के साक्ष्य की प्रस्तुति एवं उचित सत्यापन के पश्चात् संवितरण का कार्य आरंभ हो चुका है।

अनुबंध-III

वर्ष 2023-24 के लिए बजट आबंटन और व्यय

मांग सं. -16						
सहकारिता मंत्रालय						
						(करोड़ रुपए)
क्रम सं.	**योजना का नाम/ब्यौरा**	**बजट अनुमान (BE) 2023-24**	**संशोधित अनुमान (RE) 2023-24**	**दिनांक 31.03.2024 तक व्यय**	**BE 2023-24 के संदर्भ में आज की तारीख तक हुए व्यय का %**	**RE 2023-24 के संदर्भ में आज की तारीख तक हुए व्यय का %**
	1	2	3	5	6	7
1	स्थापना केंद्रीय व्यय	-	-	-	-	-
I	सचिवालय	59.59	26.94	26.04	43.70%	96.66%
II	अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय (CRCS)	15.41	17.36	13.63	88.45%	78.51%
	कुल – केंद्रीय स्थापना व्यय	**75.00**	**44.30**	**39.67**	**52.89%**	**89.55%**
2	केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं	-	-	-		
I	कृषि सहकारिता एकीकृत योजना (ISAC)	0.01	300.00	300.00	3000000.00%	100.00%
II	सहकारी शिक्षा	30.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%
III	सहकारी प्रशिक्षण	25.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%
IV	सहकारी चीनी मिलों (CSMS) के सशक्तिकरण के लिए एनसीडीसी को सहायता अनुदान	0.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%
V	सहकारी क्रेडिट गारंटी फंड	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	कुल – केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं	**55.01**	**300.03**	**300.00**	**545.36%**	**99.99%**
3	अन्य केंद्रीय क्षेत्रक व्यय	-	-	-		
	स्वायत्त निकाय	-	-	-		
I	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT)	40.00	42.00	36.51	91.28%	86.93%
II	वैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM)	11.12	10.00	8.28	74.46%	82.80%
	कुल – केंद्रीय क्षेत्रक व्यय	**51.12**	**52.00**	**44.79**	**87.62%**	**86.13%**
4	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	-	-	-		

I	प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों का कम्प्यूटरीकरण	968.24	309.09	298.64	30.84%	96.62%
II	सहकारी समितियों के माध्यम से समृद्धि	0.01	0.01	0.00	0.00%	0.00%
III	IT इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों के सशक्तिकरण हेतु केंद्रीय प्रायोजित परियोजना	0.00	40.91	4.57	-	11.16%
	कुल – केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**968.25**	**350.01**	**303.21**	**31.31%**	**86.63%**
5	लोक कार्यों पर पूंजी परिव्यय					
I	सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय (5475)	1.00	1.50	1.21	121.00%	80.67%
II	लोक कार्यों पर पूंजी परिव्यय (4059)	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	कुल – लोक कार्यों पर पूंजी परिव्यय	**1.00**	**1.50**	**1.21**	**121.00%**	**80.67%**
	सकल कुल (1+2+3+4+5)	**1150.38**	**747.84**	**688.88**	**59.88%**	**92.12%**

अनुबंध -IV

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्रक-वार वितरण

सारणी 1: दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन देश के विभिन्न राज्यों में पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	समितियां
1	आंध्र प्रदेश	22
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	6
4	बिहार	21
5	चंडीगढ़	1
6	छत्तीसगढ़	8
7	दादरा और नगर हवेली	1
8	गोवा	1
9	गुजरात	52
10	हरियाणा	21
11	हिमाचल प्रदेश	2
12	जम्मू और कश्मीर	2
13	झारखंड	9
14	कर्नाटक	32
15	केरल	52
16	मध्य प्रदेश	30
17	महाराष्ट्र	681
18	मणिपुर	4
19	नागालैंड	1
20	नई दिल्ली	165
21	ओडिशा	20
22	पुड्डुचेरी	5
23	पंजाब	25
24	राजस्थान	74
25	सिक्किम	1
26	तमिलनाडु	136
27	तेलंगाना	14
28	उत्तर प्रदेश	171
29	उत्तराखंड	5
30	पश्चिम बंगाल	72
	कुल	**1635**

सारणी 2: दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों की क्षेत्रक-वार सूची

क्रम सं.	क्षेत्रक	सहकारी समितियों की संख्या
1	क्रेडिट	632
2	कृषि	337
3	आवासन	149
4	बहु-उद्देश्यीय	102
5	डेयरी	99
6	विकास	1
7	सहकारी बैंक	67
8	विपणन	35
9	औद्योगिक	34
10	राष्ट्रीय संघ	21
11	कल्याण	22
12	उपभोक्ता	10
13	निर्माण	10
14	पर्यटन	9
15	मात्स्यिकी	14
16	हथकरघा/हस्तशिल्प	5
17	तकनीकी	6
18	अन्य	52
19	स्वास्थ्य/अस्पताल	25
20	परिवहन सहकारी समितियां	5
	कुल	**1635**

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

I.A. NO. 56308 OF 2023
IN
WRIT PETITION (C) No. 191 of 2022

Pinak Pani Mohanty **…Petitioner (s)**

Versus

Union of India and Ors. **…Respondent(s)**

And
In the matter of

Union of India through
Ministry of Cooperation **…Applicant**

O R D E R

M.R. SHAH, J.

1. Present application being I.A. No. 56308 of 2023 has been preferred by the Union of India, Ministry of Corporation for appropriate directions to transfer an amount of Rs. 5,000 Crores out of unutilized amount of Rs. 23,937 Crores (lying in "Sahara-SEBI Refund Account") to be disbursed against the legitimate dues of depositors of Sahara Group Cooperatives Societies.

Signature Not Verified
Digitally signed by R
Natarajan
Date: 2023.03.29
17:05:05 IST
Reason:

2. Shri Tushar Mehta, learned Solicitor General has submitted that a total amount of Rs. 24,979.67 Crores is lying unutilized with the SEBI in "Sahara-SEBI Refund Account", which has been deposited pursuant to the earlier direction issued by this Court. He has submitted that out of the aforesaid amount of Rs. 15,569.27 Crores deposited by Sahara India Real Estate Corporation Limited and Sahara Housing Investment Corporation Limited, Rs. 2253 Crores had been taken out from Sahara Credit Cooperative Society Ltd. and deposited with SEBI on account of the dispute of Sahara Real Estate Limited. It is submitted that, thus, the corpus which is lying in "Sahara-SEBI Refund Account" already includes the amount which belongs to the depositors of the aforesaid Sahara Group Cooperative Society Ltd.

2.1 He has stated at the Bar that the amount deposited in "Sahara-SEBI Refund Account" is lying unutilized and in fact due to large number of continuing complaints against the Sahara Group of Cooperative Societies and the amount lying unutilized is also consisting of the amount of the depositors of Sahara Group of Cooperative Societies, if Rs. 5,000 Crores is transferred to the Central Registrar of Cooperative Societies and thereafter the same is disbursed against the legitimate dues of the depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies, it will be just, proper and equitable.

2.2 He has stated at the Bar that on the aforesaid amount, there is no charge and/or attachment of any other agency. He has stated at the Bar that the present application has been filed for appropriate direction as prayed, after the series of meetings with the different authorities / departments, which shall be in the larger interest of the depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. He has also prayed that a suitable direction be also issued that the amount due and payable to the respective depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies may be disbursed in the most transparent manner and the same shall be paid to the genuine depositors on proper identification and on submitting their proof of deposits. He has also requested that for that a suitable direction be also issued that the amount shall be disbursed to the respective depositors under the supervision of the Former Judge of this Court.

3. Having heard Shri Tushar Mehta, learned Solicitor General appearing on behalf of the Union of India and taking into consideration the facts narrated hereinabove and when it is reported that Rs. 2253 Crores had been taken out of the Sahara Credit Cooperative Society Ltd., i.e., one of the four Sahara Group Multi-State Cooperative Societies and deposited with SEBI in the "Sahara-SEBI Refund Account" and the amount lying in the "Sahara-SEBI Refund Account" is lying unutilized and the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies, which otherwise, shall be entitled to get back their money, the

prayer sought in the present application seems to be reasonable and which shall be in the larger public interest / interest of the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. Therefore, the present application stands disposed of with the following directions:-

(i) Out of the total amount of Rs. 24,979.67 Crores lying in the "Sahara-SEBI Refund Account", Rs. 5000 Crores be transferred to the Central Registrar of Cooperative Societies, who, in turn, shall disburse the same against the legitimate dues of the depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies, which shall be paid to the genuine depositors in the most transparent manner and on proper identification and on submitting proof of their deposits and proof of their claims and to be deposited in their respective bank accounts directly.

(ii) The disbursement shall be supervised and monitored by Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court with the able assistance of Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate, who is appointed as Amicus Curiae to assist Justice R. Subhash Reddy as well as the Central Registrar of Cooperative Societies in disbursing the amount to the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. The manner and modalities for making the payment is to be worked out by the Central Registrar of Cooperative Societies in consultation with

Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court and Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate.

(iii) Rs. 15 lakhs per month be paid to Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court and Rs. 5 lakhs per month be paid to Shri Gaurav Agarwal, learned Amicus Curiae towards their honorarium.

(iv) We direct that the amount be paid to the respective genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies out of the aforesaid amount of Rs. 5,000 Crores at the earliest, but not later than nine months from today. The balance amount thereafter be again transferred to the "Sahara-SEBI Refund Account".

4. The present I.A. stands disposed of in terms of the above.

……………………………….J.
[M.R. SHAH]

NEW DELHI;
MARCH 29, 2023.

……………………………….J.
[C.T. RAVIKUMAR]